द्वितीय माला, खण्ड ५—अंक २९
२३ अगस्त, १९५७ (शुक्रवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

(खण्ड ५ में अंक २१ से अंक ३० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश म)

158 LSD

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १०८५, १०८७ से १०८९, १०९१ से १०९७, १०९९, ११०१ से ११०५, ११०८ और ११०९ . . ४२७३—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०८६, १०९०, १०९८, ११००, ११०६, ११०७ और १११० से ११२० . . . . . ४२९७—४३०३

अतारांकित प्रश्न संख्या ८२७ से ८३८, ८४० से ८५६ और ८५८ से ८५३ . . . . . ४३०३—१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३१७-१८

राज्य-सभा से संदेश ४३१८

वित्त (संख्या २) विधेयक के सम्बन्ध में याचिका . . . ४३१८

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित किया गया ४३१८-१९

अनुदानों की मांगें . . . . ३४१९—५४

श्रम और रोजगार मंत्रालय . . . . . ४३१९—३२

श्री नन्दा . . . . . ४३१९—३२

वित्त मंत्रालय . . . . . ४३३३—५४

श्री प्रभात कार . . . . . ४३३३—३५

श्री राम शंकर लाल . . . . . ४३३५—३८

श्री मुहीउद्दीन ४३३८-३९

श्री मोहम्मद इमाम ४३४०-४१

सेठ अचल सिंह . . . . . ४३४१—४५

श्री शंकरय्या ४३५३-५४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्प सम्बन्धी समिति—

पांचवां प्रतिवेदन ४३५४

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन) विधेयक—वापिस लिया गया . . ४३५४—७२

श्री राधा रमण . . . . . ४३५४—५९, ४३७२-७३

श्रीमती लक्ष्मी बाई . . . . . ४३५९—६२

श्री सूपकार ४३६२

श्री दातार . . . . . ४३६२—६५

श्री पट्टाभिरामन ४३६५

श्री रामानन्द तीर्थ ४३६५

---

*किसी नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ तीन पर देखिए

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ अगस्त, १९५७

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ज्वालामुखी तेल

+

†*१०८५. { श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १६ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ९० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज्वालामुखी में तेल के लिए छिद्र करने के कार्य में हुई प्रगति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका स्वरूप क्या है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) तथा (ख). ज्वालामुखी में छिद्र करने के कार्य की प्रगति के सम्बन्ध में दैनिक प्रतिवेदन प्राप्त किए जाते हैं। इस समय लगभग २८४१ फुट गहराई तक छिद्र किया गया है। यदि आवश्यक हुआ तो १०,५०० फुट की गहराई तक छिद्र करने का प्रस्ताव है। अभी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सकता।

श्री भक्त दर्शन : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य में देरी से देरी कब तक परिणाम निकलने की आशा की जा रही है ?

श्री के० दे० मालवीय : तेल निकालने के निश्चित परिणाम की कोई बात तो हम अभी कह ही नहीं सकते। सम्भव है कि ड्रिलिंग १०,५०० फीट तक हो जाये और तेल न निकले। अभी तो खोज पड़ताल की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि नीचे की जिआलोजीकल हालत क्या है। अगर वहां तेल न निकला तो दूसरी जगह ड्रिलिंग किया जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आयी है कि जहां यह ड्रिलिंग किया जा रहा है उसके समीप ही ज्वालामुखी देवी का पुराना मंदिर है, और लोगों में यह आशंका है कि कहीं ज्वालामुखी देवी की ज्वाला की लपटें समाप्त न हो जायें ? क्या इसके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है ?

† मूल अंग्रेजी में

श्री के० दे० मालवीय : हमारे पास तो अभी ऐसे डरने की कोई वजह नहीं है ।

†**श्री बासप्पा** : क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना में छिद्र की कार्यवाहीयों के लिए आवंटित राशि कम कर दी गई है ? यदि हां तो कितनी कम की गई है और क्या छिद्र करने की इन कार्यवाहियों पर इसका प्रभाव होगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : हम ने किसी वित्तीय कठिनाई के कारण छिद्र करने की कार्यवाहियों के खर्च में कमी नहीं की है । परन्तु कार्यक्रम का पुनरीक्षण करने पर कार्य सम्बन्धी हमारे प्राक्कलनों से हमें मालूम हुआ है कि सम्भवतः पहिले दो छिद्रों में कुछ विलम्ब होगा और जब तक पहिले दो छिद्रों का कार्य पूरा नहीं होता तब तक तीसरे छिद्र का कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा । इसलिये हम ने सभी बातों पर विचार करके सिफारिश की है कि इस वर्ष अग्रेतर छिद्र करने का कार्यक्रम शुरु न करने के कारण हमें अपने खर्च में कमी करनी होगी ।

†**श्री बासप्पा** : इसे किस सीमा तक पुनरीक्षित किया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अभी कोई ठीक सीमा नहीं बताई जा सकती है । पहिले छिद्र और सम्भवतः दूसरे छिद्र के भी परिणाम होने तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी ।

श्री भक्त दर्शन : माननीय मंत्री जी ने मेरे उस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया कि इसमें कितना कितना समय लगने की आशा की जा रही है ?

श्री के० दे० मालवीय : इस समय जो वहां ड्रिलिंग हो रहा है उसकी रफ्तार धीमी है क्योंकि हमें बहुत सख्त चट्टानों का मुकाबला करना पड़ रहा है । आम तौर पर ४० या ५० फीट ड्रिलिंग ऐसी जगहों पर हो जाया करता है लेकिन यहां चट्टानें बहुत सख्त हैं इसलिये रफ्तार बहुत कम है । अगर हमको नीचे मुलायम तह मिल जाती है तो जल्दी काम हो जायेगा वरना पांच छः महीने लग सकते हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन दे सकते हैं कि उन्हें इस बात का पूर्ण विश्वास है कि छिद्र करने की कार्यवाहियों के लिये उन्हें जितनी रकम की आवश्यकता होगी, योजना आयोग द्वारा उसकी मंजूरी दे दी जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, जहां तक तेल की खोज करने का सम्बन्ध है, हमें योजना आयोग या वित्त मंत्रालय से कोई कठिनाई अनुभव नहीं हो रही है ।

बहुप्रयोजनीय पाठ्य-क्रम[1]

†*१०८७. **श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों में बहुप्रयोजनीय पाठ्यक्रमों के लिये मार्ग-प्रदर्शन तथा मंत्रणा केन्द्र[2] खोले गए हैं उन के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या सरकार इस प्रकार के केन्द्रों की पूर्णतः अथवा अंशतः वित्तीय सहायता कर रही है ; और

(ग) कितने राज्यों में मार्ग-प्रदर्शन तथा मंत्रणा केन्द्रों के बिना बहुप्रयोजनीय स्कूल चल रहे हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[1]Multipurpose courses.
[2]Centres of Guide and Couniselling.

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) केवल उत्तर प्रदेश में ; तथापि पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश से जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) भारत सरकार सहायतार्थ इन केन्द्रों के कुल खर्च की ५० प्रतिशत राशि देती है लेकिन शर्त यह है कि ये केन्द्र राज्य की शिक्षा सम्बन्धी अनुमोदित विकास योजना में शामिल हों।

(ग) पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश को छोड़ कर, जिन्हें अभी उत्तर देना है, दस राज्यों में ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि बहुप्रयोजनीय स्कूलों में जो पाठ्य-क्रम लागू किए गए हैं वे ऐसे विद्यार्थियों को कोई लाभ नहीं पहुंचाते जिनकी विद्योचित कार्य में रुची नहीं होती है, निश्चय ही वे सभी विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए तो जायेंगे नहीं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : मैं प्रश्न को समझ नहीं सका हूं । क्या माननीय सदस्य शिक्षा सम्बन्धी केन्द्रीय शैक्षिक मार्ग प्रदर्शन ब्यूरों* की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

†श्री मं० रं० कृष्ण : जी, हां ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह एक अग्रिम योजना है और मंत्रालय ने इसे हाल ही में प्रारम्भ किया है । इसने क्षेत्र सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है और वह कुछ चुनी हुई शिक्षा संस्थाओं में काम कर रहा है ।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने आन्ध्र प्रदेश में इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित करने के लिए कुछ सहायता मांगी है ?

†श्री रंगा : और उसका क्या प्रत्युत्तर दिया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : किसी एक राज्य के सम्बन्ध में मेरे पास जानकारी नहीं है । परन्तु जहां तक सहायता का सम्बन्ध है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होगी क्योंकि हम स्वयं इन केन्द्रों को शुरू करना चाहते हैं ।

†डा० क० ब० मेनन : जिन राज्यों में शिक्षित बेरोजगारी अत्यधिक है, क्या सरकार वहां अग्रिम योजना को शीघ्र कार्यान्वित करेगी ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : यह बात कुछ भिन्न है। इन केन्द्रों का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का शिक्षात्मक तथा व्यावसायिक दिशाओं में मार्ग प्रदर्शन करना है । बेरोजगारी की समस्या एक वृहद् समस्या है जिसका समाज में भिन्न आर्थिक तत्वों से सम्बन्ध है ।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार ने १७८ स्कूलों को २७७ व्यपवर्तित पाठ्य-क्रमों के बहु-प्रयोजनीय स्कूलों में परिवर्तित करने का अपना लक्ष्य अब प्राप्त कर लिया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक मुझे मालूम है, लक्ष्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं किया गया है । हम योजना के लक्ष्य पर दृढ़ हैं ।

†श्री ब० स० मूर्ति : यहां जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या उनके कालेज में दाखिल होने पर कोई पाबन्दी है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

*Central Educational Guidance Bureau.

†डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं। पाबन्दी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका सम्बन्ध विद्यार्थियों का शिक्षा संबंधी मार्ग-प्रदर्शन करने तथा मंत्रणा देने वाले केन्द्रों से है। विद्यार्थी इन केन्द्रों में इस बात की राय लेने और मंत्रणा प्राप्त करने आते हैं कि उन्हें किस प्रकार का पाठ्य-क्रम लेना चाहिये, क्या वे विश्वविद्यालय पाठ्य-क्रम लें या धन्धों तथा व्यावसायों के अन्य प्रकार के पाठ्य-क्रमों को लें। पाबन्दी का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री मं० रं० कृष्ण : क्या यह सच है कि आन्ध्र सरकार इस बात पर जोर दे रही है कि बहुप्रयोजनीय स्कूलों में प्रविधिक शिक्षा के लिये अधिक समय दिया जाना चाहिये और केन्द्रीय सरकार यह चाहती है कि विद्योचित अध्ययनों के लिए अधिक समय देना चाहिये और इसी कारण आन्ध्र सरकार ने जो अनुदान मांगा है उस पर मंजूरी के लिये विचार नहीं किया गया है ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मेरा यह निवेदन है कि इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

†श्री दामानी : क्या राजस्थान सरकार इस योजना को कार्यान्वित कर रही है ? यदि हां, तो राजस्थान में कितने केन्द्र हैं ?

†डा० का० ला० श्रीमाली : मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में पहिले ही जानकारी दे चुका हूं।

सेना में ब्रिटिश पदाधिकारी

१०८८. श्री स० चं० सामन्त : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारतीय सेना में कितने ब्रिटिश पदाधिकारी नियुक्त हैं ;

(ख) क्या उन्हें विशेषज्ञ होने के नाते रखा गया है और वे सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे हैं ; और

(ग) भारतीय सशस्त्र बल के भारतीयकरण के लिए १९४७ के बाद से सेना में कितने ब्रिटिश पदाधिकारियों की नौकरी खत्म की गई है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) इस समय भारतीय सेना में कोई ब्रिटिश पदाधिकारी नियुक्त नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १५ अगस्त, १९४७ से ३१ सितम्बर, १९४७ तक की अवधि में भारतीय सेना में नियोजित ब्रिटिश पदाधिकारियों के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्य नहीं है। १ जनवरी, १९४८ के बाद से पूर्ण भारतीयकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये ४२५ ब्रिटिश पदाधिकारियों की सेवायें खत्म की गई हैं।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या चालू वर्ष में किसी विभाग में किसी पद के भारतीयकरण का कोई प्रस्ताव है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : 'भारतीयकरण' क्या है ? उन्होंने कहा है कि आज सेना में कोई भी ब्रिटिश कर्मचारी नहीं है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मैं सेना के विभागों के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं ।

† **अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का सम्बन्ध सेना से है ।

†**श्री याज्ञिक** : प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाले युद्ध-सामग्री कारखानों में, या अन्य कारखानों या संस्थाओं में क्या कोई ब्रिटिश पदाधिकारी है ?

†**सरदार मजीठिया** : मुझे पूर्व सूचना चाहिये । मूल प्रश्न सेना के सम्बन्ध में है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या पदाधिकारियों को, सेना में नहीं बल्कि प्रतिरक्षा मंत्रालय के अन्य विभागों में रखने पर मंत्रालय को कोई शिकायत प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि उन्हें पूर्व सूचना चाहिये । यह प्रश्न केवल सेना की सम्बन्ध में है, युद्ध-सामग्री कारखानों से भी इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । इसके लिए उन्हें एक पृथक प्रश्न पूछना होगा ।

†**श्री सूपकार** : क्या आयुध सेना से बाहिर है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न स्पष्टीकरण के लिये पूछा गया है तो ठीक है । परन्तु मेरा प्रश्न यह है : क्या हम एक मुख्य प्रश्न पूछ कर इधर उधर भटक सकते हैं ?

†**श्री सूपकार** : मैं यह जानना चाहता था कि क्या आयुध प्रतिरक्षा के क्षेत्र के अन्तर्गत है या इससे बाहर है ?

†**सरदार मजीठिया** : आयुध एक पृथक सेवा है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह ब्यौरा माननीय सदस्यों को मालूम नहीं है । स्पष्टतया मंत्री महोदय को सदस्यों की अपेक्षा इन बातों की अधिक जानकारी है । इस लिए माननीय मंत्री कृपया प्रश्न की भावना को समझ कर इसका उत्तर दें । मंत्री महोदय यह कह सकते हैं कि यह तो प्रश्न से भटकना है और में भी उनकी इस बात से सहमत होऊंगा । परन्तु यहां प्रश्न का उद्देश्य यह जानना है कि स्वतंत्रता के १० वर्ष पश्चात् भी कितने व्यक्तियों को रखा जा रहा है । यह प्रश्न का विषय है । यह कह कर आड़ लेने से कोई लाभ नहीं है कि यह भिन्न शाखा है ।

†**सरदार मजीठिया** : जहां तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि जहां कहीं हम यह देखते हैं कि हमें ऐसे उपयुक्त भारतीय मिल सकते हैं जो उन पदों पर नियुक्त किए जा सकते हैं तो प्रतिरक्षा मंत्रालय की यही कोशिश रही है कि वहां ब्रिटिश पदाधिकारियों के स्थान पर भारतीय रखे जायें ।

लंढौर छावनी

*१०९८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लंढौर छावनी को स्वतन्त्र रूप से बनाये रखने अथवा उसे मसूरी नगरपालिका के क्षेत्र में मिला देने का प्रश्न काफी दिनों से विचाराधीन है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ; और

(घ) वहां की खाली इमारतों की देखभाल व रख-रखाव पर इस समय कितने कर्मचारी नियुक्त हैं और उस पर कितना खर्च किया जा रहा है ?

प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) इस देरी का खास कारण सरकार की यह चिन्ता है कि इस इलाके में सैनिक इमारतें जो अधिक संख्या में हैं उनको सरकार के ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिये इस्तेमाल किया जाये या उन का दूसरे तरीकों से निबटारा कर दिया जाय ।

(ग) इस के डिनोटिफिकेशन के बारे में अन्तिम फैसला तभी किया जायगा जब इन इमारतों के इस्तेमाल या निबटारे करने का प्रश्न हल हो जाय ।

(घ) इन इमारतों की देखभाल और रख-रखाव पर नियुक्त कर्मचारीगण की संख्या २८ है और इस पर २७५० रुपये खर्च हो रहे हैं ।

†**एक माननीय सदस्य** : अंग्रेजी में भी उत्तर दिया जाय ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि चूंकि यह मामला बहुत दिनों से रुका पड़ा है, इस लिए इस छावनी में न तो मकानों की मरम्मत की जा रही है और न सड़कों की हालत अच्छी है और क्या इस लिए इस सम्बन्ध में तेजी लाने की कृपा की जायगी ?

सरदार मजीठिया : यह बात ठीक है कि यहां पर थोड़ा सा स्टाफ रखा गया है, जो कि सिर्फ देख-भाल के लिये है । इस बात की कोशिश की जा रही है या तो यू० पी० गवर्नमेंट या हिन्द सरकार की कोई दूसरी मिनिस्ट्री इस को जल्द से जल्द ले ले । अगर इन दोनों में से कोई भी लेने के लिए तैयार न होगा, तो जल्दी से जल्दी इस का निपटारा करने की कोशिश की जायगी ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि इस मामले को इस लिए रोका जा रहा है कि इससे बहुत से मिलिटरी अधिकारियों को मसूरी और लंढौर घूमने का मौका मिल जाता है और इस लिये वे इस को नहीं सुलझा रहे हैं ?

सरदार मजीठिया : जी नहीं, यह बात ठीक नहीं है ।

प्रतिरक्षा उत्पादन

†*१०९१. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रतिरक्षा उत्पादन बढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करने के सम्बन्ध में क्या एक समिति नियुक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निर्देश-पद क्या हैं ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया :)** (क) जी हां, प्रतिरक्षा उपमंत्री के सभापतित्व में एक प्रतिरक्षा उत्पादन योजना समिति गठित की गई है।

(ख) समिति के निर्देश-पद ये हैं :—

(१) प्रतिरक्षा उत्पादन, मरम्मत, संधारण तथा गवेषणा गतिविधियों के समस्त क्षेत्र का अध्ययन करना ; और

(२) अच्छी तरह से सोच विचार कर प्रारम्भ में तीन या चार वर्ष के लिये और उसके बाद इतनी ही अवधि के लिये या इस से कम या ज्यादा समय के लिए एक ऐसी योजना तैयार करना जिस से प्रतिरक्षा संगठन, देशीय संसाधन, रक्षा तथा उद्योग के द्वारा—प्रतिरक्षा तथा अन्य—यथासम्भव आत्म निर्भरता प्राप्त कर सके।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** प्रतिरक्षा मंत्रालय में पहिले से ही एक प्रति रक्षा उत्पादन बोर्ड था और वह प्रतिरक्षा मंत्रालय के लिए उत्पादन कार्यक्रम संबंधी काम किया करता था। क्या मैं जान सकती हूं कि इस समिति को नियुक्त करने की आवश्यकता क्या थी और क्या यह समिति उस बोर्ड को निष्प्रभाव कर देगी या दोनों ही एक साथ रहेंगी ?

†**सरदार मजीठिया :** ये दो विभिन्न बोर्ड हैं : एक योजना बोर्ड है और दूसरा उत्पादन बोर्ड है। यह उत्पादन की योजना बनायेगा और दूसरा बोर्ड उत्पादन की देखरेख करेगा।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या हिन्दुस्तान इलैक्ट्रोनिक्स तथा हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड पर भी इस समिति का क्षेत्राधिकार होगा और यह क्षेत्राधिकार किस सीमा तक होगा ?

†**सरदार मजीठिया :** ये दोनों लिमिटेड समवाय हैं और इस लिए वे इस के अन्तर्गत नहीं होंगे।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** इस बात को देखते हुए कि नौसेना की लगभग ९० प्रतिशत आवश्यकतायें विदेश से, अधिकाँशतः ब्रिटेन से, पूरी की जाती हैं, नौसेना के सामान, औजार आदि का उत्पादन बढ़ाने के लिए इस मंत्रालय के विचाराधीन विशिष्ट योजनायें क्या हैं ?

†**सरदार मजीठिया :** जैसा कि मैं ने कहा था, जहां तक इस योजना बोर्ड का सम्बन्ध है, उन्हें एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का काम सौंपा गया है और मुझे विश्वास है कि लगभग दो महीने के भीतर वह प्रतिवेदन तैयार करके हमें बता देंगे कि इस देश में असैनिक कारखानों की उत्पादन क्षमता में और युद्ध सामग्री कारखानों की उत्पादन क्षमता में सर्वोत्तम ढंग से किस प्रकार सहयोग किया जा सकता है। जहां तक इस बोर्ड का सम्बन्ध है, प्रतिवेदन के साथ ही यह काम खत्म हो जायेगा।

†**श्री हेम बरुआ :** इस देश में आधुनिक विमानों का डिजाइन तैयार करने के लिए डा० क्रुट टैंक के अधीन जो जर्मन वैमानिक विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, क्या उनका कार्य इस समिति के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है ?

†**सरदार मजीठिया :** जहां तक डा० टैंक का सम्बन्ध है उन्हें एक विशिष्ट काम सौंपा गया है और वह उस नियत कार्य को कर रहे हैं और, जहां तक मुझे याद है, उन्हें तीन वर्षों में दो ऐसे विमान तैयार करने हैं जिन्हें प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा निर्धारित विशेष-विवरण में पूरा उतरना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या अखिल भारतीय प्रतिरक्षा क्रय विभाग के एक प्रतिनिधि को भी एक समिति से सम्बद्ध किया जा रहा है ?

†**सरदार मजीठिया** : जी, नहीं ।

†**श्री आचार** : इस समिति के सदस्य कौन हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : इस समिति के सदस्य हैं : प्रतिरक्षा उपमंत्री, तीनों सेना-प्रधान, अतिरिक्त सचिव, वैज्ञानिक सलाहकार और वित्त परामर्शदाता ।

†**श्री कासलीवाल** : मुझे बताया गया है कि कुछ असैनिक सामान भी उत्पादित किया जा रहा है । क्या यह समिति इस प्रश्न की ओर भी ध्यान देगी ?

†**सरदार मजीठिया** : मैं प्रश्न समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि अब जो असैनिक सामान उत्पादित किया जा रहा है क्या इस समिति द्वारा उन के सम्बन्ध में भी विचार किया जायेगा ?

†**सरदार मजीठिया** : वह इस पर भी विचार करेगी ।

'बाद की देखभाल' कार्यक्रम[४]

†*१०९२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ में 'बाद की देखभाल' और 'नैतिक सदाचार'[५] कार्यक्रमों के अधीन विभिन्न राज्यों के लिये कितनी राशियां मंजूर की गयी ;

(ख) उपरोक्त अवधि में प्रत्येक राज्य की कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गयी ; और

(ग) क्या इन संस्थाओं पर सरकार का कोई नियन्त्रण है ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) और (ख) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७८.**]

(ग) जी, हां ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : 'बाद की देखभाल' सम्बन्धी योजनाओं का क्या अभिप्राय है ?

†**श्रीमती आल्वा** : योजना का अभिप्राय यह है : पूर्व दण्डितों को, चाहे वे बालक हों या वयस्क, उनके सुधार-गृहों से वापिस आने के बाद, 'बाद की देखभाल' के स्थानों में रखा जाये और उनको सामाजिक रूप में बसाया जाय ।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : विवरण से यह ज्ञात होता है कि केवल पांच या छः राज्यों को ही इस सम्बन्ध में राशि दी गयी है । शेष राज्यों की क्या स्थिति है ? क्या वहां पर 'बाद की देखभाल' सम्बन्धी कोई योजना नहीं है ?

†**श्रीमती आल्वा** : वैसे तो प्रत्येक राज्य में 'बाद की देखभाल' सम्बन्धी योजना है, परन्तु योजना सम्बन्धी ब्यौरे केवल उन्हीं राज्यों से प्राप्त हुए हैं, और इसलिये केन्द्र द्वारा इन्हीं को राशि दी गयी है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

[४] After care programmes.

[५] Moral Hygiene.

†**श्री श्रीनारायण दास** : किन किन राज्यों की योजनाऐं विचाराधीन हैं ?

†**श्रीमती आल्वा** : जिन राज्यों ने अपनी योजनायें भेजी हैं, वे ये हैं : आसाम, आन्ध्र, केरल, मद्रास, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान। अन्य राज्यों ने अपनी योजनाएं नहीं भेजी हैं।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कई ऐसे राज्य हैं जहां 'देखभाल' सम्बन्धी कार्यक्रम के लिये भी पर्याप्त सुविधायें नहीं हैं, और ऐसी स्थिति में 'बाद की देखभाल' सम्बन्धी योजना, स्वभावतः, नहीं चल सकती ? सरकार इस स्थिति को सुधारने के सम्बन्ध में ऐसी कौन सी योजना पर विचार कर रही है जिससे कि 'बाद की देखभाल' सम्बन्धी योजनाएं प्रारम्भ करने से पहले उन राज्यों में पर्याप्त संख्या में 'देखभाल' सम्बन्धी संस्थायें खोली जा सकें ?

†**श्रीमती आल्वा** : जहां तक 'देखभाल' सम्बन्धी कार्यक्रमों का सम्बन्ध है उनका काम राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन समाज कल्याण बोर्ड ने ही यह योजना तैयार की है। दो समितियां नियुक्त की गयी थीं—'नैतिक सदाचार' समिति और 'बाद की देखभाल' सम्बन्धी समिति। उन्होंने यह निश्चय किया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में देश भर में ८० राज्य गृह[6] और ३२४ जिला संरक्षण केन्द्र[7] खोले जायें। जहां तक 'देखभाल' सम्बन्धी गृहों का सम्बन्ध है, उनका काम राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है, और वे अपनी योजनाएं हमारे पास भेजेंगी।

तुलसीघाट, वाराणसी

*१०९३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वाराणसी का तुलसीघाट और अन्य स्थान जहां तुलसीदास जी ने रामायण आदि लिखे और जहां वे रहते थे और दिवंगत हुए थे, अत्यन्त शोचनीय दशा में हैं और किसी भी समय गंगा नदी के गर्भ में जा सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्राचीन ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा के निमित्त सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). वाराणसी का तुलसीघाट और मकान, जहां तुलसीदास जी रहे बताए जाते हैं, संघ-पुरातत्व विभाग के अन्तर्गत नहीं है। तुलसीघाट का लगभग तीन चौथाई भाग इस समय वर्षा के कारण जलमग्न है और इसी कारण इस समय उसका पूरा निरीक्षण सम्भव नहीं है। परन्तु घाट का ऊपरी भाग तथा वह मकान जिस में तुलसीदास जी रहे बताए जाते हैं, अच्छी हालत में है।

[इस के पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया]

श्री रघुनाथ सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि आप उसको एक ऐतिहासिक महत्व की चीज मानते हैं या नहीं और यदि मानते हैं तो आपकी तरफ से उसकी मरम्मत के वास्ते क्या स्टेप लिए जा रहे हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, मैं इसको ऐतिहासिक महत्व का स्थान समझता हूं और वह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। पहले उसकी आर्केयोलोजिकल डिपार्टमेंट (पुरातत्व विभाग)

---

†मूल अंग्रेजी में

[6] State Homes.

[7] District Shelters.

ने जांच की थी। उनका खयाल था कि यह ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन मैंने फिर आदेश दिया है कि इसकी जांच की जाए और मैं समझता हूं कि ऐतिहासिक दृष्टि से यह एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और इसकी जांच होनी चाहिये।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि काफी समय से काशी नागरी प्रचारिणी सभा और उत्तर प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है लेकिन पुरातत्व विभाग ने इस सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं की है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : उसका तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक बार जांच हुई थी और उस वक्त इसको आर्केओलोजी की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं समझा गया था। मैंने दुबारा आर्केओलाजिकल डिपार्टमेंट को आदेश दिया है कि वह जाकर इस स्थान की जांच करे और चूंकि यह ऐतिहासिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसको प्रोटैक्टिव मानुमेंट बनाने की कोशिश करे।

राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के परीक्षा केन्द्र*

†*१०९४. **श्री वें० प० नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दिसम्बर, १९५७ में होने वाली राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी की परीक्षा के लिये केरल में कोई भी केन्द्र होगा ; और

(ख) क्या सरकार को ज्ञात है कि केरल के विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण परीक्षा देने के लिये मद्रास जाने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क). मामला संघ लोक सेवा आयोग के विचाराधीन है।

(ख) संघ लोक सेवा आयोग इस पर और इस से सम्बन्धित अन्य मामलों पर विचार करेगा।

†**श्री वें० प० नायर** : परीक्षा के लिये जारी की गयी अधिसूचना में जिन केन्द्रों के नाम हैं, क्या वे सभी केरल से बाहिर हैं ?

†**श्री दातार** : परीक्षा के लिये वैसे तो अनेक केन्द्र हैं, परन्तु केरल में कोई केन्द्र नहीं है। केरल के प्रश्न पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विचार किया जायेगा ; यह बात उसके क्षेत्राधिकार में है। संभवतः वह इस आधार पर विचार करेगा कि उस केन्द्र के लिये कितने अभ्यर्थी हैं।

†**श्री वें० प० नायर** : क्या हम पिछले वर्ष के आंकड़ों से यह जान सकते थे कि केरल राज्य से इस परीक्षा के लिये कितने विद्यार्थी बैठना चाहते थे, और क्या हम यह भी जान सकते थे कि किसी भी राज्य में इस परीक्षा के लिये केन्द्र स्थापित करने के लिये कम से कम कितने विद्यार्थी होने आवश्यक हैं ?

†**श्री दातार** : पिछले साल के आंकड़े मेरे पास नहीं है, परन्तु संघ लोक सेवा आयोग निश्चय ही इस पर विचार करेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

* National Defence Academy Examination Centre.

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट या कमीशन ने कभी इस सुझाव पर विचार किया है कि इस तरह की जो अखिल भारतीय परीक्षायें होती हैं वे प्रत्येक राज्य की राजधानियों में कम से कम अवश्य की जायें ताकि उस प्रान्त के लोगों को सुविधा हो ?

श्री दातार : यह शक्य नहीं होगा ।

रुपया यात्री चैक[1]

†*१०९५. **श्री कासलीवाल :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का राज्य बैंक रुपया यात्री चैक जारी करने का विचार रखता है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि से ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) जी, हां ।

(ख) आशा है कि इस वर्ष के अन्त तक ये चैक जारी कर दिये जायेंगे ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या इन रुपया यात्री चैकों को अमेरिकन एक्सप्रैस यात्री चैकों या थामस बुक चैकों के आधार पर ही चालू किया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत :** ये चैक उसी आधार पर चालू किये जायेंगे । वे प्रसिद्ध सुस्थापित सार्थ हैं और उनके चैकों से सभी देशों में नकद रुपया मिल जाता है । हम इस दिशा में अभी पहला कदम रख रहे हैं, और इसलिये इसे सयंत रूप में ही प्रारम्भ कर रहे हैं ।

†**श्री च० द० पांडे :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमारे रुपये का मूल्य अब संसार के अन्य देशों में जर्मन मार्क और अमरीकन डालर के सरकारी विनिमय दरों की तुलना में कम है, क्या विदेशों में इन चैकों से नकद रुपया लेने में कोई कठिनाई न आयेगी ?

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं इस कटाक्ष से सहमत नहीं हूं ।

†**श्री च० द० पांडे :** यह एक सत्य है । यह लगभग १५ प्रतिशत कम है ।

†**श्री ब० रा० भगत :** जहां तक सरकारी विनिमय दर का सम्बन्ध है, मार्क का पुनर्मूल्यन या रुपये का अवमूल्यन होने तक वह उतना ही रहेगा । परन्तु चूंकि हम पुनर्मूल्यन या अवमूल्यन पर विचार नहीं कर रहे हैं, इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह तो केवल कठिनाई की ओर संकेत कर रहे हैं और यह पूछना चाहते हैं कि ऐसी कठिनाई आयेगी या नहीं । श्री आल्वा ।

†**श्री जोकीम आल्वा :** थामस कुक ने अपनी चैक प्रणाली समाप्त कर दी है और उसके परिणामस्वरूप यात्रा करने वाले लोगों को बड़ी भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । क्या सरकार इन छः मासों में ऐसा प्रबन्ध नहीं कर सकती थी जिससे राज्य बैंक इन यात्री चैकों को पहले ही जारी कर देता ? छः महीनों तक किस बात की प्रतीक्षा की जाती रही ? फैडरल बैंक आफ अमरीका और बैंक आफ इंगलैण्ड से भी इस बात में सहायता ली जा सकती थी कि वे वहां पर एसी व्यवस्था करें जिससे हमारे चैकों से विदेशी मुद्रा मिल सके । मैं समझ नहीं सका कि इतनी देर क्यों की गयी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Rupee Travellers' Cheque.

†**श्री ब० रा० भगत** : वास्तव में इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सीधा प्रश्न यह है कि देर क्यों हुई ।

†**श्री ब० रा० भगत** : हम जांच पड़ताल कर रहे थे (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति शान्ति । माननीय मंत्री कह रहे हैं कि कार्यवाही की जा रही है और इसलिये उनकी बात पूरी होने से पहले कोई अन्तर्बाधा नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं यह कहने जा रहा था कि हमने हर प्रकार की जांच की है क्योंकि चैक जारी करने से पहले हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि यह कार्य सुचारु रूप से चलता रहे ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ये चैक यात्रियों की सुविधा के लिये विदेशों में जायेंगे, क्या इस योजना के वास्तव में कार्यान्वित करने से पहले उन देशों की सरकारों से इस के सम्बन्ध में मंजूरी ले ली गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: यह तो केवल काल्पनिक बातें हैं । हम अन्य देशों की सरकारों से यह पूछें ही क्यों कि क्या वे इसे स्वीकार करेंगे या नहीं ? यह तो पर्यटकों की अपनी इच्छा है कि जब वे भारत आयें तो उस समय अपनी सुविधा के लिये यदि चाहें तो इन्हें इस्तेमाल करें ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चलार्थ में रुपये का बड़ा स्थिर मूल्य है, यदि अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट में रुपये के चैक स्वीकार न किये गये तो अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या सरकार ने इस पर विचार किया है ?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : मुझे आशा है कि सभा मुझे यह कहने के लिये क्षमा करेगी कि माननीय सदस्य ऐसी बातों पर जोर डालकर जो सच नहीं हैं, अपने प्रति और देश के प्रति कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं । रुपये की कीमत अस्थिर नहीं, स्थिर है । जहां तक दरों का सम्बन्ध है, हो सकता है कि खुले बाजार में या काले बाजार में उसकी कोई अलग दर हो । परन्तु मुझ से यह प्रश्न पूछने का प्रयोजन ही क्या है कि क्या रुपया अस्थिर है और यदि है तो उसका परिणाम क्या होगा ।

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : मैं ने यह तो नहीं कहा कि वह अस्थिर है . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्या ने कहा है कि उनके विचारानुसार रुपया स्थिर है ; श्री पांडे ने यह कहा था कि रुपया अस्थिर है । इस प्रकार से दोनों के वक्तव्यों में अन्तर है । माननीय मंत्री यह कहना चाहते हैं कि ऐसे प्रश्नों से कोई लाभ नहीं होता । माननीय सदस्य कृपया इस बात का ध्यान रखें कि वे स्वयं ही अपने मुख से अपनी प्रतिष्ठा को कम न करें । इस बात का हर प्रकार से प्रयत्न किया जा रहा है कि रुपये की मुद्रा में जारी किये जाने वाले इन यात्री चैकों को हर कोई भुना सके । अब ऐसी स्थिति में इस मामले के बारे में अधिक छान बीन करने से और बात चीत करने की संभावना को असंभव बना देने से कोई लाभ न होगा । अतः अब हम अगले प्रश्न लेंगे ।

†**श्री रंगा** : मेरा औचित्य प्रश्न है । क्या माननीय मंत्री का एक ऐसे माननीय सदस्य को, जो कि बड़ी सद्भावना से प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रकार का उपदेश देना उचित है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री भी इस योजना को शीघ्र ही कार्यान्वित करने के लिये उतने ही अधिक उत्सुक हैं जितने कि अन्य सदस्य। उनके मार्ग में कई कठिनाइयां हैं। कुछ सदस्य अधीर थे और यह पूछ रहे थे कि इसे कार्यान्वित करने में छः मास का समय क्यों लग रहा है, इसे कल ही कार्यान्वित क्यों न कर दिया जाये। माननीय मंत्री यह समझा रहे थे कि सभा में इस प्रकार के वक्तव्य देने से योजना को शीघ्रातिशीघ्र लागू करने में कोई विशेष सहायता न मिलेगी। मैं नहीं समझता कि उन्होंने कोई विशेष उपदेश दिया है।

†**श्री रंगा** : आप कृपया उनके उत्तर को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उन्होंने उपदेश दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। वे तो केवल प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं।

†**श्री प्रभात कार** : क्या सरकार भारत से जाने वाले यात्रियों को इस बात के लिये प्रोत्साहन देगी कि वे भारत के राज्य बैंक के यात्री चैक इस्तेमाल करें?

†**श्री ति० त० कृष्णमाचारी** : इसके लिये प्रोत्साहित करने का केवल एक ही उपाय है और वह यह कि ऐसी व्यवस्था की जाये जिससे यह सब स्थानों पर उपलब्ध हो सकें। नकद धन या बैंक-ड्राफ्टों की अपेक्षा चैक रखना बेहतर है। यद्यपि चक बैंक-ड्राफ्टों की अपेक्षा महंगे होते हैं, तो भी उनमें यह लाभ है कि चैकों से तो हर स्थान पर नकद धन मिल जाता है, जब कि बैंक-ड्राफ्टों के लिये हमें बैंक विशेष में जाना पडता है और देर तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैं समझता हूं कि इन कारणों से अन्त में चैकों का उपयोग ही अधिक पसन्द किया जायेगा। हम इसे प्रचारित करने का यथासंभव प्रयत्न करेंगे।

बम्बई में लौह और मैंगनीज अयस्क

†*१०९६. **श्री आसर** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई राज्य के रत्नगिरि जिले में पर्याप्त मात्रा में लोहा और मैंगनीज पाये जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस क्षेत्र का कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ग) क्या उस क्षेत्र में इस समय कोई खनन-कार्य हो रहा है?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) इस जिले में लोह अयस्क और मैंगनीज के कुछ एक निक्षेप इतने बड़े हैं कि उनका वाणिज्यक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

(ख) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण ने १९४९–५० और १९५१–५२ के क्षेत्र मौसमों में इस जिले में लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क के निक्षेपों का सर्वेक्षण किया था। इसके अतिरिक्त उसने १९५६–५७ के क्षेत्र मौसम में भी मैंगनीज अयस्क निक्षेपों की व्यापक जांच की थी, और वह जांच आगामी क्षेत्र मौसम में भी जारी रहेगी। भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण आगामी क्षेत्र मौसम में लौह अयस्क के निक्षेपों की भी व्यापक जांच करने का विचार रखता है।

(ग) इस समय उस क्षेत्र में दो लौह अयस्क खानें और तीन मैंगनीज अयस्क खानें काम कर रही हैं।

---

† मूल अंग्रेजी में

†**श्री आसर** : क्या सरकार को ज्ञात है कि रत्नगिरि के कलक्टर के दफतर में बड़ी देर से लगभग ४०० आवेदन पत्र पड़े हुए हैं जिनमें खनन पट्टों के लिये आवेदन किया गया है ? इतनी अधिक देर किस लिये की जा रही है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : खनन पट्टों के लिये आवेदन पत्र राज्य सरकारों के पास भेजे जाते हैं, क्योंकि इन सम्पत्तियों पर उन्हीं का स्वामित्व होता है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि राज्य सरकारें कभी कभी बहुत ज्यादा समय लगा देती हैं। इसलिये, मैं माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये देरी के इस प्रश्न को राज्य सरकार को निर्देशित करुंगा।

†**श्री आसर** : लाइसेन्स देने में सरकार किस नीति का अनुसरण करेगी ; क्या स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : अपने संविधान के अनुसार हम खनन पट्टे देने में किसी को भी वरीयता नहीं दे सकते। हम किसी भी स्थानीय व्यक्ति या किसी और व्यक्ति को वरीयता नहीं दे सकते। खनन पट्टों के लिये आवेदन करने का हर किसी को अधिकार है, और इस प्रकार लाइसेन्स देने के लिये हमारे कई विशेष नियम हैं।

†**श्री जाधव** : जांच के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जांच तो निरन्तर जारी रहने वाली एक प्रक्रिया है। कुछ ब्योरे वार जांचें तो हो भी चुकी हैं। जैसा मैंने अपने उत्तर में बताया है। अभी तक प्राप्त हुए परिमाणों से यह प्रतीत होता है कि वहां पर अयस्क इतनी अधिक मात्रा में पाये जाते हैं कि वे वाणिज्यिक प्रयोजन के लिये खोदे जा सकते हैं।

†**श्री याज्ञिक** : क्या केन्द्रीय सरकार खनन लाइसेन्स देने में केवल इसी लिये जिम्मेवार नहीं बनना चाहती कि प्रारम्भिक अवस्था में राज्य सरकार को ही यह काम करना पड़ता है ? केन्द्र को चाहिये कि वह ऐसे उपाय करे जिससे प्रारम्भिक अवस्था का यह काम उसकी हिदायतों के अनुसार शीघ्रता से चल सके। केन्द्र इस की जिम्मेदारी स्वयं न लेकर राज्य सरकारों को ही जिम्मेवार बनाने की नीति न अपनाये।

†**श्री के० दे० मालवीय** : सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी यथा संभव उपाय किये हैं और कर रही है जिससे कार्य शीघ्रता से हो सके, और राज्य सरकार अधिक देर न लगाये। परन्तु जांच के परिणामों और सम्बन्धित व्यक्तियों से उत्तर आने में कई बार अनिवार्य रूपसे देर लग जाया करती है। इसलिये सरकार जितना कर रही है उससे और अधिक कुछ नहीं कर सकती। जैसा मैंने कहा है मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम मामले पर विचार कर रहे हैं और यथासंभव अधिक से अधिक उपाय करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

†**श्री बोस**: क्या इस क्षेत्र से उत्पादित होने वाले लौह और मैंगनीज अयस्कों का निर्यात भी किया जाता है या वे केवल स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये है?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस बारे में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं।

---

†अंग्रेजी में

क्योंझर गढ़ जिले में सोना

†*१०९७. **श्री सूपकार :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री १७ जुलाई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्योंझर गढ़ जिले में सोने का किस दिन पता लगा था: और

(ख) अनुसंधान में प्रगति क्यों नहीं हुई है?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास):** (क) क्योंझर गढ़ जिले में सोने के अस्तित्व के बारे में जानकारी तो बहुत दिनों से है, परन्तु इसके अस्तित्व के पता लगने की विशिष्ट तिथि आदि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) इसके अनुसंधान को इतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है कि ब्यूरो के द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित अन्य आवश्यक अनुसंधानों के मुकाबिले इसे प्राथमिकता दी जाये।

†**श्री सूपकार :** क्या सरकार ने इस क्षेत्र में किसी प्रकार की जांच की है?

†**श्री म० मो० दास :** जी, हां। भारतीय खान विभाग ने १९५३–५४ में प्राथमिक जांच की थी?

†**श्री जोकीम आल्वा :** क्या सरकार को मालूम है कि हमारे यहां सोने की केवल चार खानें मैसूर में और दो भारत के अन्य भागों में हैं और सोना निकालने के लिये अन्य खानों का हमारे यहां अभाव है तथा प्रति वर्ष २००,००० औंस सोना निकलता है। सरकार और अधिक खानों का पता लगाकर उनमें से सोना निकालने के लिये भरसक प्रयत्न क्यों नहीं करती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** और खानों में सोना न हो तब भी ?

†**श्री आल्वा :** मंत्री ने स्वीकार किया कि सोना वहां है?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य केवल सुझाव दे रहे हैं कि सरकार को क्या करना चाहिये, वे जानकारी प्राप्त नहीं कर रहे हैं?

†**श्री सूपकार :** क्या भारत सरकार आध्यत्मिकता की ओर इतना झुक रही है कि इस प्रकार की जांच को प्रोत्साहन नहीं देगी?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य जानते हैं किस सरकार अध्यात्मवादी है अथवा नहीं। हम दूसरा प्रश्न लेंगे—१०९९, श्री ज० रा० मेहता।

अभ्रक

†*१०९९. **श्री ज० रा० मेहता :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अभ्रक का उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों में अभ्रक के सम्बन्ध में निर्यात परमिट प्रदान करने, व्यापार का लाइसेंस देने और स्वाभिस्व[10] लगाने आदि के सम्बन्ध में व्याप्त गहन वैषम्य से सरकार अवगत है?

---

† मूल अंग्रेजी में।

[10]Royalty.

(ख) क्या सरकार ने अभ्रक के उत्पादन, अभ्रक उद्योग के विकास और विशेष रूप से उन राज्यों में जहां नियम अधिक कठोर हैं, उपरोक्त विषमता से उत्पन्न हानिकर प्रभावों का परीक्षण किया है; और

(ग) क्या सरकार ने इस स्थिति में सुधार करने के लिये कोई उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) से (ग). स्वामिस्व के सम्बन्ध में विषमता नहीं हो सकती है क्योंकि खनिज रियायत नियमों के अन्तर्गत यह सम्पूर्ण देश के लिये केन्द्र की ओर से निर्धारित है।

व्यापारी लाइसेंस और निर्यात परमिट विनियमन के सम्बन्ध में स्थानीय परिस्थिति और दशा के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों में अन्तर हो सकता है और संभवतः अन्तर है। किन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी किसी बात से अवगत नहीं है कि स्थानीय विनियमों में इस भेदभाव के परिणाम स्वरूप देश के अभ्रक उद्योग के विकास में बाधा उत्पन्न हुई है।

†श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : चूंकि अभ्रक का निर्यात राज्य व्यापार निगम कर रहा है, क्या मैं जान सकता हूं कि जिन व्यापारियों से राज्य व्यापार निगम अभ्रक नहीं ले रहा है उन गैर सरकारी उत्पादकों को परमिट जारी करने के लिये कोई रीति निकाली गई है? सरकार को ज्ञात है कि बिहार में ५० लाख रुपये की कीमत का अभ्रक बेकार पड़ा है।

†श्री के० दे० मालवीय : बाहर से मांग घटने पर अभ्रक के व्यापार में गिरावट आ जाती है। यह मुख्य कारण है। राज्य व्यापार निगम के बारे में मैं अभी कोई जानकारी नहीं दे सकता हूं क्यों कि यह मेरे मंत्रालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

†श्री ब० स० मूर्ति : क्या इस आरोप में कोई सत्यता है कि गुडूर के लगभग सब लाइसंस रद्द कर दिये गये हैं और अब वहां हजारों रुपये का अभ्रक पड़ा है तथा खानें बन्द हो गई हैं?

†श्री के० दे० मालवीय : संभवतः ऐसी बात नहीं है। यदि माननीय सदस्य विशेष रूप से यह बात मुझसे पूछें तो मैं राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करूंगा। अभी मेरे पास जानकारी नहीं है।

†श्री पट्टाभिरामन् : क्या सरकार प्रामाणीकरण के बारे में कोई कार्यवाही करेगी और निर्यात किये जाने वाले अभ्रक की जांच पड़ताल करेगी ताकि विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा बढ़े?

†श्री के० दे० मालवीय : एक अभ्रक मंत्रणा समिति यह सब कार्य करती है। यह समिति ही समय समय पर सरकार को परामर्श देती है। हम भी प्रमाणीकरण के प्रश्न पर चर्चा करते हैं और कुछ अंशों में प्रमाणीकरण कर लिया गया है। किन्तु मांग की कमी के कारण उत्पन्न होने वाली कठिनाइयां तो हैं ही।

---

†मूल अंग्रेजी में

सैलम लौह अयस्क

+

†*११०१. { श्री सें० वें० रामस्वामी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री २५ जुलाई, १९५७ के सैलम लौह अयस्क सम्बन्धी तारांकित प्रश्न संख्या ३६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जांच के लिये नमूने कब भेजे गये थे;

(ख) यह प्रयोग कब से चल रहा है;

(ग) अभी तक किये गये प्रयोग का परिणाम क्या है; और

(घ) यह कब तक पूरा होगा?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) फरवरी, १९५७।

(ख) से (घ). मार्च, १९५७ से प्रारम्भिक प्रयोग किये जा रहे हैं और लगभग ६ महीने में जब ये प्रयोग पूरे हो जायेंगे तभी परिणाम ज्ञात हो सकेगा।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मेरा विचार है कि ये खनिज परीक्षण हेतु १९५३ में भेजे गये थे। इसमें चार वर्ष लग गये हैं। क्या यह सच है?

†**श्री म० मो० दास** : जी नहीं। ऊँची किस्म की सैलम लौह अयस्क, इसके उपयोग की जांच के लिये फरवरी, १९५७ में राष्ट्रीय धातु-कर्मिक प्रयोगशाला में प्राप्त हुई थी।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या श्री एन० के० एन० अय्यंगार ने सैलम जिले के होसुर, रासीपुरम और नमक्कल तालुकों में ४५० वर्गमील का सर्वेक्षण किया था; और यदि हां, तो क्या इन नमूनों का प्रयोग किया गया है?

†**श्री म० मो० दास** : इस प्रश्न के लिये पूर्व सूचना चाहिये।

†**श्री दासप्पा** : इस लौह अयस्क का केवल विश्लेषण करने में कितना समय लगेगा?

†**श्री म० मो० दास** : विश्लेषण की अनेक किस्में हैं। एक है निम्न उदग्र भट्टी[11] में अयस्क का उपयोग। हमारे पास अभी यह भट्टी नहीं है। हम उसका निर्माण करेंगे। उसके पश्चात् यह विशिष्ट परीक्षण हमारी धातु कर्मिक प्रयोगलशाला में किया जायेगा। जहां तक अन्य जांच का सम्बन्ध है, यह इस वर्ष के अंत तक पूरी हो जायेगी। आज से ६ महीने के भीतर यह पूरी हो जायेगी।

†**श्री दासप्पा** : क्या टाटा जैसे गैरसरकारी उद्योग नहीं हैं जहां अविरत रूप से यह विश्लेषण किया जा रहा हो?

†**श्री म० मो० दास** : जी, नहीं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक गवेषणा परिषद् के माध्यम से भारत सरकार की राष्ट्रीय धातुकर्मिक प्रयोगशाला, जमशेदपुर, में यह विश्लेषण किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[11]Low shaft furnace.

†श्री रामनाथन् चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सैलम में इस्पात का कारखाना स्थापित करने का सरकार का निश्चय लौह अयस्क सम्बन्धी प्रयोगों के परिणाम पर निर्भर है, क्या सरकार उपयुक्त कार्यवाही कर विश्लेषण में शीघ्रता करने का प्रयत्न करेगी?

†श्री म० मो० दास : माननीय सदस्य यह अनुभव करेंगे कि लौह अयस्क का विश्लेषण अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इसके परिणाम पर ही लोहे तथा इस्पात कारखाने की स्थापना आश्रित है। इस अयस्क के बारे में महत्वपूर्ण विश्लेषण एवं जांच की जायेगी। इस कार्य में कुछ समय की आवश्यकता है।

अनाज का संग्रह[12]

†*११०२. श्री सुबोध हांसदा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल की आदिम जातियों के लिये अनाज संग्रह करने के लिये ग्रेन गोला भाण्डागार के लिये १६५७–५८ में सहायता अनुदान स्वीकृत किया है;

(ख) क्या १६५६–५७ में इस प्रकार का अनुदान स्वीकृत किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो यह रकम कितनी थी?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) १६५६–५७ में द्वितीय पंच वर्षीय योजना के राज्यकीय सैक्टर के अन्तर्गत २५,६५० रुपये और केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत ७१,८०० रुपये स्वीकृत किये गये थे।

१६५७–५८ में राज्यकीय सैक्टर के अन्तर्गत ७१,१५० रुपये और केन्द्र द्वारा आरम्भ किये गये कार्यक्रम के अन्तर्गत ७८,७५० रुपये स्वीकृत किये गये थे।

†श्री सुबोध हांसदा : पश्चिमी बंगाल में यह खर्च किस विधि से आवंटित किया गया था और वहां कितने गोला खोले गये हैं?

†श्रीमती आल्वा: पश्चिमी बंगाल में गोला की कुल संख्या उपलब्ध नहीं है। किन्तु १६५६–५७ और १६५७–५८ में दी जाने वाली साहयता के सम्बन्ध में हमारे पास आंकड़े हैं। यदि अमुमति हो तो मैं पढ़ दूं। १६५६–५७ में १२ गोले थे और १६५७–५८ में इनकी संख्या बढ़कर १६ हो जायेगी। अतः इन दो वर्षों में १६ गोले खोल दिये जायेंगे।

†श्री सुबोध हांसदा : क्या यह सच है कि पर्याप्त निधि के अभाव में इन गोलों का कार्य असंतोषजनक ढंग से चल रहा है?

†श्रीमती आल्वा : राज्यों और केन्द्र दोनों की ओर से ही निधियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। जिन मामलों में केन्द्र राज्यों को सहायता देता है तो उसका आधार ५० प्रतिशत रहता है। इनके अतिरिक्त गोलों के निर्माण के लिये केन्द्र द्वारा आरम्भ किया जाने वाला कार्यक्रम है।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या केन्द्र द्वारा १६६५–५७ में स्वीकृत पचास प्रतिशत अनुदान पूर्णरूपेण खर्च कर दिया गया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[12]Storage of grains.

†**श्रीमती आल्वा** : यह पूरा खर्च हो गया है।

†**श्री रंगा** : अनाज को उचित मूल्य पर बेचने की आशा में उन लोगों को अपना अनाज भांडा गारों में संग्रह करने देने के सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है ?

†**श्रीमती आल्वा** : सहकारिता के आधार पर। हम सहकारी अनाज गोला आरम्भ कर रहे हैं और जब भी आवश्यक होता है हम सहकारिता के आधार पर उनकी सहायता करते हैं।

†**श्री सुबोध हासदा** : क्या सरकार भविष्य में निधि आवंटन बढ़ाने का विचार रखती है ?

†**श्रीमती आल्वा** : जी, हां। यह असंदिग्ध रूप में नियत कर दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कल्याण के लिये योजना के राज्य सैक्टर के अन्तर्गत १३२.९६ लाख रुपये का उपबंध किया गया है और राज्य सरकारों ने ४५ अनाज गोला खोलने के लिये ५.४१ लाख रुपये का उपबंध किया है।

शिकायतें

†*११०३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या गृह-कार्य मंत्री लोक सभा के पटल पर निम्न जानकारी बताने वाला एक विवरण रखने की कृपा करेंगे :

(क) १९५५-५६ और १९५६-५७ में केन्द्रीय सरकार द्वारा अखिल भारतीय संवर्ग के अधिकारियों के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उनकी जांच की गई;

(ख) इन शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई;

(ग) दण्डित किये गये अधिकारियों और मुअत्तिल शुदा अधिकारियों का पद तथा उनमें से प्रत्येक के विरुद्ध की गई कार्यवाही; और

(घ) जांच पड़ताल के पश्चात दोस मुक्त घोषित किये गये अधिकारियों की संख्या ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अपेक्षित जानकारी वाला विवरण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ७९]

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : जांच किये गये १३ मामलों में से सात पदाधिकारी दोषमुक्त किये गये हैं क्योंकि शिकायतें गलत थीं। क्या झूठी शिकायतों करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है?

†**श्री दातार** : अधिकांश शिकायतें गुमनाम थी अतः इन व्यक्तियों का पीछा करना अत्यंत दुष्कर था। फिर भी सरकार ने शिकायतों की जांच की है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : १७ शिकायतें में से केन्द्रीय सरकार ने केवल एक के बारे में जांच की और वह भी समाप्त कर दी गई। क्या न्यायिक जांच की गई थी और शिकायत का क्या स्वरूप है।

†**श्री दातार** : इस विशिष्ट मामले में हमने विशेष पुलिस प्रतिष्ठान की सहायता से जांच कराई थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्रीनारायण दास** : शिकायत किस प्रकार की थी?

†**श्री दातार** : इन शिकायतों में से अधिकांश बहुत मामूली थीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य श्री श्रीनारायण दास ने उस मामले के बारे में पूछा है जिसकी विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने जांच की थी?

†**श्री दातार** : इस अधिकारी के विरुद्ध दुर्व्यवहार का आरोप था।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने गुमनाम शिकायतों की जांच नहीं करने की नीति त्याग दी है?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : अनेक बार गुमनाम शिकायतों में ब्यौरा और विस्तृत जानकारी देने पर जांच की जाती है। इस प्रकार की विस्तृत जानकारी की उपेक्षा नहीं की जाती है। अन्यथा अस्पष्ट और सामान्य कथन की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

†**श्री त्यागी** : क्या इस प्रकार की जांच गुप्त रूप में तथा विभागीय स्तर पर नहीं की जा सकती है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : जी, हां। ऐसा ही किया जाता है। वे सदैव विशेष पुलिस प्रतिष्ठान को निर्दिष्ट कर दी जाती हैं।

†**श्री हेम बरुआ** : १७ मामलों में से ६ राज्य सरकारों के पास जांच के लिये भेज दिये गये थे। क्या जांच के पश्चात् राज्य सरकारों ने अपनी उपपतियों के बारे में भारत सरकार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की है?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : यह शिकायत के स्वरूप पर निर्भर है। कई बार और बहुधा राज्यों में नियोजित अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें की जाती हैं और केवल राज्य ही अनुशासन से सम्बद्ध शिकायतों पर विचार करने का अधिकार रखते हैं। अतः ये शिकायतें उनसें निर्दिष्ट कर दी जाती हैं। वे या तो इसका निबटारा कर देते हैं अथवा यदि शिकायतें गम्भीर हुईं तो जांच के पश्चात् निष्कर्ष के बारे में हमें रिपोर्ट देने के लिये उनसे कहा जाता है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : इन १७ शिकायतों में से कितनी गुमनाम थीं और कितनी पुलिस की कार्यवाही के परिणामस्वरूप की गई थीं ?

†**श्री दातार** : अधिकांश गुमनाम ही थीं। केवल एक शिकायत करने वाले ने ही अपना नाम प्रगट किया है।

अनुसूचित आदिम जातियां

†*११०४. **श्री रा० ज० राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस प्रश्न की जांच की है कि ईसाई धर्म अपनाने वाले अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्य भारत के संविधान के अनुच्छेद ४६ के अन्तर्गत सुरक्षा के अधिकारी होंगे ;

(ख) क्या उन्हें छात्रवृत्तियों आदि के रूप में शैक्षिक सुविधायें दी जायेंगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या उन्हें नियुक्तियों के मामले में अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों जैसा ही समझा जायगा; और

(घ) १९५६ में और जून, १९५७ के अन्त तक ऐसी कितनी नियुक्तियां, यदि कोई हों, की गई ?

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). चूंकि आदिम जातियों को धर्म के आधार पर अनुसूचित नहीं किया गया है इसलिये किसी आदिम जाति के एक बार अनुसूचित आदिम जाति अधिसूचित किए जाने पर उसके सदस्यों द्वारा ईसाई धर्म अपनाए जाने के पश्चात भी वे संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित आदिम जातियों के लिए विशेष रूप से उपबन्धित रियायतें और विशेषाधिकारों के, शैक्षणिक सुविधायें और सेवाओं में रक्षण को सम्मलित करते हुए, अधिकारी रहते हैं।

(घ) अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों की नियुक्ति के संबंध म पृथक् आंकड़े धर्म के आधार पर नहीं रखे जाते हैं।

†**श्री दासप्पा** : क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के अनुसूचित किए जाने संबंधी उपबन्ध संविधान के अन्तर्गत समान नहीं हैं?

†**श्रीमती आल्वा** : वे समान ही हैं।

†**श्री नाथ पाई** : क्या माननीय गृह-मंत्री इससे सहमत नहीं हैं कि व्यवहार में अत्यधिक भेद है ? पिछले दिन ही उत्तर दिया गया था जब अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधियों ने एक शिकायत की थी, कि जब वे बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो उनके सब विशेषाधिकार समाप्त हो जाते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : अनुसूचित जातियों की जातियां होती हैं। अनुसूचित आदिम जातियों की कोई जातियां नहीं होती। एक मामले में उन्हें किसी धर्म के आधार पर सूचीबद्ध नहीं किया जाता वरन् केवल इस कारण कि वे किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों में रहने वाली आदिम जातियां हैं। दूसरे मामले में उन्हें जातियों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाता है।

†**श्री तिम्मय्या** : क्या माननीय गृह-मंत्री इसका कोई अन्दाजा करा सकते हैं कि प्रतिवर्ष औसतन कितने लोग—अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग—धर्म-परिवर्तन करते हैं? क्या सरकार ने इसका कारण जानने का प्रयत्न किया है कि ये लोग धर्म परिवर्तन क्यों कर रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : हमारे पास यहां आंकड़े नहीं हैं। जहां तक कारण का संबंध है, मैं समझता हूं कि जो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं और जो दूसरों का धर्म-परिवर्तन करने को उत्सुक होते हैं उसके संबंध में सहमत हो जाते हैं।

†**श्री ब० स० मूर्ति** : संविधान में जो उपबन्ध हैं उसके अतिरिक्त क्या कोई जांच की गई है कि क्या सरकारों द्वारा विभिन्न धर्मों की अनुसूचित आदिम जातियों में उनके कल्याण के लिए सहायता देने के मामले में कोई भेदभाव किया जा रहा है?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : राज्य सरकारों को आदिवासी प्रदेशों के समस्त सदस्यों के साथ, चाहे वे किसी भी भाग में रहते हों, समान आधार पर व्यवहार करने और किसी वर्ग के प्रति किसी प्रकार का द्वेष उत्पन्न करने वाला भेदभाव न करने की हिदायत दे दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

युद्ध सामग्री कारखानों का आधुनिकीकरण

†*११०५. **श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि नई परियोजनाओं पर तथा युद्ध सामग्री कारखानों में संयंत्र और मशीनों के बदले जाने तथा आधुनिकीकरण पर ४० करोड़ रुपए का विनियोजन करने के लिये क्या किसी योजना के संबंध में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़)** : ४० करोड़ रुपये की अनुमानित राशि निम्नलिखित कार्यों पर व्यय के लिए है :

(१) युद्ध सामग्री कारखानों में पुरानी और बेकार संयंत्र तथा मशीनों का बदला जाना/आधुनिकीकरण।

(२) युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन क्षमता का आधुनिकीकरण/विस्तार।

पुराने व बेकार हो गए संयंत्र व मशीनों को थोड़ा थोड़ा करके बदलने के लिए एक पंचवर्षीय योजना बनाई गई है। इसके आधार पर अपनी तुरन्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है।

जहां तक नई परियोजनाओं का संबंध है, युद्ध सामग्री कारखानों में उत्पादन क्षमता के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए अनेक प्रस्ताव अन्तिम निर्णय की स्थिति में हैं।

†**श्री मानवेन्द्र शाह** : क्या माननीय मंत्री नई परियोजनाओं से संबंधित प्रस्ताव लोक-सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या नई परियोजनाओं की सूची लोक-सभा पटल पर रखी जायगी?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)** : उसका विचार उनका अंतिम रूप से निर्णय हो जाने पर किया जायगा।

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या इस आधुनिकीकरण योजना से प्रवीण श्रमिकों को रोजगार मिलने की संभावनायें बढ़ जायेंगी?

†**सरदार मजीठिया** : मैं इस समय उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। निस्संदेह आधुनिकीकरण का अर्थ अधिक सुचारु कार्यकरण होता है ।

श्री स० म० बनर्जी उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय उपमंत्री के पास इसकी जानकारी नहीं है, अब इसे खत्म करिए। जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछते हैं उन्हें भय है कि आधुनिकीकरण के फलस्वरूप कुछ लोगों को नौकरी से अलग कर दिया जायगा और इसलिए वह जानना चाहते हैं कि क्या उससे रोजगार की संभावनायें बढ़ जायेंगी।

राज्य पुनर्गठन आयोग

†*११०८. **श्री मनायन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य पुनर्गठन आयोग कि भाषा-भाषी वर्गों, जो विभिन्न राज्यों में अल्प संख्या में हैं, से संबंधित सिफारिश कब लागू की जायगी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्यों उन्हें इस बात की जानकारी है कि दार्जिलिंग में नेपालियों का पश्चिमी बंगाल राज्य के अन्तर्गत एक ऐसा भाषा-भाषी वर्ग है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ऊपर निर्दिष्ट की गई सिफारिशों को दार्जिलिंग में किस तरह लागू करना चाहती है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों के संबंध में की गई सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा किए गए निर्णय एक स्मरणपत्र में सन्निहित थे जो ४ सितम्बर, १९५६ को लोक सभा पटल पर रखा गया था और उसकी प्रतियां राज्यों को कार्यान्वियन हेतु १९-९-१९५६ को भेजी गई थीं।

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से इन निर्णयों को क्रियान्वित करने की आशा की जाती है। जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ३५० (ख) में उपबन्ध है, भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी नियुक्त किया गया है जिसका कर्तव्य भाषाभाषी अल्पसंख्यकों के लिए संविधान के अन्तर्गत उपबन्धित परित्राणों से संबंधित मामलों की जांच करना और इन मामलों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना होगा।

†**श्री मनायन** : यह सिफारिश की गई है कि भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों को राज्य-सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। क्या सरकार दार्जिलिंग के इन भाषा-भाषी अल्पसंख्यकों को केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में भी प्रतिनिधित्व देने का विचार करेगी?

†**श्री दातार** : वह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है; भाषा-भाषी परित्राणों में सेवाओं में रक्षण सम्मिलित नहीं है।

†**श्री मनायन** : राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में सन्निहित सिफारिश यह है कि अल्पसंख्यकों को राज्य सेवाओं में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या ऐसी सुविधायें केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के मामले में भी दी जायेंगी?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को यह बता दूं कि यहां हमारा संबंध भाषा-भाषी परित्राणों से है। एक पदाधिकारी नियुक्त किया जा चुका है जिसका कर्तव्य भाषा-भाषी परित्राण प्रदान किए जाने अथवा प्रदान किए जाने में चूक से संबंधित किन्हीं भी शिकायतों की जांच करना होगा। उनमें सेवाओं में रक्षण नहीं सम्मिलित है।

†**श्री श्रीनारायण दास** : क्या सरकार इस मामले में सरकार को मंत्रणा देने के लिए एक मंत्रणा समिति नियुक्त करने का विचार रखती है ?

†**श्री दातार** इस समय इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती है।

†**श्री आचार** : क्या उस पदाधिकारी ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

†**श्री दातार** : पदाधिकारी नियुक्त कर दिया गया है जिसका कर्तव्य स्थायी है। कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रतिवेदन वर्ष के अन्त में प्रस्तुत किया जायगा।

†**श्री याज्ञिक** : क्या उस पदाधिकारी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है?

†**श्री दातार** : जी हां, गत मास में।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनायन** : क्या यह सच है कि दार्जिलिंग में निम्न वर्ग के न्यायालयों में अभी भी अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है ? राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन की इस सिफारिश को ध्यान में रखते हुए कि निम्न वर्ग के न्यायालयों में प्रादेशिक भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए क्या दार्जिलिंग में निम्न वर्ग के न्यायालयों में अंग्रेजी के स्थान पर प्रादेशिक भाषा को स्थान दिया जायगा?

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वह इस मामले के संबंध में इस पदाधिकारी से अभ्यावेदन करें।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन

†*११०९. **श्री ब० स० मूर्ति** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त के पांचवें वार्षिक प्रतिवेदन में उठाए गए प्रश्नों पर राज्य सरकारों के साथ लिखा पढ़ी की गई थी; और

(ख) यदि हां, दो राज्यों के क्या विचार है?

†**गृह-कार्य उपमंत्री ((श्रीमती आल्वा)** : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण लोक सभा-पटल पर रखा जा चुका है।

†**श्री हेम बरुआ**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आयुक्त की एक सिफारिश यह है कि उत्तर पूर्वी सीमान्त अभिकरण क्षेत्रों में पर्याप्त मात्रा में जीवनोपयोगी वस्तुओं और स्टाक का संभरण सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए क्योंकि खराब मौसम के दिनों में विमानों से खाद्य सामग्री गिराना संभव नहीं होता हाल में १९ तारीख को एक डकोटा नष्ट हो गया था।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न क्या है ?

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार आयुक्त के प्रतिवेदन की इस विशेष सिफारिश को लागू करने जा रही है?

†**श्रीमती आल्वा** : उस प्रश्न पर विचार किया जायगा।

†**श्री तिम्मय्या** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह प्रतिवेदन सभा-भवन में हमेशा बहुत देर से प्रस्तुत किया जाता है, क्या सरकार उसको प्रतिवर्ष बजट-सत्र में सभा-भवन में प्रस्तुत करने के संबंध में विचार करेगी?

†**श्रीमती आल्वा** : उनको समय में प्रस्तुत करने का प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है परन्तु कुछ कठिनाइयां हैं जो माननीय सदस्य को मालूम होनी चाहिएं।

†**श्री याज्ञिक** : १९५५ के प्रतिवेदन पर लोक सभा द्वारा कब विचार किया जायगा ?

†**श्रीमती आल्वा** : पिछले दिन सदन में यह कहा गया था कि जैसे ही वह तैयार हो जायगा, वह लोक-सभा पटल पर रख दिया जायगा।

†**श्री याज्ञिक** : क्या १९५५ और १९५६ के प्रतिवेदनों को एक साथ लिया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री से पूछने से क्या लाभ है ? यह तो सदन से पूछा जाना चाहिए।

†**हेम बरुआ :** मैं माननीय उपमंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस सिफारिश पर विशेष रूप से विचार किया जाय क्योंकि यह जीवन-मरण का प्रश्न है ?

†**श्रीमती आल्वा :** मैंने कहा है कि इस पर विचार किया जायेगा ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कल्याण सेवाओं का समन्वय

†*१०८६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित जानकारी दी गई हो :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों बच्चों और असमर्थों के लिए कल्याण सेवाओं के समन्वय कार्य-क्रम का निश्चित स्वरूप;

(ख) सामुदायिक विकास खंडों के राज्य-वार आंकड़े जिनमें यह कार्य-क्रम पहले प्रारंभ किया जायगा ;

(ग) क्या कहीं कोई शुरुआत की गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसी शुरुआत किस स्थान में की गई है; और

(ङ) कार्यक्रम का वित्तीय पहलू?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) से (ङ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है जिसमें आवश्यक सूचना दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८०]**

करेन्सी नोट

†*१०९०. **श्री विभूति मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने करेंसी नोटों के परिचालन में रहने की कोई अवधि निश्चित की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी अवधि निश्चित की गई है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** (क) और (ख). सरकार ने करेन्सी नोट के परिचालन में रहने की कोई अवधि निश्चित नहीं की है। सामान्यत: करेन्सी नोट तब तक परिचालन में रहते हैं जब तक उनकी दशा ठीक रहती है।

विश्वविद्यालयों में सूचना-केन्द्र

†*१०९८. **श्री संगण्णा :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दूसरी पंचवर्षीय योजना के महत्व की व्याख्या करने के लिए निवास-विश्वविद्यालयों में सूचना केन्द्र स्थापित करने के किसी प्रस्ताव का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) निवास विश्वविद्यालयों में सूचना केन्द्रों की स्थापना के लिए योजना संबंधी मूलभूत पुस्तक-सामग्री और आर्थिक विकास संबंधी सामान्य पुस्तकें खरीदने के लिये व्यय के प्राक्कलन योजना आयोग के साथ परामर्श से तैयार किए जा रहे हैं।

पनागर बेस एरिया[13] में परती भूमि

†*११००. श्री क० कृ० दास : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल में पनागर बेस एरिया में बहुत सी धान की खेती योग्य भूमि परती पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी समस्त भूमि का कुल क्षेत्रफल मालूम करने और उसे किसी भी व्यवस्था के अन्तर्गत, जो सरकार उपयुक्त समझे, स्थानीय भूमिहीन किसानों को देने की संभावना की कोई जांच कराई है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ वर्ष पूर्व यह धान की खेती की भूमि खेती के लिए पट्टे पर दी जाती थी; और

(घ) यदि हां, तो यह बन्द क्यों कर दिया गया और ऐसे पट्टेधारियों से कितना वार्षिक लगान मिलता था ?

†प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव (श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ). जी हां। १९५५ तक ५६९.१७ एकड़ कृषियोग्य भूमि नीलामी द्वारा ९७० रुपए वार्षिक लगान पर ५ वर्ष के लिए पट्टे पर दी जाया करती थी।

पश्चिमी बंगाल सरकार के साथ परामर्श से यह निर्णय किया गया कि इस भूमि को आगे से पट्टे पर नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अस्थायी तौर से पट्टे पर दी गई भूमि को बाद में सेना के प्रयोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर वापस प्राप्त करने में समान्यतः कठिनाइयों का अनुभव किया जाता है।

प्रादेशिक परिषद्[14]

११०६. श्री दशरथ देब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा और मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रादेशिक परिषद के सदस्यों की अभी तक बैठक न बुलाए जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) त्रिपुरा और मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रादेशिक परिषद का प्रथम सत्र किस तारीख और समय तक आमंत्रित किया जायगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[13]Panagar Base Area.

[14]Territorial Councile.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) यह वांछनीय समझा गया कि हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के तीन संघ राज्य-क्षेत्रों की प्रादेशिक परिषदों का निर्माण एक साथ किया जाय। चूंकि हिमालच प्रदेश की प्रादेशिक परिषद के चुनाव १ जुलाई, १९५७ को ही समाप्त हुए थे और चूंकि प्रादेशिक परिषदों का निर्माण किया जाने से पूर्व कुछ प्रारम्भिक कार्यवाहियां पूरी की जानी थीं इन परिषदों का १५ अगस्त, १९५७ के पूर्व निर्माण किया जाना संभव नहीं था।

(ख) त्रिपुरा की प्रादेशिक परिषद की पहली बैठक १५ अगस्त, १९५७ को हुई थी। मनीपुर की प्रादेशिक परिषद का निर्माण भी १५ अगस्त, १९५७ से हो गया है और उसकी बैठक २-९-१९५७ को होगी।

अनुसूचित जातियां

†*११०७. श्री अय्याकण्णु : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों के काफी लोगों ने विशेष भारतीय प्रशासकीय सेवा परीक्षा पास कर ली है, क्या इस भर्ती में १२½ प्रतिशत का रक्षित कोटा जारी रखा जायगा?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : अनुसूचित जातियों के लिए १२½ प्रतिशत का सामान्य कोटा रक्षित किया गया है और अंतिम निर्णय लोक-सेवा आयोग के चुनाव क्रम समाप्त कर लेने के पश्चात उनसे प्राप्त अनुमोदित सूची के आधार पर किया जायगा।

उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण अनुदान

†*१११०. श्री गणपति राम : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री लोक सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्न बातें दी गई हों :

(क) उत्तर प्रदेश में १९५६–५७ में कुल कितनी संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के अनुदान प्राप्त हुए;

(ख) १९५७–५८ में अभी तक कुल कितनी राशि आवण्टित की गई;

(ग) आवण्टन करते समय किन किन बातों का विचार किया गया; और

(घ) क्या राज्य की आबादी अथवा आकार का विचार भी किया जाता है?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) ८५।

(ख) बोर्ड ने १९५७–५८ में अभी तक १,२२,१०० रुपए मंजूर किए हैं।

(ग) प्रत्येक प्रार्थनापत्र पर उसके अपने महत्व के अनुसार विचार किया जाता है। प्रत्येक क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं का विचार किया जाता है।

(घ) नहीं, श्रीमान्।

अल्प-बचत योजना

†*१११९. श्री दामानी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत योजना के अधीन वर्ष १९५६–५७ में कुल कितनी राशि जमा की गयी है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या यह इस अवधि के लिये कूती गई राशि तक पहुंची है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) पुनरीक्षित प्राक्कलन ६५ करोड़ रुपये का था जब कि वास्तव में लगभग ६२ करोड़ रुपये जमा हुए हैं।

(ग) इस थोड़ी कमी के ठीक-ठीक कारण बताना कठिन है।

पंजाब में प्रादेशिक समितियां[15]

†*१११२. { श्री हेम राज :
श्री दलजीत सिंह :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब की प्रादेशिक समितियों के कार्य संचालन के लिये नियमों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति लोक सभा पटल पर रखी जायेगी?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : (क) नियमों का एक मसौदा तैयार किया गया है और उसकी जांच की जा रही है।

(ख) जी हां।

शस्त्रास्त्र अधिनियम[16] का संशोधन

†*१११३. { श्री श्रीनारायण दास :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने शस्त्रास्त्र अधिनियम में संशोधन करने के अपने प्रस्ताव को अन्तिम रूप प्रदान कर दिया है।

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : यह मामला विचाराधीन है ।

हिन्दी परीक्षा समिति

†*१११४. { श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में हिन्दी परीक्षाओं को मान्यता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिये जो समिति नियुक्त की गयी थी उसकी मुख्य सिफारिशों के बारे में क्या कार्यवाही की गयी है?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८१]

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]Regional Committees.

[16]Arms Act

जर्मन वैज्ञानिक गवेषणा दल

*१११५. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री २९ मई, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३४ के उत्तर के सम्बन्ध में ये बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस जर्मन वैज्ञानिक गवेषणा दल ने अपने अनुसंधानों में अब तक क्या प्रगति की है;

(ख) उनके अनुसंधान कार्य कब तक समाप्त होने की संभावना है; और

(ग) सरकार उन्हें किन शर्तों पर क्या क्या सुविधायें दे रही है?

शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) : (क) दल ने बम्बई चक्राता वन विभाग, सिवालिक पर्वत माला, उत्तर प्रदेश का बहरेच वन विभाग, तथा गारो पर्वत माला, चीरापूंजी, शीलांग, गौहाटी, पुण्य काज़ीरंग तथा गोलपुरा, असम, तथा पश्चिमी बंगाल में दारजिलिंग आदि स्थानों से कुछ नमूने एकत्रित किये हैं।

(ख) १९५७ के अन्त तक।

(ग) पूछी गई सूचना का सम्पूर्ण विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८२**]

हिमाचल प्रदेश प्रसाशन

*१११६. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से यह अपील की है कि वरिष्ठ तथा योग्य अधिकारियों की सेवायें हिमाचल प्रदेश को दी जायें;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य से कितने पदाधिकारी दिये जाने का वचन दिया गया है; और

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा अब तक कितने पदाधिकारी दिये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पंत) : (क) जी हां, मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में मुख्य मंत्रियों से यह अपील की गई थी कि संघीय राज्यों के लिए, जिनमें हिमाचल प्रदेश भी शामिल है, वे अपने अधिकारी दे कर भारत सरकार को सहयोग दें।

(ख) मुख्य मंत्रियों से किसी निश्चित संख्या में अधिकारी देने का आश्वासन नहीं लिया गया था।

(ग) हिमाचल प्रदेश को अभी तक दिए गए अधिकारियों की संख्या की सूचना एकत्र की जा रही है और वह सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय आपात-सहायता प्रशिक्षण संस्था, नागपुर

†*१११७. { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नागपुर की केन्द्रीय आपात-सहायता प्रशिक्षण संस्था पर कितना आवर्त्तक और अनावर्त्तक व्यय प्रस्ताव हुआ है; और

(ख) प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव किस ढंग से किया जाता है?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क)

आवर्त्तक[18]	**अनावर्त्तक**[19]
१,१९,००० रुपये	४९,००० रुपये

(ख) इन का चुनाव राज्य-सरकारों द्वारा अपने पदाधिकारियों और स्वेच्छा से समाज-कल्याण-कार्यों में लगे अभिकरणों द्वारा नामजद व्यक्तियों में से किया जाता है।

एशियाई विकास निधि

†*१११८. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार से एक एशियाई विकास निधि की स्थापना करने के बारे में कोई प्रस्ताव हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी जांच की जा रही है?

वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां

(ख) जी हां।

टूटे-फूटे लोहे का निर्यात

*१११९. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने जापान को टूटा-फूटा लोहा निर्यात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो प्रति मन किस भाव पर उपरोक्त टूटा-फूटा लोहा निर्यात किया जायेगा;

(ग) कितने मन के निर्यात की अनुमति दी गयी है; और

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों से टूटा-फूटा लोहा खरीदने के लिए भारत सरकार ने कोई दर निश्चित किया है?

---

†मूल अंग्रेजी में

[17]Central Emergency Relief Trading Institute.

[18]Recurring.

[19]Non-Recurring.

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) गला, टूटा-फूटा लोहा जिसका इस्तेमाल देश में नहीं किया जा सकता किसी भी बाहरी देश को भेजा जा सकता है।

(ख) बाहर भेजे जाने वाले टूटे फूटे लोहे की कीमत पर कन्ट्रोल नहीं है। इसकी कीमत ९ रुपये से १२ रुपये प्रति मन तक बदलती रहती है जोकि इसके गुणों और मांग पर निर्भर रहती है।

(ग) १९५७ में कुल मिलाकर लगभग ४० लाख मन (१४६,००० टन) टूटे-फूटे लोहेको बाहर भेजने का सुझाव है।

(घ) जी नहीं।

पोत-निर्माण का प्रशिक्षण

†*११२०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नीदरलैंड्स सरकार ने भारतीयों को पोत-निर्माण का व्यावहारिक प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या छात्रों का चुनाव पूरा हो गया है?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में संरक्षित स्मारक[३०]

†८२७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर में कुल कितने संरक्षित स्मारक हैं; और

(ख) क्या इम्फाल के छावनी क्षेत्र में स्थित कांगला (प्राचीन राज्य-भिषेक भवन) दुर्ग और मंदिर को संरक्षित स्मारकों की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) एक।

(ख) जी नहीं।

स्मारकों का हटाया जाना

†८२८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि आसाम के मुख्य-आयुक्त श्री जे० डब्ल्यू क्विन्टन और उनके अफसरों के जो १८९१ में मनीपुर की स्वतंत्रता के पिछले युद्ध में काम आये थे, स्मारकों को जो वर्तमान मुख्य आयुक्त के अहाते में खड़े हैं, हटाने का कोई प्रस्ताव है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[३०]Protective monuments.

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार): जी नहीं। जिन स्मारकों का जिक्र किया गया है वास्तव में वे कब्रों पर लगे हुए पत्थर हैं जिन पर कब्र में दफनाये गये व्यक्ति के बारे में लिखा शिलालेख खुदे हुए हैं। इम्फाल में मुख्यआयुक्त के निवास-स्थान के अहाते के भीतर इन कब्रों की एक छोटी सी कब्रगाह है और क्यों कि मृतकों के प्रति साधारणतया जो सम्मान प्रगट किया जाता है, उसकी दृष्टि से इस कब्रगाह की देखरेख आवश्यक है, इस लिये उनके हटाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

द्वितीय सामान्य निर्वाचन

†८२९. श्री आसर : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि द्वितीय सामान्य निर्वाचनों के दौरान में जो जमानतें जब्त हुई हैं उनसे कुल कितनी राशि प्राप्त हुई है ?

†विधि मंत्री (श्री अ० कृ० सेन) : राज्य-सरकारों से यह सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

राजस्थान में खनिज-सर्वेक्षण

†८३०. श्री कर्णी सिंहजी : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन राजस्थान में, विशेष रूप से जोधपुर और बीकानेर मंडलों[२१] में, खनिज संसाधनों की जांच के लिये कुल कितनी प्राक्कलित राशि व्यय करने वाली है ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : भारतीय खनि विभाग[२२] राजस्थान में खेत्री और दरीबो में तांबे के निक्षेपों और जावर में सीसे और जस्ते के निक्षेपों के बारे में जांच के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन १६.४१ लाख रुपयों की राशि व्यय करने वाला है। जोधपुर और बीकानेर मंडलों में जांच के लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

जहां तक भारत के भूतत्वीय परिमाप[२३] का सम्बन्ध है, अलग अलग राज्यों में भूतत्वीय सर्वेक्षण कार्य करने के लिये पृथक वित्तीय उपबन्ध नहीं किया जाता है, वरन् प्रत्येक राज्य का व्यय विभाग के स्वीकृत अनुदान से पूरा कर दिया जाता है।

दिल्ली के कालेजों में फीस की पेशगी वसूली

†८३१. श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों से भर्ती के ही समय कुछ महीनों का शुल्क पेशगी वसूल कर लेते हैं जो कुल मिलाकर सौ रुपये से भी अधिक बैठता है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस नियम के फलस्वरूप कई छात्र रुपया न होने की वजह से कालेजों में अपने नाम नहीं लिखा सके ?

---

† मूल अंग्रेजी में

[२१]Divisions.

[२२]Indian Bureau of Mines.

[२३]Geological Survey of India.

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी हां। दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेज आम तौर पर पहले बार नाम लिखाने पर मई, जून, जुलाई और अगस्त का शुल्क वसूल लेने की प्रथा का पालन करते आ रहे हैं और यह सभी छात्रों पर लागू होती है, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्र भी शामिल हैं। लेकिन, अधिकांश कालेजों में अनुसूचित जातियों के छात्रों को शुल्क जमा करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक या दो कालेजों में छात्रों ने शुल्क जमा कर दिया था और बाद में उसे छात्रों को लौटा दिया गया।

(ख) रजिस्ट्रार द्वारा दी गयी जानकारी से प्रतीत होता है कि ऐसा छात्र एक भी न होगा जो शिक्षा-शुल्क जमा करने के लिये रुपया न होने के कारण अपना नाम न लिखा सका हो। यहां तक कि जिन छात्रों के लिये शुल्क-जमा करना संभव नहीं था उनको भी प्रिंसिपलों ने किश्तों में शुल्क जमा करने की अनुमति दे दी थी।

निवेली परियोजना के लिये खनन उपकरणों का आयात

†८३२. **श्री धर्मलिंगम्** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में निवेली परियोजना के लिये खनन उपकरण विदेशों से मंगाये गये थे;

(ख) यदि हां, तो ये किन देशों से मंगाये गये थे; और

(ग) इनकी कीमत कितनी थी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). इन उपकरणों के आयात का विवरण इस प्रकार है :

देश	कीमत
(१) ब्रिटेन से . . .	२५ लाख रुपये
(२) अमरीका से .	२० लाख रुपये
जोड़	४५ लाख रुपये

कृष्णा जिले का सर्वेक्षण

†८३३. **श्री मं० वें० कृष्णराव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में जग्गैयापेट क्षेत्र का सर्वेक्षण कर लिया गया है;

(ख) उस क्षेत्र में कौन-कौन से खनिज पदार्थ पाये गये हैं; और

(ग) इनका परिमाण कितना होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) भारत के भूतत्वीय परिमाप ने १९५२–५३, १९५३–५४ और १९५४–५५ में इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था ।

(ख) लौह अयस्क और चूने का पत्थर ।

(ग) भारत के भूतत्वीय परिमाप के प्राक्कलनों के अनुसार १,३२५,००० टन लौह-अयस्क और २६,९००,००० टन चूने के पत्थर के निक्षेप हैं ।

आसाम में समाज-कल्याण संस्थायें

†८३४. श्रीमती मफीदा अहमद : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने १९५६–५७ में आसाम की प्रत्येक समाज कल्याण संस्था को कितने-कितने सहायक-अनुदान दिये हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८३]

पुनर्वित्त निगम[१४]

८३५. श्री मानवेन्द्र शाह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्वित्त निगम की स्थापना हो गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इसके कृत्य क्या हैं ?

†वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :(क) जी नहीं; अभी नहीं ।

(ख) प्रस्तावित निगम का प्रारम्भिक कृत्य और गैर-सरकारी क्षेत्रों की मध्यम-आकार की औद्योगिक इकाइयों के उपयोग के लिये संसाधनों में वृद्धि करना होगा । इस प्रयोजन के लिये निगम इन मध्यम आकार के उपक्रमों को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों पर पुनः उधार देने की सुविधाओं का प्रबन्ध करेगा ।

भारतीय वायु-सेना के प्रशिक्षणार्थी

†८३६. श्री दी० चं० शर्मा : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वायु-सेना का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कितने भारतीयों को १९५६–५७ में और १९५७–५८ में अब तक विदेश भेजा गया है; और

(ख) उन्हें किन देशों में भेजा गया है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क)

१९५६–५७	२०४
१९५७–५८ में (३१–७–१९५७ तक)	८२

(ख) ब्रिटेन, अमरीका, फ्रांस और इटली ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[१४]. Re-finance Carporation.

सांची

†८३७. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांची की देख रेख पर १९५६–५७ में कितना धन व्यय किया गया था ; और

(ख) १९५७–५८ में कितना धन व्यय हुआ है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) ३३,५१५ रुपये ।

(ख) ५२,९०० रुपये ।

मनीपुर जेल में अभियोगाधीन कैदी[15]

†८३८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर जेल में इस समय कितने अभियोगाधीन कैदी हैं ;

(ख) ऐसे कैदियों की संख्या कितनी है जो क्रमशः ३ महीने और ६ महीने से भी अधिक अवधि से जेल में हैं ; और

(ग) क्या इनके मुकदमों में शीघ्रता कराने के लिये कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) ८६ ।

(ख) तेरह तीन महीने से अधिक और सात छः महीने से अधिक अवधि से हैं ।

(ग) सभी मुकदमों का निबटारा यथासम्भव शीघ्रतापूर्वक कराने का पूरा प्रयास किया जाता है ।

कृषि-ऋण

†८४०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय कृषि-ऋण (दीर्घकालीन प्रवर्त्तन) निधि की स्थापना के बाद से अब तक राज्य-सरकारों के लिये निधि में से कुल कितना ऋण मंजूर किया है और

(ख) राज्य सरकारों ने मंजूर किये गये ऋण में से अब तक कुल कितनी राशि ली है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** (क) और (ख). ३ फरवरी, १९५६ को निधि की स्थापना के बाद से ३१ जुलाई, १९५७ तक २८९.७० लाख रुपयों के ऋण मंजूर किये गये हैं जिनमें १९५७–५८ में मंजूर किये गये २१.५० लाख रुपयों के ऋण भी शामिल हैं । इस राशि में से १९५६–५७ में राज्य-सरकारें १६०.४५ लाख रुपये ले चुकीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[15]. Under trial prisoners.

स्थिर किराया[26]

†८४१. **श्री मतीन :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कोयले वाले विशाल क्षेत्रों के पट्टा–धारियों को प्रत्येक वर्ष सम्बन्धित राज्य-सरकार को, जो उनकी मुख्य पट्ट-दाता है, बहुत बड़ी राशि न्यूनतम या स्थिर किराये के रूप में देनी पड़ती है;

(ख) क्या सरकार उन अक्षत कोयला क्षेत्र धारियों[27] को प्रतिकर देने वाली है जो अपनी मिल्कियत पर काम करने को उत्सुक हैं लेकिन कोयला-बोर्ड द्वारा जिन्हें ऐसा करने से रोका जाता है, लेकिन फिर भी वे सरकार के अंतिम अर्जन कार्यक्रम में शामिल न किये जाने के कारण कोयला-क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम के अधीन प्रतिकर पाने के अधिकारी नहीं होते;

(ग) क्या उन क्षेत्रों के पट्टाधारियों को कोई अन्तर्कालीन प्रतिकर देने का विचार किया जा रहा है जिनको सरकार ले तो नहीं रही है लेकिन जिन में पहले खोज, अर्जन संबंधी प्रक्रियाओं और न्यूनतम अधिकार-शुल्क आदि के सम्बन्ध में काफी खर्च किया जा चुका है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) इन राशियों के संबंध में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है। जानकारी एकत्र करने में जो समय और श्रम लगेगा वह उस से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुरूप नहीं होगा ।

(ख) जी नहीं। कोयला बोर्ड नियमों के अनुसार खोलने की अनुमति देता है। इस प्रकार की अनुमति देने से इंकार हो जाने पर उस पक्ष को सरकार से प्रतिकर पाने का अधिकार नहीं होता। कोयला-क्षेत्र (अर्जन तथा विकास) अधिनियम के अधीन सरकारी क्षेत्र के लिये उस भूमि को प्राप्त करने में भी हो सकता है कि सरकार की दिलचस्पी न हो ।

(ग) जी नहीं। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्टाफ कार

८४२. **श्री सरजू पाण्डे :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के प्रत्येक मंत्री के पास स्टाफ कारों को मिला कर कितनी कारें हैं; और

(ख) वैधानिक तौर पर एक मंत्री अपनी कारों से कितने मील तक की यात्रा कर सकता है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). मंत्रियों के (वेतन तथा भत्ते) अधिनियम १९५२ और उस के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार सरकार मंत्रियों को कोई कार नहीं देती है। फिर भी भारत सरकार के मंत्रालयों के पास कुछ स्टाफ कारें हैं जिन का प्रयोग इस काम के लिये बनाये गये नियमों के अनुसार होता है।

सरकारी कर्मचारी

†८४३. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप राज्य-सरकारों अथवा भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्तियों को (१) फालतू घोषित किया, (२) कितनों की छंटनी कर दी या (३) कितनों का पद अथवा वेतन घटा दिया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[26]. Dead rent.

[27]. Holders of Virgin Coal-bearing areas.

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशी फर्में

८४४. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी नई विदेशी फर्मों ने १९५६–५७ में भारत में पूंजी लगायी है; और

(ख) क्या पहले से ही भारत में मौजूद विदेशी फर्मों ने भी इसी अवधि में अपनी विनियोजित पूंजी में वृद्धि की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) यह बात मान ली जाती है कि तात्पर्य उन विदेशी फर्मों द्वारा लगायी गयी पूंजी से है जो भारत में नया नया व्यापार शुरु कर रही हैं, सरकार को पता नहीं है कि अप्रैल, १९५६ से लेकर मार्च, १९५७ तक किसी विदेशी फर्म ने भारत में नये सिरे से अपनी शाखा की स्थापना की है, इसलिये इस प्रकार नये सिरे से कुछ भी पूंजी नहीं लगायी गयी है ।

(ख) इस अवधि में विदेशी फर्मों की पहले से ही मौजूद शाखाओं ने नकद ३·७३ लाख रुपयों की नयी पूंजी लगायी है। लाभ के फिर से लागाये जाने या माल के रूप में लगायी गयी पूंजी के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

विश्वविद्यालयों को अनुदान

†८४५. **श्री पु० र० पटेल** : क्या **शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५१–५२ से ले कर १९५७–५८ में अब तक प्रत्येक वर्ष में देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को अनुदान और ऋणों के रूप में कितनी कितनी राशि दी गयी है ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कर्मचारी

†८४६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १५ अगस्त, १९४७ से लेकर १५ अगस्त, १९५७ तक केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारी सरकारी रुपया ले कर पाकिस्तान भाग गये ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र पटल पर रख दी जायेगी ।

सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति[२८]

†८४७. **श्री नौशीर भरूचा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की १९४८–४९ की गतिविधियों में भाग लेने के लिये जिन सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया था उन्हें पुनः नियुक्त करने के बारे में सरकार ने क्या निश्चय किया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[२८] Re-emyployment

(ख) क्या यह सच है कि यदि वे कर्मचारी औपचारिक रूप से उन विभागों के अधिकारियों को आवेदन पत्र भेजें जहां वे नौकरी से निकाले जाने से पूर्व काम करते थे तो सरकार उन्हें पुनः नियुक्त करने के लिये (बहाल करने के लिये नहीं) तैयार है;

(ग) ऐसे कितने व्यक्तियों ने आवेदन पत्र भेजे और कितनों को पुनः नियुक्त किया गया है; और

(घ) क्या इन कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति के लिये कोई कसौटी निर्धारित की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क), (ख) और (घ). यह निश्चय किया गया है कि इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उन की बाद की गतिविधियां ऐसी न हों जिन से वह सरकारी सेवा के लिये अनर्ह हो, १९४८–४९ में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने और उस के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से अलग करने अथवा निकाले जाने को उस की सरकारी सेवा में पुनः नियुक्ति के लिये स्थायी रुकावट नहीं माना जायेगा । अतः उपयुक्त रिक्त स्थान होने पर अन्य उम्मीदवारों के साथ ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्त करने के बारे में भी विचार किया जा सकता है ।

(ग) अपेक्षित जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है ।

ए० एस० सी० (सहायक सेना दल) के कर्मचारी

†८४८. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सहायक सेना दल सप्लाई डिपोज में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की कार्यवाही की गई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभासचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़)**: (क) और (ख). इस प्रश्न की जांच की जा रही है कि यदि किन्हीं वर्गों को नियमित सेवा में लाया जाये तो किन वर्गों को ।

वित्त मंत्री के लिये चार्टर्ड विमान

†८४९. **श्री सम्पत** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में करनूल में एक मैडिकल कालेज का उद्घाटन करने जाते समय वित्त मंत्री एक विशेष चार्टर्ड विमान में हैदराबाद गये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना खर्च हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)** : (क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा भारतीय विमान बल के हवाई जहाजों के प्रयोग सम्बन्धी नियमों के अनुसार २० जुलाई, १९५७ को वित्त मंत्री के हैदराबाद और करनूल के दौरे और २२ जुलाई, १९५७ को हैदराबाद से वापसी के लिये एक विमान अधिगृहीत किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस मामले में प्रतिरक्षा मंत्रालय मंत्रिमंडल अनुदान (संख्या ५२—उप शीर्ष "क—३ दौरे के खर्च") में विकलन करेगा ।

पिछड़े वर्गों में नेपालियों की गिनती

†८५०. **श्री मनायन:** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नैपालियों को शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों में शुमार किया जाता है और क्या उन्हें अनुसूचित जातियों; अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं की सुविधायें दी जाती हैं; और

(ख) जब से उपरोक्त योजना आरम्भ हुई है तब से कितने और किस किस वर्ग के नेपाली विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत "नैपाली" जाति को आसाम, पश्चिमी बंगाल और सिक्कम में, 'अन्य पिछड़े वर्ग' में शुमार किया जाता है ।

(ख) १९५३–५४ के पश्चात् की जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८४]

केन्द्रीय छात्रवृत्तियां

†८५१. **श्री ज० रा० मेहता :**
श्री पांगरकर :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) १९५६–५७ में कितने विद्यार्थियों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां दी गयीं; और

(ख) उन में से बम्बई राज्य के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने विद्यार्थी थे ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

†८५२. **श्री जीनचन्द्रन् :**
श्री इ० ईयाचरण :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६–५७ और १९५७–५८ में केरल की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान बनाने के लिये कितनी राशि दी गई और अब तक उस में से कितनी कितनी राशि खर्च की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या केरल सरकार ने १९५७–५८ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये किसी आवास योजना की सिफारिश की है, और यदि हां, तो इस का ब्योरा क्या है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) १९५६–५७ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान बनाने के लिये केरल राज्य को ३·५७ लाख रुपये आवंटित किये गये। १९५७–५८ में भी इसी प्रयोजन के लिये २·६५ लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। १९५६–५७ और १९५७–५८ में अब तक व्यय की गई राशियों का ब्योरा राज्य सरकार से मांगा गया है और प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) हां, श्रीमान्। वे १९५७–५८ में अनुसूचित जातियों के लिये ३९६ मकान और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये १९७ मकान बनाना चाहते हैं।

एम० बी० बी० कालेज, अगरताला

†८५३. श्री दशरथ देब : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एम० बी० बी० कालेज, अगरताला में इस समय इंटरमिडियेट क्लासों के छात्रों के लिये भी पूरा स्थान नहीं है;

(ख) क्या एम० बी० बी० कालेज, अगरताला में इंटरमिडियेट क्लासों के लिये नये सैक्शन खोलने का विचार किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह सैक्शन न खोलने के क्या कारण हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) नहीं श्रीमान्, वर्तमान छात्रों के लिये काफी स्थान है।

(ख) जी नहीं।

(ग) कारण यह है :—

(१) वर्तमान इमारत में और विस्तार के लिये स्थान की कमी;

(२) प्राध्यापकों की अत्यधिक कमी; और

(३) अनुशासन और कार्यकुशलता की वृद्धि से छात्रों की संख्या को बढ़ाना वांछनीय नहीं है।

दिल्ली के स्कूलों में प्रिंसिपल

†८५४. स्वामी रामानन्द शास्त्री : क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) क्या २१ मई, १९५७ को दिल्ली के स्कूलों में कोई ऐसे प्रिंसिपल थे जो न तो पूरी तरह अर्ह थे और न ही उन्हें विमुक्त करने की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति दी गई थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उन की संख्या कितनी थी:

(ग) क्या उन की नियुक्ति सम्बन्धी जानकारी और विमुक्तियों के लिये आवेदन पत्र, शिक्षा निदेशक, दिल्ली के पास पहुंच गये थे;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) क्या सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उप-समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं ?

†शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) १७ ।

(ग) उन की नियुक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई थी परन्तु विमुक्ति के लिये केवल ८० व्यक्तियों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे ।

(घ) उन मामलों पर विचार किया जा रहा है ।

(ङ) यह उप समिति उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दिल्ली द्वारा नियुक्त की गई थी और बोर्ड ने इस की सिफारिशें आवश्यक परिवर्तनों सहित स्वीकार कर ली हैं । सरकार द्वारा इन सिफारिशों के स्वीकृत किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

घी की खरीद

†८५५. श्री ब० ल० मूर्त्ति : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ से १९५२ तक प्रत्येक वर्ष मंत्रालय ने कितना घी खरीदा और उस का कितना मूल्य था;

(ख) १९४७ से १९५२ तक प्रत्येक वर्ष मंत्रालय ने कितना बनस्पति खरीदा और उस का कितना मूल्य था; और

(ग) सशस्त्र बलों को घी का संभरण बन्द कर देने के क्या कारण थे ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार पजीठिया) :

(क) वर्ष	खरीद की गई मात्रा	रुपये में मूल्य
१९४७–४८	५३०६ टन	२,८४,०१,२५६
१९४८–४९	४१६८ टन ५०४ पौण्ड	१,७७,११,०२७
१९४९–५०	३९१२ टन २०३७ पौण्ड	१,९६,७८,९६८
१९५०–५१	१०४१ टन	५५,२५,६२८
१९५१–५२	शून्य	शून्य

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वर्ष	खरीदी गई मात्रा	रुपये में मूल्य
१९४७–४८	५५४९ टन १८५३ पौण्ड	१,०८,४३,५९५
१९४८–४९	५४४२ टन	१,०२,६४,९००
१९४९–५०	६१७९ टन	१,३४,४४,२१३
१९५०–५१	७९०७ टन	२,०५,६४,०९७
१९५१–५२	८३१८ टन ११२० पौण्ड	२,२१,३७,६०७

(ग) (१) प्रतिरक्षा सेवाओं द्वारा स्वीकार्य शुद्ध घी का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना ।

(२) इस के साथ साथ प्रतिरक्षा आय व्ययक में बचत करने के लिये ।

भारत का राज्य बैंक

†८५६. **श्री हेम राज :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जून १९५७ की समाप्ति तक देश के चाय पैदा करने वाले क्षेत्रों में भारत के राज्य-बैंक की कितनी शाखायें खोली गयीं ?

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) :** जब से भारत का राज्य बैंक बना है तब से जून, १९५७ की समाप्ति तक देश के चाय पैदा करने वाले पांच निम्नलिखित क्षेत्रों में इसकी शाखायें खोली गयीं :—

१. सिल्चर
२. नौगांग
३. कूच बिहार
४. गौहाटी
५. कूनूर

भ्रष्टाचार के मामले

†८५८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री दामानी :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में अब तक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार के कितने मामले सरकार के ध्यान में लाये गये;

(ख) कितनों के खिलाफ विभागीय जांच की गई;

(ग) कितने कर्मचारी न्यायालयों द्वारा अपराधी सिद्ध हुए;

(घ) ये कर्मचारी किस वर्ग के थे; और

(ङ) क्या सरकार अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही में विलम्ब को कम करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ?

---

† मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (घ) : जनवरी से जुलाई, १९५७ की समाप्ति तक विशेष पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा घोषित कर्मचारियों के खिलाफ ७८ नये मामले और अघोषित कर्मचारियों के खिलाफ २४८ मामले पंजीबद्ध किये गये। इन मामलों में से और पहले वर्षों के अनुसन्धान अधीन मामलों में से १७४ मामलों के, जिन में १३ घोषित कर्मचारी शामिल हैं, दोषारोप न्यायालयों को भेज दिये गये और १५५ मामले, जिन में १८ घोषित कर्मचारी शामिल हैं, विभागीय कार्यवाही के लिये भेजे गये।

उसी अवधि में ६९ मामलों (पुराने और नये) में, जिन का परीक्षण हो रहा था, दोष सिद्धि हुई। दोषी ठहराये गये अन्य गैर-सरकारी व्यक्तियों के अतिरिक्त ४ घोषित पदाधिकारी और ३७ अघोषित पदाधिकारी थे।

उसी अवधि में १०९ मामलों (पुराने और नये) की विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप ९ घोषित और १०५ अघोषित कर्मचारियों को दड मिला।

उसी अवधि के दौरान में विशेष पुलिस प्रतिष्ठान ने जिन मामलों की जांच की उन के अतिरिक्त मंत्रालयों ने ७७ घोषित पदाधिकारियों के खिलाफ प्रशासकीय सतर्कता विभाग के पास शिकायतें भेजीं। इन में से ७० व्यक्तियों को विभागीय तौर पर दंड दिया गया, ३ का निबटारा अन्य प्रकार से किया गया और ६ को छोड़ दिया गया। दो मामलों में सेना न्यायालय द्वारा कारावास का दंड दिया गया। ८ अधिकारियों पर दंडनीय अपराधों के लिये मुकदमे चल रहे हैं। अन्य मामलों में अभी पूछताछ हो रही है।

(ङ) शीघ्र अनुशासन सम्बन्धी कार्यवाही करने के लिये अपनाये गये तरीकों का ब्यौरा प्रशासकीय सतर्कता विभाग के १९५५–५६ और १९५६–५७ के प्रतिवेदनों में दिया गया है जो कि सभा पटल पर रखे गये थे।

मनीपुर में सरकारी कर्मचारी

†८५९. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों विशेषकर तीसरी और चौथी श्रेणी के वेतनक्रम आसाम सरकार के उसी स्तर के कर्मचारियों के वेतनक्रमों से कम हैं ; और

(ख) क्या एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें आसाम, मनीपुर और त्रिपुरा में सभी ग्रेडों के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम और भत्तों का वर्णन हो ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत कुछ वेतनक्रम आसाम के वेतनक्रमों के समान हैं जबकि कुछ एक वेतनक्रम आसाम सरकार के वेतनक्रमों से कम हैं। चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों के वेतनक्रम हाल ही में बढ़ाये गये हैं। चार ग्रेडों में से तीन आसाम के ग्रेडों के बराबर हैं और एक कम है जैसा कि निम्न सारणी में दिखाया गया है।

मनीपुर (पुनरीक्षित वेतन क्रम)	आसाम
२५—४०	२८—४०
३०—४५	३०—४५
३५—५५	३५—४५
४५—६०	३५—५५
	४५—६०

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के वेतनक्रम उसी स्तर के आसाम सरकार के कर्मचारियों के वेतन-क्रमों से कम हैं। फिर भी मनीपुर प्रशासन के अन्तर्गत तृतीय श्रेणी के क्लर्कों के वेतनक्रम के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रखी जायेगी।

भारतीयों को विदेशी छात्रवृत्तियां

†८६०. **श्री अय्याकण्णु :** क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५१–५२ से १९५६–५७ तक प्रत्येक वर्ष भारतीय छात्रों को भारत सरकार द्वारा कुल कितनी विदेशी छात्रवृत्तियां दी गईं; और

(ख) उनमें से कितनी छात्रवृत्तियां अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को दी गईं ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

सेना सेवाओं के लिये स्वास्थ्य परीक्षा

†८६१. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेना चुनाव बोर्ड उमीदवारों को सक्रिय सेना सेवा के योग्य बनाने के लिये सेना कालेज और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादिमी में भर्ती के लिये जो चुनाव करता है उन उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा करने का क्या तरीका है;

(ख) क्या प्रारम्भिक चिकित्सा बोर्ड के खिलाफ अपील की जा सकती है;

(ग) यदि हां, तो अपीलीय मैडीकल बोर्ड का क्षेत्राधिकार क्या है; और

(घ) यदि अपीलीय मैडीकल बोर्ड किसी उम्मीदवार की अपील अस्वीकृत करता है तो क्या उम्मीदवार को उस के कारण बताये जाते हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) :** (क) सेवा संवरण बोर्ड[२९] के इंटरव्यू में पास होने योग्य कम से कम अंक प्राप्त कर लेने वाले उम्मीदवारों की स्वास्थ्य परीक्षा एक विशेष मैडीकल बोर्ड द्वारा विहित प्रमाणों के अनुसार की जाती है और यह देखा जाता है कि वे सेना सेवा के योग्य हैं या नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) अपीलीय मैडीकल बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य परीक्षा विशेष चिकित्सा बोर्ड द्वारा बताई गई निर्योग्यता अथवा निर्योग्यताओं तक ही सीमित नहीं रहती बल्कि वह नये सिरे से स्वास्थ्य परीक्षा कर सकता है।

(घ) नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[२९] Services Selection Board.

मान्यताप्राप्त संघ[30]

†८६२. **श्री स० म० बनर्जी :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों में कितने और किन किन संघों को सरकार ने मान्यता प्रदान की है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री के सभा-सचिव (श्री फतेहसिंह राव गायकवाड़) :** एक सूची जिस में प्रतिरक्षा प्रतिष्ठानों के चल रहे मान्यता प्राप्त कार्मिक संघों के नाम और संख्या बताई गई है सभा-पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ८५]

तिन्नेवैली जिले में युवक शिविर[31]

†८६३. **श्री सुब्बया अम्बलम् :**
श्री थानू पिल्ले :

क्या शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में यह जानकारी हो :

(क) १९५५–५६ से १९५६–५७ तक सरकार और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य अभिकरणों ने मद्रास राज्य के तिन्नेवैली जिले में कितने युवक शिविर आयोजित किये;

(ख) प्रत्येक कैम्प कितना समय रहा और प्रत्येक में कितने लोग आये; और

(ग) प्रत्येक कैम्प पर सरकार ने कितनी राशि खर्च की और कितनों ने धन और वस्तुओं का अंशदान दिया ?

†**शिक्षा और वैज्ञानिक गवेषणा उपमंत्री (श्री म० मो० दास) :** (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मैं खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं:—

(१) खनिज रियायत नियम, १९४९ में आगे कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २७ जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २४३६ । [पुस्तकालय में रखी गई । [देखिये संख्या एस–२१०/५७]

(२) खनन पट्टे (शर्तों में रूपभेद) नियम, १९५६ में, कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २५०७ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२११/५७).

मूल अंग्रेजी में

[30] Recognised Unions.

[31] Youth Camps.

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनायें

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: मैं, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५७ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २४७६ ।

(२) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २५४३ । [पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस–२१२/५७]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य-सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५७ के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के संबन्ध में याचिका

†**सचिव** : श्रीमान्, लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम १६७ के अधीन मुझे सभा को सूचित करना है कि वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में दो याचिकायें मिली हैं जिन का विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

याचिका संख्या	संक्षिप्त विषय	हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या	जिला अथवा नगर	राज्य
८	वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७, के सम्बन्ध में	१	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल
९	वित्त (संख्या २) विधेयक १९५७ के सम्बन्ध में	१	कलकत्ता	पश्चिमी बंगाल

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक *

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुन : स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २—अनुभाग २, दिनांक २३-८-५७ में प्रकाशित।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

अनुदानों की मांगें*--जारी

श्रम और रोजगार मंत्रालय--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब श्रम और रोजगार मंत्रालय की मांगों पर आगे चर्चा करेगी । माननीय मंत्री वाद-विवाद का उत्तर जारी रखें ।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : कल जब सभा की बैठक स्थगित हुई थी, मैं माननीय श्री डांगे द्वारा हमारी श्रम नीति के बारे में दिखाई गई चिन्ता का जिक्र कर रहा था । हमें उन्हों ने बताया था कि हमारी श्रम नीति में क्या क्या कमियां हैं ।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने भी यह बताया कि एक अच्छी श्रम नीति की क्या विशेषतायें होती हैं । यह उचित ही है कि हमारे विचार इस बारे में पूर्णतया स्पष्ट हों कि हमारी श्रम नीति क्या होनी चाहिये क्योंकि तभी चर्चा के दौरान में उठाये गये बहुत से प्रश्नों पर ठीक प्रकार से विचार किया जा सकेगा ।

मैं श्री डांगे को एक बात बताना चाहता हूं कि जिस नीति के बारे में उन्हों ने इतना कुछ कहा वह केवल भारत सरकार की नीति नहीं है । यह उन की तथा मेरी दोनों की नीति है । माननीय सदस्य को यह मालूम होना चाहिये कि इस नीति को बनाने में उन्होंने तथा बहुत से श्रम प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया था और अपने विचार व्यक्त किये थे । मालिकों ने तथा विभिन्न विशेषज्ञों ने भी ऐसा ही किया था । इसलिये मैं इस को एक राष्ट्रीय नीति कह सकता हूं जिस में हमारे सभी समुदायों ने योगदान दिया था । योजना में यह नीति रखी गयी थी । श्रम तालिका की सिफारिशें पूरी पूरी स्वीकार कर ली गई थीं ।

नयी नयी समस्यायें उठने के कारण स्थिति बदलती रहती है और इसलिये जो बात हम एक बार निश्चित कर चुके होते हैं उस को और आगे बढ़ाना पड़ता है । हमें श्रम नीति के विकास के प्रक्रमों पर ध्यान देना होता है । हम ने अभी भारतीय श्रम सम्मेलन बुलाया था और जिस वातावरण में श्रम तालिका में चर्चा हुई थी, इस भारतीय श्रम सम्मेलन में भी वही वातावरण और मेल जोल की भावना थी । इस सम्मेलन के कुछ लाभदायक परिणाम निकले हैं । बड़ी गम्भीर तथा उलझी हुई समस्याओं पर विचार किया गया था और जो सब से सन्तोषपूर्ण बात हुई वह यह थी कि भारतीय श्रम सम्मेलन के समक्ष प्रस्तुत सभी प्रश्न, कर्मचारियों, मालिकों आदि के दृष्टिकोण, सभी बिना किसी झंझट के सुलझ गये । मैं उन सभी व्यक्तियों को बधाई देता हूं जिन्हों ने इस सम्मेलन में भाग लिया था । मैं आशा करता हूं कि भविष्य में ऐसी ही व्यवस्था रहेगी और इस के बड़े लाभदायक परिणाम निकलेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत की गईं ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित किया गया ।

[श्री नन्दा]

मैंने अभी कहा कि हमारी एक निश्चित नीति है और उस नीति के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। परन्तु चर्चा के दौरान में कुछ ऐसी बातें भी कही गईं जिनसे ऐसे व्यक्तियों को कुछ गलतफहमी हो सकती है जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी न हो। हमें बताया गया कि श्रम मंत्री जो स्वयं एक कार्मिक संघवादी हैं, मजदूरों के लिए सुन्दर काम करना चाहते थे परन्तु अन्य व्यक्ति उनको श्रम विरोधी और, विपरीत दिशा में खींच रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप कोई स्पष्ट स्वीकृत नीति नहीं बन सकी है और इसीलिए सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है। मैं अपने मित्रों के इन विचारों को उनके मस्तिष्क से निकालने का प्रयत्न करूंगा। यह विचार तो लोकतंत्र के सिद्धान्त से बहुत दूर हैं। हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। मंत्रियों के भी अपने विचार और भावनायें होती हैं। वह संसद् तथा सरकार द्वारा निर्धारित नीति से भी बाधित होते हैं। परन्तु जब नीति बनाई जाती है तो वह उसके प्रति अपने विचार खुले दिल से व्यक्त करते हैं।

जहां तक श्रम नीति का सम्बन्ध है यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि देश की श्रम नीति आर्थिक और सामाजिक नीति से भिन्न नहीं है। यह तो पूरी नीति का एक अंग है। इसको उससे अलग नहीं समझा जा सकता है।

श्रम नीति के दो पहलू हैं। एक तो कार्मिक संघ का पहलू है जो कर्मचारियों की सुविधाओं और अधिकारों आदि से सम्बन्धित है तथा दूसरा समाज का पहलू है जो कर्मचारियों के समाज के प्रति उत्तरदायित्वों से सम्बन्धित है। इन दोनों को समन्वित करना होता है ताकि दोनों में सामंजस्य बना रहे। इस तरह के समन्वय के कार्य को विवाद कहा जा रहा है। वास्तव में ऐसी बात नहीं है।

श्रम नीति के गुणों तथा अवगुणों के बारे में माननीय सदस्य ने जो भी कुछ कहा उसमें से मुझे एक बात पसंद नहीं आई है। वह यह है कि वे इस चर्चा में कुछ व्यक्तियों को ले आये हैं। मैं माननीय सदस्य का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने मेरी प्रशंसा की परन्तु इसका महत्व उसी समय कम हो जाता है जब अन्य व्यक्तियों की बुराई के आधार पर ऐसा किया गया हो। कुछ ऐसा कहा गया कि कुछ आदमी शरारत कर रहे हैं। श्रम मंत्रालय के सम्बन्ध में कहा गया है। श्रम मंत्रालय एक कार्मिक संघ नहीं है। श्रम मंत्रालय को अपनी नीति दोनों पहलुओं के आधार पर लागू करनी पड़ती है। इसलिए मंत्रालय जिस प्रकार इस समय काम कर रहा है उसको देखते हुए मुझे गर्व है कि मैं उस मंत्रालय में हूं। उसके कार्यसंचालन के कुछ मास के अनुभवों के पश्चात्, मुझे विश्वास हो गया है कि हमारे कुछ योग्यतम पदाधिकारी उस मंत्रालय में हैं। वह वफादारी तथा लग्न से काम कर रहे हैं। उनको बड़े कठिन काम करने पड़ते हैं और कभी कभी उन कामों के कारण वह बदनाम भी हो जाते हैं। मैंने ऐसा देखा है और मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता होती है कि इस मंत्रालय के कर्मचारी मशीन के समान काम नहीं करते। जिन पर इसके कामों की जिम्मेदारी है वह उन कामों की सामाजिक तथा आर्थिक कठिनाइयों को समझते हैं और उन पर ध्यान रखते हैं। एक बात और है जो व्यक्ति विशेष से संबंध रखती है, वह मेरे मित्र उपमंत्री के बारे में है। मुझे इसका बड़ा ही खेद है। और यदि मैं इस सम्बन्ध में कुछ कहूंगा तो उन्हें भी इसका बड़ा खेद होगा। परन्तु मैं मजबूर हूं। वह एक निडर, वफादार तथा लग्न से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं और उनके राजनैतिक विचार भी बड़े दृढ़ हैं। वह उनको छिपाते नहीं हैं। यहां हमारा सम्बन्ध श्रम नीतियों के प्रशासन

से है और मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों को विश्वास दिलाता हूं कि मजदूर वर्ग के सम्बन्ध में इस मंत्रालय ने बड़ी निष्पक्षता का रवैया अपनाया है और किसी भी संघटन के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं बरता गया है । तब ऐसी बात क्यों कही गई है ? इसमें कोई न कोई बात अवश्य है । एक शिकायत है, एक भावना फैली हुई है कि अनुचित भेदभाव से काम लिया जाता है । यदि ऐसा है तो बहुत बड़ी गलती है बड़ी अपमानजनक बात है । हम ऐसा काम कोई भी करना नहीं चाहते हैं जो अपमानजनक हो । हमारे मंत्रालय में कोई ऐसी बात होने की संभावना नहीं के बराबर है क्योंकि इसकी नीति न्यायालय तथा न्यायाधिकरण द्वारा लागू की जाती हैं । हमारी एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वतंत्र है और जिसका सभी लोग उपयोग कर सकते हैं और वास्तव में उसका उपयोग उठाया जा रहा है ।

केवल दो बातों में मंत्रालय कुछ स्वविवेक से काम ले सकता है और वह है न्यायाधिकरण तथा समितियों का निर्माण । समिति बनाने के प्रश्न पर मुझे यह कहना है कि गत एक वर्ष में जो समितियां बनीं उनमें सदस्यों को रखने का सिद्धान्त संबंधित संस्थाओं की सदस्यता की संख्या रहा है । शायद एक दो को छोड़कर लगभग सभी मामलों में इस सिद्धान्त पर ध्यान रखा गया है । उन एक दो मामलों के भी कारण हैं जिसके सम्बन्ध में मैं बाद में कुछ कहूंगा ।

माननीय सदस्य, श्री डांगे ने कहा कि उनको सम्मेलनों में तो बुलाया जाता है परन्तु समितियों और उप-समितियों में नहीं बुलाया जाता है । मेरा विचार है कि हम उनका सदा स्वागत करते रहे हैं और सदा उनके विचारों का पूरा लाभ उठाते रहे हैं । जिस के लिए मैं उनका बड़ा ही आभारी हूं । वे उन सभी उप-समितियों में जिनमें मैं उपस्थित था और योजना आयोग की श्रम तालिका में भी थे । ऐसा कोई भी मामला नहीं है जिस पर मैं उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता हूं । यदि निष्पक्षता का यह तात्पर्य है कि मैं तब तक निष्पक्ष नहीं माना जा सकता जब तक किसी के प्रति पक्षपात न करूं तो मुझे खेद है कि ऐसा करना मेरी शक्ति से परे की बात है ।

भारतीय श्रम सम्मेलन के बारे में कुछ बुरी भावनायें फैली हुई है । मैंने उस पर विचार किया है । इस मामले में हम अपने स्वविवक का प्रयोग नहीं करते । इसके लिए हमें सब से अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त संगठन को चुनना पड़ता है जब तक कि सभी संगठन किसी समझौते पर नहीं आ जाते । जब तक कोई समझौता नहीं होता है, मेरे विचार से कुछ भी नहीं किया जा सकता है । हमें अपनी नीति का निश्चय करने के लिए इसी प्रकार की व्यवस्था करनी होती है । परन्तु ऐसा हो सकता है कि कभी कभी हमें स्वविवेक का प्रयोग करना पड़े । मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि इस प्रकार स्वविवेक का प्रयोग करते समय किसी भी प्रकार का राजनैतिक विचार नहीं किया जायेगा कि अमुक संगठन साम्यवादी दल द्वारा संगठित है अथवा प्रजा समाजवादी दल द्वारा संगठित है । परन्तु एक आवश्यक बात है जिसका ध्यान रखना होता है और वह यह है कि इस सरकार, संसद् और देश के समक्ष आर्थिक नीति की एक योजना है और हमें यह देखना है कि जो कुछ भी हम करें वह उस नीति को आगे बढ़ाने के लिए ही हो । भारतीय श्रम सम्मेलन को जिस प्रकार हमने प्रारंभ किया उस पर विचार करते हुए मेरा विचार है कि अपने स्वविवेक का प्रयोग करते हुए भी, हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि हमने जो किया है वह समान रूप से किया जाये क्योंकि असमानता के लिए कोई अवसर ही नहीं था ।

[श्री नन्दा]

न्याय निर्णयन के बारे में कुछ कहा गया । चाहे कर्मचारी अखिल भारतीय कार्मिक संघ कांग्रेस के हों अथवा भारतीय राष्ट्रीय कार्मिक संघ कांग्रेस के हों हमें उनकी भलाई का ही ध्यान रखना है और यदि हमें गुणावगुणों के आधार पर न्याय निर्णयन करना है तो किसी विशेष मामले में ऐसा न करना बहुत बड़ी गलती होगी । वास्तव में न्याय निर्णयन के लिए भेजे गए मामलों के सम्बन्ध में किसी शिकायत के लिये कोई आधार नहीं है । मेरे पास आंकड़े हैं । ये आंकड़े प्रति वर्ष दिए जाते हैं । मैं सभी आंकड़ों को यहां नहीं बताऊंगा परन्तु दो वर्ष के आंकड़े इस प्रकार हैं :

संगठन का नाम	न्याय निर्णयन के लिए भेजे जाने वाले मामलों की प्रतिशतता	
	१९५४–५५	१९५५–५६
आई० एन० टी० यू० सी०	४७.४	३६.२
ए० आई० टी० यू० सी०	४९.४	४१.४
एच० एम० एस०	५५.०	३६.०
यू० टी० यू० सी०	४१.०	४०.०

बताइये शिकायत की गुंजाइश कहां है ?

कार्मिक संघ की मान्यता का एक प्रश्न और था । परन्तु हम इस सम्बन्ध में क्या कर सकते हैं । माननीय सदस्य ने स्वयं यह स्पष्ट कर दिया है कि मान्यता आदि के लिए वह विधि की सहायता नहीं चाहते हैं । यह मामला तो, सरकारी क्षेत्र को छोड़ कर, मालिकों के स्वविवेक पर है कि वह किसको मान्यता देते हैं । यदि ऐसी बात है कि किसी ने गलत तरीके अपनाये हैं तो मुझे बताया जाये मैं उस पर विचार करूंगा । छोटे छोटे संघों को सहायता देने की अपेक्षा योजना की क्रियान्विति, योजना के लक्ष्यों की पूर्ति और अर्थ-व्यवस्था की प्रगति आदि के लिये हम आपकी सहायता और सहयोग को अधिक महत्व-पूर्ण समझते हैं । यदि हमें वह सहायता मिल जायेगी तो फिर हमें छोटे छोटे लाभों की अधिक चिन्ता नहीं । ऐसा करना मूर्खता होगी ।

कार्मिक संघवादी होने के नाते मैं इन संघों के बारे में यही कहूंगा कि जिस स्थिति में यह हैं उसको देखकर मुझे बड़ा दुख होता है । यह सच है कि कार्मिक संघ की सदस्यता बढ़ गई है परन्तु उनकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है और वह क्या कर रहे हैं । मेरी पूरी इच्छा यह है कि कार्मिक संघ बढ़ें और उनकी शक्ति बढ़ जाये क्योंकि सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने और वास्तविक लोकतंत्र स्थापित करने के लिये मैं इन्हें बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं । यदि हम अवसर खो देंगे तो मुझे इसका सबसे अधिक दुख होगा । मैं पूछता हूं कि क्या राजनैतिक दल इससे अलग रहेंगे ? यदि ऐसा हो जाये तो बहुत ही अच्छा हो । यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो हमें इस सम्बन्ध में एक समझौता कर लेना चाहिए कि कार्मिक संघों का विकास कार्मिक संघ के आधार पर ही होना चाहिए, राजनैतिक दलों के आधार पर नहीं । हमें यह समझना चाहिए । इस में अन्य बातों पर विचार नहीं किया जाना चाहिये । तब मैं विश्वास करता हूं कि कभी भी किसी प्रकार का असंतोष व्यक्त नहीं किया जायेगा ।

मैं ने भेदभाव की शिकायत के बारे में कुछ कहा है । इस के बाद मैं अपने माननीय मित्र श्री डांगे और उन लोगों की अभ्यर्थना करता हूं जो हिंद मजदूर सभा की ओर से उस सत्र में आये थे, जहां हम ने अन्य लोगों की सहायता से कुछ महत्वपूर्ण निश्चय किया था । यह निश्चय अनुशासन के सम्बन्ध में था । अनुशासन का प्रश्न कुछ समय से हमारे औद्योगिक जीवन का महत्वपूर्ण प्रश्न रहा है जिस से देश के लोगों का मन उद्विग्न रहा है । गड़बड़, हिंसात्मक कार्यों, डराने धमकाने, त्रास, पदाधिकारियों को घेर लेने और कुछ स्थानों पर लोगों की मृत्यु आदि के समचार भी मिलते रहे हैं । यह अशोभनीय है । मैं यह नहीं कहता कि यह बातें सब कहीं फैली हुई हैं पर जितनी मात्रा में भी हैं हमें उनको दूर करने का प्रयत्न करना चाहिये । इस बैठक में हम ने अनुशासन के बारे में क्या निश्चय किया ? यह मैं संक्षेप में बताऊंगा ।

यह बातें स्वीकृत हुईं : बिना सूचना के कोई हड़ताल या तालाबंदी न की जाए, किसी औद्योगिक मामले में कोई एक पक्षीय कार्यवाही न की जाए, घीरे काम करो की चाल नहीं चली जाये, (इस का बहुत महत्व है) कारखाने या उसकी सम्पत्ति को जानबूझ कर कोई क्षति न पहुंचायी जाये ; हिंसा, धमकाने त्रास या दुरोत्साहन न किया जाये; विवादों के निबटारे के लिए वर्तमान व्यवस्था से काम किया जाये; पंचाटों और करारों को शीघ्र कार्यान्वित किया जाये; मैत्रीपूर्ण औद्योगिक सम्बन्धों में गड़बड़ पैदा करने वाला कोई भी कार्य न किया जाये । और हम ने इतना ही नहीं किया; हम ने इस विषय में और जांच की और अन्य संबन्धित संभावनाओं को भी खोज की । भ्रष्टाचार और अन्य बहुत सी बातों की जांच करनी है । यह काम भी चल रहा है ।

अतः वहां जो कुछ निश्चय हुआ था वही सब कुछ नहीं है । वहां से तो कार्य आरम्भ होता है । इसे विकसित किया जाएगा परन्तु उस से भी महत्वपूर्ण यह है कि इसे कार्यान्वित किया जाएगा । सब दल इस बात पर सहमत हुए कि इस संकल्प की घोषणा की जाएगी, देश भर में लोगों को इसकी जानकारी कराई जायेगी । प्रत्येक श्रमिक को इस का पता लगेगा कि कार्मिक संघ प्रत्यक्षतः और निश्चय ही इस उद्देश्य से संकल्प पारित करेंगे कि इसे कार्यान्वित भी किया जाये । यदि ऐसा हो तो, जैसा कि मुझे विश्वास है कि देश के महान् हितों के लिए यह किया जाएगा, मैं बीती बातों को सर्वथा भूल जाने के लिए तैयार हूं क्योंकि इससे ऐसी बहुत सी समस्या और कठिनाइयां हल हो जायेंगी, जो कि आज हमें तंग कर रही हैं ।

अब मैं श्रम नीति की आलोचना को लूंगा परन्तु इस के एक विशेष पहलू पर मैं तुरन्त विचार करना चाहता हूं । यह सरकारी कर्मचारियों के बारे में है । वैसे तो सरकार देश में सम्पूर्ण कर्मचारी वर्ग के कल्याण के लिए उत्तरदायी है परन्तु अपने कर्मचारियों के प्रति उसका क्या विशेष उत्तरदायित्व है । दोनों में कुछ अंतर है । जहां सरकारी कर्मचारियों का सम्बन्ध है एक विशेष बात यह है कि वे सीधे समाज के लिए काम करते हैं, किसी मुनाफाखोर अथवा पूंजीवादी के लिए काम नहीं करते । इस अंतर के कुछ तात्पर्य हैं परन्तु यह तात्पर्य नहीं कि जो लोग समाज के लिए कार्य कर रहे हैं उन्हें उन के अधिकारों से वंचित किया जाए । पहले तो मैं उन की बात कह रहा हूं जो हमारी औद्योगिक और वाणिज्यिक सेवाओं में काम करते हैं । उन के लिए कुछ विशेष अधिकार हो सकते हैं परन्तु जहां तक उनके अन्य अधिकारों का सम्बन्ध है उन्हें वे सब मिलने चाहियें और सरकार को अपने सभी दायित्वों को पूरा करना चाहिये । और मैंने अभी देखा है कि प्रथम पंच

[श्री नन्दा]

वर्षीय योजना में भी इस संबंध में फैसला किया गया था । उस में स्थिति को इन शब्दों में स्पष्ट किया गया था :—

"श्रमिकों और प्रबंध के बीच सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहन देना चाहिये . . .।"

यह बात सरकारी उद्योग क्षेत्र के बारे में है ।

"ऐसे सामूहिक सौदों में आर्थिक तथा अन्य प्रकार के सभी मामले हैं । प्रबंध को कतिपय विहित वित्तीय सीमाओं के भीतर वचन देने तथा स्वविवेक से काम लेने का अधिकार होना चाहिये । इन उपक्रमों को कर्मचारियों को समझौते और मध्यस्थ निर्णय के लिए रखी गयी सरकारी व्यवस्था उपलब्ध होनी चाहिये । किसी पंचाट को स्वीकार करने, रद्द करने या उस में रूपभेद करने का सरकार का वर्तमान अधिकार केवल आपातकाल के लिए ही होना चाहिये ।"

इस में कोई नई बात नहीं । यह किया जा रहा है । इस नीति को सरकार और संसद ने स्वीकार किया था और इस का अनुसरण किया जा रहा है ।

अब मैं सरकारी कर्मचारियों के अन्य वर्गों को लेता हूं । इस संबंध में हमें रेलवे कर्मचारियों और प्रतिरक्षा कर्मचारियों के विषय में कुछ जानकारी दी गयी थी । मैं ने स्थिति की जांच की है । तीन स्तरों पर समझौता करने के लिए व्यवस्था है । उन के पास बहुत से मामले आते हैं । विलम्ब होने की भी शिकायत की गई । मैं नहीं बता सकता कि उन मामलों में कितनी देर हुई । परन्तु समझौता हो गया । और यह उपबंध है कि यदि दोनों पक्षों में समझौता न हो तो मामला न्यायाधिकरण के पास जाना चाहिये । अतः यह कहना गलत है कि हम एकत्र होते हैं, बैठते हैं और बातचीत करते हैं और होता कुछ भी नहीं, क्योंकि बहुत से मामले निबटाये गये थे । कुछ बातें अभी शेष अवश्य हैं । उनके संबंध में भी हमने अनुभव किया था कि प्रतिरक्षा स्थापनाओं के कर्मचारियों को कुछ किया जा सकता है । कुछ समझौता हो गया है । और अनेक प्रश्नों का निबटारा कर दिया गया है । अतः यह शिकायत कुछ ठोस नहीं है । हो सकता है कि कुछ बातें न की गई हों या न की जा सकती हों ।

कर्मचारियों के अन्य वर्ग के सम्बन्ध में अर्थात् असैनिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उन की स्थिति कुछ और महत्वपूर्ण है । असैनिक कर्मचारियों की विशेष स्थिति है । अतः उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त हैं और उनके विशेष उत्तरदायित्व भी हैं । वे इस देश के प्रशासन में साझीदार हैं और यही कारण है कि उन पर कुछ विशेष नियम लागू होते हैं । यद्यपि उनको भी कोई सन्था बनाने की स्वतंत्रता पर रोक नहीं परन्तु जहां तक मैं इस विषय के बारे में विचार कर सकता हूं उनको किसी सीधी कार्यवाही या हड़ताल करने का अधिकार नहीं है । इस का यह अभिप्राय: नहीं कि यदि उन के मन में अन्याय के प्रति क्षोभ हो तो वे कुछ नहीं कर सकते । उस के लिए भी रास्ता है ।

मुझे खेद है कि हाल ही में हमारे सामने सरकार और कर्मचारियों के सम्बन्धों में विकट तनाव की स्थिति पैदा हुई थी । प्रसन्नता की बात है कि वह समाप्त हो गई है । मैं ने देखा कि सरकारी कर्मचारी कुछ विचलित हो रहे थे । हम ने उन के लिए एक उपचार ढूंढा है और मुझे विश्वास है कि अब वैसी स्थिति दोबारा नहीं पैदा होने दी जाएगी । यदि

हम में कुछ त्रुटियां थीं तो हम उन्हें दूर करेंगे । अब वेतन आयोग नियुक्त कर दिया गया है । इस का क्या अभिप्राय है ? इस का अभिप्राय है कि जहां तक असैनिक कर्मचारियों का सम्बन्ध है उन के बड़े हितों को, अर्थात् सेवा की शर्तों, पारिश्रमिक, वेतन आदि की व्यवस्था और अन्य बातों की रक्षा एक उच्च स्तर का निकाय अर्थात् वेतन आयोग करेगा । मैं समझता हूं कि यह ठीक और उचित भी है कि इस प्रकार के आयोग के सम्बन्ध में कोई हीलाहवाली नहीं होनी चाहिये । सरकारी कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी है और यदि हम उन से कहें कि वे हड़ताल आदि का ढंग न अपनाएं तो हमें उन की कुछ मांगों को भी पूरा करना चाहिये और उन की सेवा की शर्तों और वेतन आदि की समय समय पर समीक्षा उचित और उपयुक्त बात है । यह किया गया है ।

अन्य छोटे मोटे मामलों के लिए कर्मचारी समितियों या परिषदों के रूप में कुछ व्यवस्था है । इस के कार्य में काफी सफलता और संतोष प्राप्त हुआ है । परन्तु इस बारे में भी कुछ करना है । कुछ और करना है और इस समय हम इस समस्या पर उपयुक्त विचार करने में लगे हैं कि और क्या करना चाहिये, किस प्रकार हमारे सरकारी कर्मचारियों अथवा असैनिक कर्मचारियों और प्रशासन के बीच घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाया जा सकता है और किस प्रकार उन में पारस्परिक सद्भावना पैदा की जा सकती है क्योंकि सद्भावना से सरकार के लिए अधिक अच्छा काम किया जा सकता है । यदि इस का यह अभिप्राय है कि हम इस पर कुछ विचार कर के अधिक अच्छी व्यवस्था स्थापित करें तो यह काम तो हम कर देंगे । उन का अर्थात् निम्नतम सरकारी कर्मचारी तक का कल्याण उच्चतम व्यक्ति अर्थात् सचिव और मंत्री का उत्तरदायित्व है । वह प्रत्येक की देखभाल तो नहीं कर सकता परन्तु लोगों के कल्याण की व्यवस्था करना उसका उत्तरदायित्व है ।

मैं समझता हूं कि श्री डांगे को यह संदेह नहीं करना चाहिये था कि हमने कर्मचारियों को उन के अधिकारों से वंचित करने के लिए निर्वाह व्यय देशनांकों में गड़बड़ कर दी है। परन्तु कौन यह बात स्वप्न में भी सोच सकता था कि निर्वाह व्यय देशनांक में जो कि पारिवारिक आय-व्ययक और देश के सभी भागों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं, कुछ गड़बड़ की जा सकती है । फिर यह कहा गया है कि हमें इस में बाधा नहीं डालनी चाहिये । एक उच्च स्तर के आयोग के बारे में ऐसा विचार नहीं करना चाहिए ।

अब मैं नीति के प्रश्न को लेता हूं । इस नीति का उल्लेख करते हुए बहुत बड़े बड़े विशेषणों का प्रयोग किया गया था और कहा गया था कि यह पूंजीवादी, सामंतवादी, असमन्वित नीति है अथवा यह कोई नीति नहीं है । मैं आशा कर रहा था कि इस सम्बन्ध में इतना सख्त कहने के पश्चात् वे कुछ और भी प्रकाश डालेंगे । मैं चाहता था कि वे स्पष्ट करें कि नीति में गलती क्या है और इस सम्बन्ध में क्या करना चाहिये और क्या कहीं और वे कोई ऐसा उदाहरण देते जिस का अनुसरण हम कर सकते । बहुत उलझी हुई और अस्पष्ट बातें कही गईं जिन से कोई सहायता नहीं मिलती जैसे कि श्रमिकों की भुखमरी, जीवन भर की सुरक्षा, मूल्य, लाभ और उत्पादन में अव्यवस्था । परन्तु क्या करना चाहिये इस सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गई ।

जहां तक इस नीति का सम्बन्ध है मैं बढ़ चढ़ कर बात नहीं करता । परन्तु एक तथ्य की बात कहता हूं । प्रथम पंचवर्षीय योजना और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की पुस्तकें लीजिये। क्या उस में श्रम नीति के सभी तत्वों और सिद्धान्तों का पूर्ण रूप से उल्लेख नहीं

[श्री नन्दा

किया गया ? आप जहां तहां किसी बात से असहमत हो सकते हैं परन्तु हम सब इस पर सहमत हैं । और मुझे किसी देश का उदाहरण दीजिए जहां एक पक्षीय नहीं वरन् सभी की सहमति के आधार पर एकीकृत और स्पष्ट नीति रखी गई हो ।

यह सामान्यतः हमारी नीति के बारे में है । परन्तु वास्तविक बात यह है जिस से दुख होता है कि इस नीति को भली प्रकार कार्यान्वित नहीं किया जा रहा था । मेरे पास इस का भी उत्तर है और मैं नीति की कार्यान्विति के प्रश्न के सम्बन्ध में अभी कुछ कहना चाहता हूं । उसकी उपयुक्त और प्रभावी कार्यान्विति के लिए हमसे अधिक इच्छुक और उत्सुक कौन होगा ? यदि कोई हमें यह बता दे कि ग़लती क्या है—त्रुटियां कहां हैं—तो हमें प्रसन्नता होगी और हम उस का स्वागत करेंगे । कुछ बातें ठीक कही गई हैं, मैं उन से इन्कार नहीं करता । परन्तु यह ध्यान में रखना चाहिये कि विभिन्न योजनाओं के अधीन प्रशासन में सुधार के लिए सद्भावनापूर्ण प्रयत्न किया जा रहा है । हम कर्मचारी वर्ग की संख्या भी बढ़ा रहे हैं ।

समझौते और न्याय निर्णयन के विषय में हम प्रक्रिया को विवेकपूर्ण और सरल बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि समय नष्ट न हो । यद्यपि जो समय व्यय होता है वह समझौता करने वाले अथवा निर्णय करने वालों के ही कारण नष्ट नहीं होता । समय इस कारण नष्ट होता है कि दोनों पक्षों को प्रायः अधिक समय की आवश्यकता होती है । परन्तु हम नियमों और नई प्रक्रिया में जिन्हें हम लागू करने जा रहे हैं इस बात का ध्यान रखेंगे ।

श्री डांगे और अन्य कुछ सदस्यों ने अनियमितताओं के बारे में कहा । मैं ने प्रतिवेदन को देखा है और अनियमितताओं के प्रश्न का अध्ययन किया है । तथ्यों और आंकड़ों को देखने से अनियमितता के कुछ मामले दिखाई देते हैं । उन का स्पष्टीकरण भी किया गया है । हम सुधार कर सकते हैं । परन्तु मैं समझा हूं कि आज से पांच वर्ष या दस वर्ष बाद भी जब प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा तो उस में भी कोई न कोई अनियमितता मिल ही जायेगी । इस का तो प्रयोजन ही यही है कि अनियमितताओं को ढूंढ़ कर उन्हें दूर किया जाए । हमें उचित पर्यवेक्षण रखना चाहिये और हम उस के लिए प्रयत्न कर रहे हैं ।

स्वास्थ्य सुरक्षा, क्षय रोग और अन्य कुछ रोगों के फैलने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिए हमारे लोग बाहर गये थे क्योंकि हम जानते थे कि कुछ खतरे पैदा हो रहे हैं । जहां तक कारखानों का सम्बन्ध है यह स्थिति है परन्तु फिर भी हम वैध और सांविधानिक रूप में अपने उत्तरदायित्व से इन्कार नहीं करते । हम सेवा की शर्तों, स्वास्थ्य और वातावरण की स्थिति और काम की अन्य स्थितियों की जांच कर रहे हैं और वे प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं । हमारा कारखानों से अनुरोध है कि वे उन सिफारिशों को कार्यान्वित करें ।

इस सम्बन्ध में श्री डांगे ने जमशेदपुर, टाटा और एक शेड का उल्लेख किया था । मैं ने स्थिति को जानने के लिए एक संदेश भेजा था । यह ठीक है कि तीन शेडों में से एक को कतिपय अन्य प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि वे कुछ विस्तार आदि कर रहे हैं । संभवतः वे खानों के स्थानागारों का ठीक प्रयोग नहीं करते । मुझे बताया गया है कि जिन श्रमिकों को उन का प्रयोग करना है उन ही की गलती है ।

†श्री ब० स० मूर्ति (काकिनाडा रक्षित अनुसूचित जातियां) : श्री डांगे ने कहा था शेड श्रमिकों को नहीं दिया गया था और उन्हें बरामदे का प्रयोग करना पड़ता था । क्या यह सच है ?

†श्री नन्दा : यह सच है कि इन शेडों में से एक का प्रयोग वे विस्तार के लिए कर रहे हैं ।

ये बातें सर्वोत्तम नियोक्ताओं के यहां भी पैदा हो सकती हैं ।

परन्तु सापेक्ष दृष्टि से एक बात का अधिक महत्व है और वह बात देरी और उल्लंघनों के बारे में है । देरी के बारे में मैं ने समझौते की प्रक्रिया का पहले ही उल्लेख किया है । देरी के बारे में कल एक माननीय सदस्य ने उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ कहा था । मुझे उस पर कुछ आश्चर्य हुआ था । उच्चतम न्यायालय देश में सभी नागरिकों के मूल अधिकारों और स्वतंत्रताओं को सुरक्षित रखने वाला उच्चतम न्यायिक निकाय है और उस निकाय के लिए अपमानजनक कोई बात नहीं कहनी चाहिये । हमें कुछ शिकायतें हो सकती हैं । हमारे मन में असंतोष हो सकता है । बहुत से लोग मामले को उच्चतम न्यायालय तक ले जाते हैं । इस बात को कहने के कुछ और ढंग हैं । मुझ से यह वक्तव्य देने के लिए कहा गया । हमें उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का पालन करना है । परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय हो कि विधि की भाषा में संसद की इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तब हम स्वतंत्र होते हैं—उच्चतम न्यायालय हमें यह करने से नहीं रोक सकता—कि हम संसद में आ कर उस गलती को सुधार लें और नया अधिनियम बनाएं ताकि हम जो करना चाहते हैं उसे कार्यान्वित कर सकें ।

पंचाटों के उल्लंघन और मामलों को न्यायालयों में भेजने के प्रश्न के सम्बन्ध म मैं समझता हूं कि स्थिति असंतोषजनक है । मुझे विश्वास है कि कुछ पंचाटों का पालन नहीं किया जा रहा और उन्हें शीघ्र कार्यान्वित नहीं किया जाता । मेरे पास इस के आंकड़े तो नहीं हैं । मैं इस संबंध में एक सांख्यिकीय नमूना सर्वेक्षण करना चाहता हूं । यदि नियोजक हमारा सहयोग चाहते हैं, उत्पादन में श्रमिकों का सहयोग चाहते हैं तो अनुशासन के सम्बन्ध में भी उन का उत्तरदायित्व है कि वे त्रिपक्षीय व्यवस्था आदि से पंचाटों की कार्यान्विति की व्यवस्था करें और अनावश्यक देरी न करें तथा उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों के पास मामलों को न भेजें । उच्चतम न्यायालय स्वयं तो नहीं चाहता कि मामलों को उसके पास भेजा जाये !

अतएव जैसे हम श्रमिकों से कह रहे हैं कि जब तक वह बिल्कुल मजबूर न हो जायें वे हड़ताल न करें उसी प्रकार मैं नियोजकों से भी कहता हूं कि जब उन्हें अन्य साधन उपलब्ध न हों, तभी वे न्यायालय में जाएं । मैं समझता हूं कि इस समय वह ऐसा नहीं कर रहे हैं ।

स्वास्थ्य की स्थिति की देखभाल करने के लिए हम कर्मचारियों की संख्या बढ़ा रहे हैं । परन्तु हम निरीक्षकों की संख्या कहां तक बढ़ा सकते हैं ? इन अधिनियमों का पालन करवाने के लिए कुछ और साधन भी होने चाहियें । वह एक एकक के स्तर पर होना चाहिये । श्री डांगे ने एक सुझाव दिया था । वह सुझाव योजना में था : इसे पूर्णत: अथवा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

बिल्कुल कार्यान्वित ही नहीं किया गया । मैं विश्वास करता हूं कि जिस कार्य समिति ने अनुशासन के पालन और उत्पादन में वृद्धि आदि के लिए ऊपर से कार्य आरम्भ किया था उन्हें ही एकक स्तर आरम्भ करना चाहिये और एक प्रकार का संयुक्त निकाय होना चाहिये जो कार्यों के उपयुक्त प्रशासन के लिए उत्तरदायी हो । यह काम हम उसी निकाय के द्वारा करने का प्रयत्न करेंगे जिसने अनुशासन पालन का समझौता किया है । कर्मचारी वर्ग के लिए सुन्दर परिणाम इसी निकाय के द्वारा निकलेंगे ।

मैं स्वयं अपने मंत्रालय में ऐसे निकाय की स्थापना करने के लिए सोच रहा था । कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो समझौते से मामले तय कर रहे हैं । परन्तु विधानों की क्रियान्विति, विभिन्न क्षेत्रों में काम के मूल्यांकन करने के लिए एक अलग निकाय होना चाहिए । ये पदाधिकारी उच्च स्तरों के होंगे और रोजमर्रा के कामों को न देखकर, यह देखेंगे कि किस प्रकार कार्य किया जा रहा है । इस नये निकाय से इस योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में सब कुछ जानकारी हासिल कर सकेंगे । विशेषाधिकारी अथवा कोई निकाय जो कुछ भी स्थापित किया जाये वह अनुशासन के संकल्प की क्रियान्विति के लिए जिम्मेदार होगा । यदि कोई अनुशासन भंग करता है तो वह इसका पता लगायेगा कि ऐसा किसने किया है । मैं आशा करता हूं कि यदि इन्टक के लोग अनुशासन भंग के लिए जिम्मेदार ठहराये जायेंगे तो उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी और यदि ए आइ टी यू सी के लोग दोषी पाये जायेंगे तो उन के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । तभी हम जान पायेंगे कि क्या हो रहा है । जितना शीघ्र हो सकेगा इस निकाय को स्थापित किया जायेगा ।

मैंने मुख्य मुख्य बातों के बारे में बताया है । अब मैं श्रम नीति के क्रियात्मक पहलू के संबंध में कुछ कहूंगा । हमारा दृष्टिकोण क्या है ? यह तो स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और हम यथासम्भव सब कुछ करेंगे । हमारी इच्छा है कि वेतन के मामले में जो कुछ भी हो सके किया जाय; कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में सब कुछ किया जाय । परन्तु इसमें कुछ कठिनाइयां भी हैं । यह कठिनाइयां हमारी सद्भावना की कमी के कारण नहीं, परन्तु हमारी आर्थिक परम्परागत दोष के कारण हैं । हमसे यह कहा जाता है कि ब्रिटेन आदि दूसरे देशों में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा से अपने देश में कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा का मुकाबला किया जाये । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि आप देखें कि उन देशों में विकास कार्य कब आरम्भ हुआ था और हम ने विकास कार्य कब आरम्भ किया है । और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि उनकी औसत राष्ट्रीय आय क्या है और हमारी क्या है ? इस तुलना में हम कहां ठहरते हैं ? अपनी तथा अपने देश की स्थिति को देखते हुए तथा योजना सम्बन्धी खर्चों का ध्यान रखते हुए, जिसका हमें बाद में लाभ होगा, हम जो कुछ कर रहे हैं उससे हमें लज्जित होने की जरूरत नहीं ।

कर्मचारियों के दावों के सम्बन्ध में हमें यह सोचना होता है कि यह केवल दिखावे के लिये नहीं है और न ही इसलिये है कि २५ प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग करने से किसी का किसी संघ पर कब्जा हो जायेगा । यह काम इंटक ने किया अथवा किसी और ने किया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं । हमें तो इसके परिणामों और प्रतिक्रियाओं को देखना है कि क्या इससे कीमतें तो नहीं बढ़ जायेंगी ? मेरा यह कहना नहीं कि किसी विशेष मामले में यह प्रभाव होगा । यह एक आम बात है । तब, हम क्या करते हैं ? हम उन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे रहे हैं । हमें कर्मचारियों की आज की स्थिति पर ही विचार नहीं करना हमें

उनकी फ़ल की स्थिति भी देखनी है । उनके लिए अधिक रोजगार की व्यवस्था करनी है । कर्मचारी लोग नौकरी की सुरक्षा तथा देश की आर्थिक प्रगति में अपना उचित हिस्सा तथा और भी कई चीजें मांगते हैं जिनका हमें पता है । परन्तु यह सब उन सभी बातों का ध्यान रखकर ही किया जाना है जिनको कि अभी मैं ने विस्तार से आपके सामने रखा है । वेतनों के सम्बन्ध में मेरे पास कई वर्षों के आंकड़े हैं जिनसे देश में प्रचलित वास्तविक वेतनों और उनकी प्रगति का पता चलता है । मेरे विचार में गत पांच छः वर्षों में हमने बड़ी कठिनाई से उनके लिए कुछ किया है । उनके वास्तविक वेतनों में वृद्धि हुई है । मैं यह बताना चाहता हूं कि इन पांच वर्षों में हमने कुछ प्रगति की है, परन्तु पहले क्या स्थिति थी । १९४७ को आधार मानकर वेतनों में ३२ प्रतिशत और १९५१ को आधार मान कर वेतनों में १२ प्रतिशत की वृद्धि हुई है । परन्तु यदि १९३९ को आधार माना जाय तो यह वृद्धि १०२, या १०३ प्रतिशत है ।

प्रारम्भ के वर्षों, में हम कोई प्रगति नहीं कर रहे थे । उत्पादन बढ़ नहीं रहा था । मैं उस समय की बात कर रहा हूं जब कि विकास कार्य का आरम्भ था । हमने काफी बड़ी बड़ी राशियों का विनियोजन किया । कर्मचारियों की वास्तविक कमाई के आंकड़ों पर भी इसका प्रभाव पड़ा दिखाई देता है । इस काल में श्रमिक वर्ग ने सामूहिक रूप में अच्छा कार्य किया । और जैसे जैसे योजना कार्यान्वित होगी, आशा है उत्पादन बढ़ेगा और उससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी और कर्मचारियों को भी इससे लाभ अवश्य होगा ।

हमारे पास वेतन संबंधी नीति के सिद्धान्तों का अभाव नहीं है । उचित वेतन समिति की रिपोर्ट है, और हमने इस विधान को बनाने का विचार छोड़ा नहीं है । केन्द्रीय वस्त्र वेतन बोर्ड के संबंध में हमने यह किया है कि निर्देश पदों को इस प्रकार रखा गया है कि उचित वेतन बोर्ड समिति की सिफारिशों को प्रतिवेदन में सम्मिलित कर लिया जाय। हमने स्वीकृत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो अनुभव प्राप्त किये थे उनको हमने बेकार नहीं गंवाया है। सरकार वैसे ही मजूरी निर्धारित नहीं करती । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा मजदूरी भुगतान अधिनियम हैं। सरकार ने न्यायालों तथा न्यायाधिकरणों की भी व्यवस्था की है । हम उन्हें सब सामग्री दे रहे हैं । हम मजदूरी संबंधी आंकड़ों की गणना करने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। जो कुछ सामग्री उपलब्ध होती है उन्हें दे दी जाती है । मैं महसूस करता हूं कि उनके लिए कुछ और भी किया जाना चाहिए । हम मजदूरी के स्तरों का निश्चय करने के सम्बन्ध में मोटी मोटी बातें बता रहे हैं । हम अदालतों को भी निर्देश देने का प्रयत्न कर रहे हैं । हम समझौते द्वारा सामान्य स्तरों को निर्धारित करना चाहते हैं और इस प्रश्न सम्बन्धी सभी प्रकार की जानकारी उन्हें देना चाहते हैं । ५० उद्योगों में हम मजूरी संबंधी आंकड़ों की गणना करने जा रहे हैं । इन मामलों के संबंध में कार्यवाही हो रही है । जब न्यायाधिकरण अपना निर्णय दे देगा तब उसके समक्ष यह सब जानकारी और सिद्धान्त विद्यमान रखे जायेंगे ।

इस सम्बन्ध में कोई अपरिवर्तनीय सूत्र तो नहीं बनाया जा सकता । कई उलझी हुई समस्यायें और अनेक तरह के प्रश्न हैं । यदि आप चाहें गणित का कोई ऐसा सूत्र तैयार किया जाये कि न्यायाधिकरण इत्यादि के बिना ही मजूरी सम्बन्धी निर्णय कर लें तो यह असम्भव है । कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है । मजदूरी के सम्बन्ध में कहीं भी इससे अच्छा मार्गदर्शन नहीं हुआ है, केवल इतनी ही कमी है कि अभी हमें पूर्ण सांख्यकीय जानकारी उपलब्ध नहीं है । और इस संबंध में स्थिति का सुधार करने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं ।

[श्री नन्दा]

सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में भी हमारे पास आंकड़े हैं। समय के अभाव के कारण मैं विस्तारपूर्वक नहीं बताऊंगा कि हमने सामाजिक सुरक्षा के काम की अवस्था और औद्योगिक सम्बन्धों के बारे में कितना काम किया है। इस नीति की सफलता का निर्णय, आप औद्योगिक शांति अथवा औद्योगिक असन्तोष---उसे चाहे कुछ भी कहें---को देख कर कर सकते हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान में स्थिति बहुत ही अच्छी थी। उद्योगों में किसी प्रकार का असन्तोष नहीं था। इस के लिए सारा श्रेय स्वयं श्रमिक वर्ग को ही है। उन्होंने अपना कर्तव्य अच्छी तरह निभाया है। न्याय-निर्णयन और समझौते की प्रणाली से बहुत लाभ हुआ है। इससे श्रमिक वर्ग की स्थिति सुधरी है और उनकी मजूरी भी बढ़ी है। और दूसरे इससे औद्योगिक शांति भी बनी रही है और ऐसे हालात पैदा हुये जिनमें योजना का कार्य सन्तोषजनक ढंग से चल सकता था।

†**श्री नाथ पाई (राजापुर) : आप हमें समझाने की कृपा करें कि श्रमिकों की वास्तविक आय कैसे बढ़ी है?**

†**श्री नन्दा : हम यहां आंकड़ों का हिसाब नहीं लगा सकते।**

आकड़ों के अनुसार वास्तविक मजूरी बढ़ी है। इसके अलावा उनकी सामाजिक सेवा के लिए भी व्यय किया गया है और यह उनकी वास्तविक मजूरी का लगभग २० प्रतिशत है। कर्मचारियों की शिक्षा, तथा उनका उद्योग में भाग आदि अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें उनके लिए व्यय किया गया है। अतः सारी बातों को एक साथ लेकर उन पर विचार कीजिए। एक-एक बात को अलग-अलग लेकर विचार मत कीजिए। यह सब तो महत्वपूर्ण विकास का प्रारम्भ मात्र है। मैं श्रमिक को मजूरी लेने वाला मजूर ही नहीं समझता, बल्कि वह व्यापार में बराबर का साझीदार होता है। कर्मचारियों की संस्थाओं, और नियोजकों की सहायता से एक ऐसी योजना बनायी जायेगी जिसमें कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे और तब वह व्यापार में बराबर के साझेदार बनेंगे। यह बात यूं ही नहीं रहेगी, प्रत्युत् सत्य सिद्ध होगी।

सभी प्रकार से इस नीति का परिणाम कर्मचारियों के जीवन स्तर, मजदूरी और सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा है। इस नीति के कारण कर्मचारियों ने अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी ठीक से निभाया है। उत्पादन तथा उत्पादन क्षमता की वृद्धि हुई है। जब लोग कर्मचारियों के बारे में कुछ कहते हैं और उनके काम और स्थान को तुच्छ बताने का प्रयत्न करते है, तो मैं उनसे यह कहता हूं। ५० लाख संगठित कर्मचारी ही श्रमिक वर्ग नहीं हैं। इनकी संख्या देश की सारी शक्ति के एक तिहाई के लगभग है। श्रमिक वर्ग में वे सभी मजदूर आ जाते हैं जिनके लिये संघ बनाये जाते हैं। ऐसे संघों के अग्रेतर विकास की भी सम्भावना है। इनकी संख्या कुल १५ करोड़ मजदूरों में ४ करोड़ ८० लाख के लगभग है। इस महान् शक्ति के महत्व को कोई भी कम नहीं कर सकता। हमें इस महान् शक्ति का प्रयोग करना है। उन्होंने उत्पादन बढ़ाया है, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ी है। औद्योगिक शांति भी पैदा हो गयी है।

यह ठीक है अनुशासनहीनता के मामले भी हुए हैं। वे भी हट जायेंगे और उनके बाद यह आवश्यक है कि श्रमिक वर्ग यह मांग करेगा कि उसके हक पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाय। श्रमिक वर्ग की मांगों की पूर्ति के लिये जनमत भी बड़ा आवश्यक है, इसलिये

†मूल अंग्रेजी में

श्रमिक संघों को जनता की सहानुभूति खोनी नहीं चाहिए, बल्कि जनता को यह बताने का प्रयत्न करना चाहिए कि श्रमिक वर्ग ने सामुदायिक हित के लिये कितना काम किया है। यह तो मैं मानता ही हूं कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूरी अभी काफी बढ़नी चाहिए। जब मैं श्रमिक वर्ग की आवश्यकताओं और मजदूरी की तुलना करता हूं तो अनुभव करता हूं कि मजदूरी बहुत ही थोड़ी है। परन्तु हम यह सब कैसे करेंगे? बावजूद इस बात के कि द्वितीय योजना में ५० करोड़ की व्यवस्था की गयी है और प्रथम योजना में भी कुछ व्यय किया गया था। श्रमिक वर्ग के आवास की समस्या के हल के लिए अभी कुछ भी नहीं किया जा सका है।

अब जब कि योजना के सामने भी कठिनाइयां हैं, यह प्रश्न कैसे हल किया जाये। सफल तो हम होंगे ही, परन्तु कठिनाइयाँ अवश्य आयेंगी। यह समस्त समस्यायें और कठिनाइयां उत्पादन क्षमता की वृद्धि तथा कर्मचारियों के प्रयत्नों से हल होंगी। हमारे साधन सीमित हैं परन्तु उत्पादन क्षमता के लिये कोई सीमा नहीं। उत्पादनक्षमता १०० प्रतिशत या २०० प्रतिशत भी बढ़ा सकते हैं और यदि सारे देश में ३०, ४० प्रतिशत उत्पादन क्षमता बढ़ जाये, तो संसाधनों के अभाव की सारी कठिनाई दूर हो जायेगी। योजना की सफलता और देश के आर्थिक विकास का कितना महत्वपूर्ण काम हमारे सामने है।

अब तक मैं भविष्य के सम्बन्ध में भी कुछ कहना चाहता हूं। हमने अपने पारस्परिक सम्बन्धों का प्रारम्भ बहुत ही अच्छा किया है। कर्मचारियों के सामने जो समस्यायें है उनका हल यही है कि मित्रतापूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक बैठ कर हम यह देखने का प्रयत्न करें कि आखिर समस्यायें क्या हैं और उनको हल कैसे किया जाये। यही भावना है जिसको लेकर भारतीय श्रम सम्मेलन का आरंभ हुआ।

जहां तक यह प्रश्न है कि उद्योग में मजदूर आधे के साझेदार हों उनको आधा लाभ दिया जाये, ठीक है, पर यह इस बात पर निर्भर है कि कितना अतिरिक्त लाभ होता है। इसी प्रकार अन्य अनेक सवाल पैदा होंगे।

जहां तक साझीदारी का प्रश्न है इस वर्ष लगभग ५० निकायों के प्रबन्ध में कर्मचारियों को सम्मिलित करने का निश्चय हो गया है। मुझे आशा है कि इसमें सफलता मिलेगी। और धीरे-धीरे सभी निकायों में यह व्यवस्था हो जायेगी। हमारे सामने बड़ी-बड़ी आशायें हैं जिन्हें हम सामूहिक प्रयत्नों से कर सकते हैं। इसके मुकाबले में यह छोटे-छोटे मतभेद कुछ महत्व नहीं रखते। इसलिए हमें देश के श्रमिक वर्ग के हित में एकत्रित होकर अपने लाभ के लिए प्रयत्न करना चाहिए।

खेतिहर मजदूरों की हालत भी देश के अधिकांश भागों में सन्तोषजनक नहीं है। इस मामले में श्रम मंत्रालय को क्या करना चाहिए? इसने न्यूनतम मजूरी का विधान पारित कर दिया है और वह प्रगतिपूर्ण रूप में खेतिहर मजदूरों पर भी लागू होता है। हम चाहते हैं कि उसे शीघ्र और सस्ती से लागू किया जाये। यह तो एक बात हुई, परन्तु छोटी सी बात है। हमें करना यह है कि हम एक संग्रह निधि बनायें जिससे खेतिहर मजदूरों को धन प्राप्त हो सके।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा, और सामुदायिक विकास परियोजनाओं में जो काम हो रहा है और देहाती क्षेत्रों में जो धन लगाया जा रहा है; तथा भूमि सुधार के लिए जो धन व्यय किया जा रहा है उनमें से कई कामों में काफी सन्तोषजनक प्रगति हुई है। खेतिहर मजदूरों के लिये बहुत कुछ किया जाना है। उन्हें भूमि, घर, खेत इत्यादि सब दिया जाना चाहिए। इसमें सन्देह

[श्री नन्दा]

नहीं कि कुछ तो किया गया है परन्तु मुझे ससे सन्तोष नहीं है। हम बहुत कुछ और करने का प्रयत्न करेंगे।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता पूर्व) : मैं जानना चाहता हूं कि पूंजीपतियों को जो लाभ हुआ उसके अनुपात में मजदूरों को कितना लाभ हुआ ?

†श्री नन्दा : लाभों का देशनांक आप को दिया गया है। आप हिसाब लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वास्तविक मजूरी बढ़ी है यदि लाभ के बढ़ने का प्रश्न है तो लाभ भी अवश्य बढ़ा है। पर उसके खर्च के भी अनेक तरीके हैं। ४०, ५० प्रतिशत लाभांशों में दिया गया है और ३०, ४० प्रतिशत रक्षित निधि में रखा गया है। इस सम्बन्ध में भारतीय श्रम सम्मेलन में परिचालित पत्र का भी उल्लेख किया जा सकता है। उसमें सब कुछ दिया गया है, उसे सभा पटल पर भी रख दिया जायेगा।

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : मैंने म्यूनिसिपल वर्कर्ज के बारे में कहा था कि जितने भी लेबर लैजिस्लेशन हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन (क्रियान्विति) नहीं होता है। खास तौर से जब भी कोई झगड़ा या फसाद होता है, तो कांसिलियेशन मशीनरी उस में कोई इन्ट्रेस्ट नहीं लेती है।

श्री नन्दा : यह काम हम यहां से नहीं करते हैं। यह तो म्यूनिसिपैलिटीज का मामला है लेकिन उन को भी इस बात को देखना चाहिए। आपकी बात जरूर कुछ हद तक सही है। इस बारे में देर हो जाती है और उन लोगों को दिक्कत होती है। जो कुछ भी हम से हो सकेगा, वह हम करेंगे।

श्री बाल्मीकी : जब काफी दिन पहले कोई नोटिस दिया जाता है, तो लेबर कमिश्नर और दूसरे अधिकारी रोब गांठने की कोशिश करते हैं और मामले को सुलझाने की कोशिश नहीं करते हैं।

श्री नन्दा : आप इस बारे में कुछ बतायेंगे—कोई स्पेसिफिक (विशेष) मामला मेरे पास लायेंगे, तो उसको देखने की कोशिश की जायेगी।

†अध्यक्ष महोदय : मैं अब कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय द्वारा श्रम और रोजगार मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा अस्वीकृत हुईं:—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
७०	श्रम और रोजगार मंत्रालय	*१६,९४,०००
७१	मुख्य खान निरीक्षक	१३,९१,०००
७२	श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	*८,६६,५७,०००
१२४	श्रम और रोजगार मंत्रालय का पूंजी व्यय	*३४,२२,०००

†मूल अंग्रेजी में

*इनमें २६ मार्च, १९५७ को स्वीकृत लेखानुदान की राशियां भी सम्मिलित हैं।

वित्त मंत्रालय

†अध्यक्ष महोदय : अब सभा अनुदानों की मांग संख्या २७ से ४१ और १०९ से ११५ पर, जिनके लिये वित्त मंत्रालय उत्तरदायी है चर्चा करेगी। माननीय सदस्य १५ मिनट में अपने उन कटौती प्रस्तावों की संख्या पटल पर दे दें जिन्हें वे प्रस्तुत करना चाहते हैं ।

वर्ष १९५७-५८ के लिये वित्त मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं :

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
२७.	वित्त मंत्रालय	९०,३८,०००
२८.	सीमा शुल्क	२,३५,१६,०००
२९.	संघ उत्पादन शुल्क	४,३३,९१,०००
३०.	आय–कर, निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित	२,७३,४६,०००
३१.	अफीम	२१,२५,०००
३२.	स्टाम्प	९७,२५,०००
३३.	लेखा–परीक्षा	५,४३,६७,०००
३४.	मुद्रा	२,०९,३९,०००
३५.	टकसाल	१,९५,८६,०००
३६.	प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें	१६,३०,०००
३७.	वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन	१,५८,०१,०००
३८.	वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय	१४,८४,३०,०००
३९.	योजना आयोग	९६,०२,०००
४०.	संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन	३,५६,०००
४१.	विभाजन–पूर्व के भुगतान	४०,१४,०००
१०९.	भारतीय सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	४,४४,०००
११०.	मुद्रा और टंकण पर पूंजी व्यय	१,५५,६४,०००
१११.	टकसाल पर पूंजी व्यय	४२,००,०००
११२.	निवृत्ति–वेतनों का राशिकृत मूल्य	२४,८२,०००
११३.	छंटनी किये गये व्यक्तियों को भुगतान	१४,०००
११४.	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय	६७,४१,५४,०००
११५.	केन्द्रीय सरकार द्वारा देय ऋण तथा अग्रिम धन	६९,६६,८२,०००

†श्री प्रभात कार (हुगली) : श्रीमान् जी, वित्त मंत्रालय के सम्बन्ध में तो हमारे सामने कराधान नीति ही है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कराधान नीति हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लक्ष्यों और उद्देश्यों का चित्र होना चाहिए। परन्तु हमारे वित्त मंत्री अपनी मौजों के अनुसार ही कराधान नीति बनाया बिगाड़ा करते हैं। १९४७ से आज तक इसमें कई परिवर्तन किये गये हैं। कराधान विधानों को देखने से पता चलता है कि कृषि उत्पादन ९५ से ११३ हो गया, औद्योगिक उत्पादन १०५ से १४५ हो

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

गया, उत्पादन शुल्क राजस्व ८५ करोड़ रुपये से १०५ करोड़ रुपये हो गया। बावजूद इसके कि औद्योगिक उत्पादन ४० प्रतिशत बढ़ा और कच्चा माल ३० प्रतिशत कम हुआ, करों की मांगें १८०–१९० करोड़ के बीच में ही चक्कर काट रही हैं। इसका अर्थ यह है कि नीति अथवा प्रशासन में कुछ कमी अवश्य है। भारत की ३६ करोड़ की जनता में से केवल पांच छः लाख व्यक्ति ऐसे होंगे जो कर प्रस्तावों के उपबन्धों के अन्तर्गत आते होंगे। कर कुल आय पर ३ प्रतिशत से लेकर ८४ प्रतिशत तक लगता है। परन्तु जब तक समुचित कर नीति नहीं अपनाई जाती कर द्वारा प्राप्त राजस्व में वृद्धि नहीं हो सकती।

धन-कर जो कि वित्त मंत्री द्वारा चालू किया गया है, आज की अवस्था में बड़ा आवश्यक है। इस पर बाद में भी चर्चा करने का अवसर मिलेगा। परन्तु मुझे खेद है कि जिस रूप में धन-कर विधेयक प्रवर समिति से वापिस आया है, उससे धन-कर विधेयक का वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा जो कि वित्त मंत्री चाहते थे। प्रशासन के सम्बन्ध में मेरा कहना है कि जब तक प्रशासन और न्यायपालिका को अलग-अलग नहीं किया जाता, तब तक आय-कर विधेयक से राजस्व नहीं बढ़ सकता। कर अपवंचकों को तो पकड़ना ही पड़ेगा वरना कुछ भी नहीं हो पायेगा। मेरा सुझाव है कि अपीलीय उप-आयुक्त के पद को हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब उसका कोई उपयोग नहीं है।

इस संबंध में इस्पात और सीमेन्ट पर उत्पादन-शुल्क लगाने का वित्त मंत्री का प्रस्ताव भी उल्लेखनीय है। इससे तो सरकार को ही हानि होगी, और योजना का खर्च बढ़ जायेगा। योजना के सभी अंगों को कार्यान्वित करने के लिये सीमेंट और इस्पात की आवश्यकता है। इसलिए इस उत्पादन शुल्क के लगाने से राष्ट्र को ही हानि होगी।

जब तक ऋणों पर प्रभावशाली नियन्त्रण लागू नहीं होता वस्तुओं की कीमतें बढ़ने से नहीं रोकी जा सकतीं। इसके लिये बैंकों का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है। आज भारत में बैंकों में लगभग १२२१ करोड़ रुपये के निक्षेप हैं और पेशगियां हैं।

मात्रा ९३५.८८ करोड़ है। जब तक कि हम देश में महाजनों द्वारा दिये जाने वाले ऋण पर ठीक तरह से नियंत्रण नहीं करेंगे तब तक ऋण पर प्रभावपूर्ण नियंत्रण नहीं होगा और यह मुद्रा स्फीति बढ़ती जायेगी।

मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि या तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाये या कोई ऐसा कानून बनाया जाये जिससे रक्षित बैंक का इन पर पर्याप्त नियंत्रण रहे।

जब तक ग्राम्य ऋण की सुविधायें नहीं दी जातीं तब तक कृषि अवस्था की प्रगति नहीं हो सकती। इसी कारण ग्राम्य ऋण जांच समिति ने इम्पीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण की सिफारिश की थी तथा भारत का राज्य बैंक बनाया गया था। किन्तु यह समस्या तब तक हल नहीं हो सकती जब तक राज्यों के बैंकों का भी राष्ट्रीयकरण न किया जाये। राज्यों के बैंकों के मालिक इस कार्यवाही का विरोध करते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि राज्यों के बैंकों को भारतीय राज्य बैंक में मिलाने की तुरन्त कार्यवाही की जाये।

इसके साथ हमें छोटे-छोटे बैंकों को आपस में मिलाकर मजबूत करना चाहिये। इन छोटे बैंकों से खतरा ही रहता है। आज देश में विदेशी मुद्रा के बैंक भी इकट्ठे हो रहे हैं। अभी अभी सुनने में आया है कि नैशनल बैंक आफ इंडिया ग्रिंडलेज के साथ मिल रहा है और इसी प्रकार अन्य विदेशी बैंक भी मिल रहे हैं। यदि हमारे छोटे-छोटे बैंक आपस में मिलकर मजबूत हो जायेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह ग्राम्य ऋण की सुविधायें दे सकेंगे।

दूसरे समवाय अधिनियम आदि के पारित हो जाने के बावजूद भी बैंकिंग उद्योग में त्रुटियां तथा अनियमिततायें हैं। बहुत से लोग बड़े-बड़े कमीशन लेते हैं। तथा एक बैंक से दूसरे बैंक में जाते हैं। रक्षित बैंक कुछ नहीं कर सकता। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस सम्बन्ध में वास्तविक कार्यवाही की जाये ताकि राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था को स्थायित्व प्राप्त हो।

१९५५-५६ में विदेशी मुद्रा के बैंकों के पास कुछ अतिरिक्त राशि थी। किन्तु १९५६-५७ में २९० करोड़ का घाटा था। हमारी निर्यात तो उतनी ही रही किन्तु आयात की मात्रा में वृद्धि हुई। गैर-सरकारी आयात सरकारी आयात से तिगुना हुआ।

वर्तमान वित्त मंत्री जब पहले वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री थे तब इन्होंने खुले लाइसेंस देने शुरू किये थे जिसके कारण आज विदेशी मुद्रा की इतनी समस्या पैदा हो गई है। अब उस प्रकार अनुज्ञप्तियां नहीं दी जाती हैं। सरकार को उससे बड़ी हानि हुई।

मुझे आशा है कि यदि माननीय वित्त मंत्री अब प्रयत्न करें तब मामला ठीक हो सकता है। उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिये।

हम सामान्य बीमे से भी बहुत सी विदेशी मुद्रा का अर्जन कर सकते हैं—इसलिये इसके राष्ट्रीयकरण पर भी विचार किया जाये। इससे सामान्य बीमे का काम भी बढ़ेगा।

जीवन बीमा निगम जो सरकार के हाथों में है उसका काम भी गिरता जा रहा है। १९५५ में २३८.३० करोड़ का काम हुआ था किन्तु १९५६ में १८७.६९ करोड़ रुपये का काम हुआ। इस घाटे के क्या कारण हैं? वास्तविक कारण यही है कि कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। जो लोग बीमा लाने का काम करते हैं—उन्हें भी माननीय मंत्री संतुष्ट करें—तभी जाकर यह काम प्रगति कर सकता है।

दूसरे इस विशेष क्षेत्र में आज उन्हीं लोगों का प्रभुत्व है जो राष्ट्रीयकरण का विरोध करते हैं। यह तो ऐसी ही बात है जैसी कि किसी बच्चे को डायन के हाथ सौंपने की बात हो। मुझे डर है कि यदि स्थिति ऐसी ही रही तो लोग राष्ट्रीयकरण के उत्सादन की मांग करेंगे। किन्तु ऐसा नहीं होना चाहिये—बड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिये।

समवाय अधिनियम के अधीन प्रबन्ध अभिकर्ता तो समाप्त हो गये किन्तु विक्रय अभिकर्ता बन गये हैं। ये लोग ३ प्रतिशत कमीशन लेते हैं। इसलिये अब इस कानून में आवश्यक परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

दूसरे विक्रय कर का मामला आजकल बड़ा उलझा हुआ है। अन्तर्राष्ट्रीय विक्रय कर है तथा इसी प्रकार बहु-विक्रय है—विभिन्न राज्यों में विक्रय कर की दरें भी अलग अलग हैं। इन सब बातों से बड़ी कठिनाइयां पैदा ही रही हैं। मैं सुझाव देता हूँ कि विक्रय कर केवल उत्पादन के स्थान पर ही लगाया जाये या उसे उत्पादन शुल्क के साथ ही मिला दिया जाये। इससे यह सारी कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। खाद्यान्नों पर विक्रय कर लगाने से जनता दुखित होगी।

इन शब्दों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करें।

श्री राम शंकर लाल (डुमरियागंज) : अध्यक्ष महोदय, कब्ल इसके कि मैं अपनी बातों को कहूं, मुझसे पहले अभी जो माननीय मेम्बर बोले, उनकी बातों के सम्बन्ध में कुछ कहना

[श्री रामशंकर लाल]

चाहता हूं। उन्होंने कहा कि टैक्सेशन का जो हेड है वह कम कर दिया गया और हमारी टैक्सेशन (कराधान) की जो पालिसी (नीति) है वह कुछ ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में मुल्क में कुछ गलतफहमी है। लोगों का ख्याल है कि नैशनल इनकम (राष्ट्रीय आय) तो गिरती जा रही है, लेकिन टैक्सेशन बहुत है। इनकम टैक्स जो है बजाय इसके कि वह ज्यादा लोगों पर पड़े, वह घटता रहा। अगर यह बात मान ली जाए तो फिर कैपिटल फार्मेशन (पूंजीनिर्माण) कैसे होगा, यह मेरी समझ नहीं आता। असल बात यह है कि अगर हमें मुल्क को आगे बढ़ाना है और कैपिटल फार्मेशन करना है तो ज्यों ज्यों नैशनल इनकम बढ़ती जाएगी त्यों-त्यों ही उस को बढ़ाना पड़ेगा। तभी जा कर कैपिटल फार्मेशन हो सकता है।

हम लोगों ने एक एस्टैट ड्यूटी बिल (सम्पदा शुल्क विधेयक) पास किया था। उसकी वर्किंग ठीक तरह से नहीं हो सकी। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे माननीय मंत्री जी उसके संबंध में एक संशोधन ले आने वाले हैं। मैं उनको इस बात की भी बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बजट का कुछ अंश अब की बार हिन्दी में तैयार कराया है। मुझे आशा है कि अगली बार सारे का सारा बजट वह हिन्दी में तैयार कराने की व्यवस्था करेंगे।

डाकखानों में उन्होंने चेक के जरिए से विदड्राल की जो शुरुआत बम्बई में की है, वह भी एक वेलकम साइन है और मैं समझता हूं कि यह चीज तजुर्बे में जैसी साबित हो उसके अनुसार और जगहों में भी बढ़ाई जाएगी। गिफ्ट कूपन्स का अभी हाल में प्रचार किया गया है। नैशनल सेविंग्स को बढ़ाने के लिए गिफ्ट कूपन्स का जो तरीका है वह बहुत अच्छा है, लेकिन अभी उसकी पब्लिसिटी काफी नहीं हुई है। खास कर देहातों में इसका प्रचार होना चाहिए। उम्मीद है कि इससे हमारी सेविंग काफी बढ़ जाएगी। मेरा अपना खयाल यह है कि अगर हम लोगों को सेविंग्स काफी बढ़ाना है तो उसके प्रचार के जरिए ढूंढने होंगे। मेरी राय में देहातों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बहुत से टीचर्स हैं, उनसे भी हमें इस बारे में काम लेना चाहिए और इसमें वह बहुत यूजफुल (लाभदायक) हो सकते हैं। उनके जरिए से हम बहुत अच्छी रकम वसूल करने में कामयाब हो सकेंगे।

जो नए सिक्के चलाए गए हैं, उनके सिलसिले में ऐसा इन्तजाम किया गया है कि अभी पुराने सिक्के नहीं उठाए गए हैं। यह अच्छा ही हुआ है और इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। लेकिन इस सिलसिले में पीतल की दुअन्नियां हैं उनसे लोगों को बहुत तकलीफ है क्योंकि वह आम तौर से सभी जगह नहीं ली जाती हैं। यह जरूर है कि सरकार की तरफ से एलान कर दिया जाता है कि हमारे पोस्ट आफिसेज (डाकघर) में यह दुअन्नियां ली जाएंगी, लेकिन जब हम ले जाते हैं तो कह दिया जाता है कि वह दुअन्नियां नकली हैं। जो गांव के लोग या साधारण लोग हैं, यह तमीज कैसे कर सकते हैं कि कौन सी दुअन्नियां नकली हैं और कौन सी असली हैं। इसका कोई न कोई इन्तजाम होना चाहिए। इसकी वजह से कई जगहों पर गांवों में झगड़ा हो गया और हालत बहुत खराब है। इसके सिलसिले में हुकूमत की तरफ से कोई माकूल इन्तजाम होना चाहिए।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, और आज सुबह एक सवाल भी था, कि पुराने सिक्के अभी उस वक्त तक नहीं उठाए जाने चाहिएं जब तक कि पब्लिक नए सिक्कों से काफी फैमिलिअर नहीं हो जाती। अभी लोगों को इसका बहुत इल्म नहीं है और गांवों में रहने वालों को तो अभी इसकी समझ बिल्कुल नहीं सी है।

हमारे स्टेट बैंक (राज्य बैंक) की शाखाएं खोलने के लिए १८३ स्थान सेलेक्ट किए गए हैं, यह अच्छा है। लेकिन उसके साथ यह आवश्यक है कि और सेन्टर्स बढ़ाए जाएं क्योंकि जो डेट लेजिस्लेशन बना उसके कारण देहातों में जो लोग मनी लेंडिंग का काम करते थे उन्होंने बिल्कुल बन्द कर दिया। देहातों में आज सिवा इसके कि वहां स्टेट बैंक हो या कोआपरेटिव बैंक हो, और कोई जरिया लोगों को कर्ज मिलने का नहीं है। और लोगों को इससे काफी तकलीफ होती है। इसलिए इन शाखाओं को बढ़ाने का इन्तजाम करना चाहिए। हमारे रिजर्व बैंक ने रूरल क्रेडिट का सर्वे कराया और उसके लिए उन्होंने कुछ इन्तजाम भी किया है, लेकिन मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो भी इन्तजाम किया गया है, उससे काम चलने वाला नहीं है। हम लोग यह चाहते हैं कि अगले पांच वर्षों में हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्दर गल्ले की पैदावार काफी बढ़ जाए, और उसकी पैदावार तब तक नहीं बढ़ सकती है जब तक उसमें काफी पूंजी और परती न लगाई जाए। जितने हमारे किसान हैं जिनके पास छोटी छोटी होल्डिंग्स हैं, उनके पास ऐसी कोई बचत नहीं है जिससे कैपिटल फार्मेशन हो। नतीजा यह है कि वह पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर हम को पैदावार बढ़ानी है तो हमें उनको कर्जा मिलने का माकूल इन्तजाम करना चाहिए। उनको इतना कर्जा मिलना चाहिए जिससे वह अपने बैलों और खेती की दूसरी चीजों का इन्तजाम कर सकें। इसका गांवों में कोई इन्तजाम नहीं है। अभी तक सिर्फ ३ परसेन्ट (प्रतिशत) कर्जा कोआपरेटिव (सहकारी) बैंक से मिलता है और ३ परसेन्ट और मिलता है। कुल ६ परसेन्ट करजा उनको मिलता है। अगर इस ६ परसेन्ट की लागत से हम यह उम्मीद करें कि हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारे किसान अपनी पैदावार बढ़ा लेंगे, तो यह किसी तरह से भी मुमकिन नहीं है। अगर हम यह चाहते हैं कि हमारी जमीन की पैदावार बढ़े और हमको बाहर से गल्ला इम्पोर्ट (आयात) न करना पड़े, तो यह जरूरी है कि उसमें पूंजी लगाई जाए और उस पूंजी के लगाने के लिए यह जरूरी है कि हमारे किसानों को कर्जा दिया जाए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब को उनको कर्जा दिलाने का इन्तजाम करना चाहिये।

जहां तक हमारे फारेन एक्सचेंज (विदेशी मुद्रा) का सवाल है, उन्होंने यह अच्छा ही किया है कि जो लोग सिर्फ प्लेजर के लिए या और कंवीनिएंस हासिल करने के लिए ट्रैवेल करते हैं उसको बन्द कर दिया है। इस कदम से उनको काफी बचत होगी और मैं उनको इस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह भी ठीक है कि आज कल जब हमारे पास फारेन करेन्सी की कमी है तो और मुल्कों से हमारा व्यापार रुपये के जरिए से हो। यूनाइटेड स्टेट्स आफ अमरीका से ऐग्रिमेंट (समझौता) हुआ है उसके मुताबिक वह हम को ३६० मिलियन डालर्स का गल्ला देगा। यह बड़ा अच्छा काम हुआ है और मैं यह आशा करता हूं कि हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब और मुल्कों से भी इसी तरह की कोशिश करेंगे कि बजाए इसके फारेन एक्सचेंज के जरिए हम चीजों को लें, हम रुपए के जरिए ही उनका इम्पोर्ट कर सकें। इससे हमारी फारेन एक्सचेंज की दिक्कत बहुत काफी घट जाएगी।

आखिर में मैं, लाइफ इंश्योरेन्स का जो नैशनलाइजेशन (राष्ट्रीयकरण) हुआ है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मुझ से पहले जो मेरे मित्र बोले वह कम्युनिस्ट बेंचेज के हैं। कम्युनिस्ट पार्टी (साम्यवादी दल) का हमेशा एक नारा रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों का नैशनलाइजेशन करें। लेकिन हमारे लाइफ इंश्योरेन्स की जो हालत रही, उससे उन को भी यह कहना पड़ा कि पहले हम को एक केडर तैयार कर लेना चाहिए, तब ही नैशनलाइज के काम में पड़ना चाहिए। आज हालत यह है कि करीब ७९ करोड़ रुपए का बिजिनेस नहीं

[श्री रामशंकर लाल]

हुआ पिछले साल में। इससे लोगों में काफी ऐप्रिहेंशन (आशंका) है और उनका यह खयाल है कि कहीं ऐसा न हो कि नैशनलाइजेशन की वजह से हमारे लाइफ इंश्योरेन्स का बिजिनेस खतरे में पड़ जाए। इसके लिए कुछ मेम्बरों ने नाट ए डे मोशन का नोटिस भी दिया है और उस पर बातचीत होगी, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि लाइफ इंश्योरेन्स का जो नैशनलाइजेशन हुआ उससे कहीं ऐसा न हो कि लोगों में यह भावना फैल जाए कि हमारे मुल्क की जो नैशनलाइजेशन की पालिसी है वह फेल हुई है और लोग नैशनलाइजेशन के नाम से डरने लगें। इसके लिए केडर या पर्सोनेल जिस चीज की जरूरत हो, उसको हमारे फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को तैयार करना चाहिए।

इन लफ्जों के साथ मैं अपनी फाइनेन्स मिनिस्ट्री की डिमांड्स को सपोर्ट (समर्थन) करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस उनको मंजूर करेगा।

†श्री मुईउद्दीन (सिकन्दराबाद): योजना आयोग ने अर्थव्यवस्था के समस्त विनियमन के लिये यह सुझाव दिया था कि इसका विनियमन राजकोषीय नीति तथा निर्यात आयात पर नियंत्रण तथा व्यापार विनियमन से ही होना चाहिये। मैं अब यह बताऊंगा कि मुद्रा-संबंधी तथा बैंकिंग नीति से किस प्रकार विनियमन की कार्यवाही की गई है।

द्वितीय योजना बड़े जोश से आरंभ की गई किन्तु आरंभ में ही हमारे पास विदेशी मुद्रा की कमी हो गई और हमारे सामने संकट आ गया तो हमने इस व्यवस्था के विनियमन के लिये क्या किया ?

कीमतों की वृद्धि के बारे में मैं बताना चाहता हूं कि मार्च, १९५६ तक १९५५-५६ की तुलना में खाद्यान्नों के मूल्य में २२.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। गत वर्ष की तुलना में कच्चे माल के मूल्यों में १९.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। १९५६ तक बैंकों ने २६ प्रतिशत अधिक ऋण दिया है। मुद्रा में २६५ करोड़ रुपये का आधिक्य हो गया है। विदेशी मुद्रा क्षेत्र में ४४ करोड़ का घाटा है। तो इन सब बातों की रोकथाम के लिये रक्षित बैंक तथा सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पहली कार्यवाही रक्षित बैंक ने यह की कि मार्च १९५६ में बिल की दरें ३ से बढ़ाकर ३½ प्रतिशत कर दीं। फिर नवम्बर, १९५६ तक कोई कार्यवाही नहीं की गई—तब बैंक ने ऋण की दर ३½ प्रतिशत से बढ़ाकर ४ प्रतिशत कर दी। बट्टे की अर्थात् भुनाने की दर भी ३½ से बढ़ाकर ४ प्रतिशत की गयी।

जो कार्यवाही रुक रुक कर भारत सरकार ने की वह बड़ी ही आश्चर्यजनक है। वास्तव में भारत सरकार तथा रक्षित बैंक ने जो भी कदम उठाये उन पर उन्हें स्वतः भी भरोसा नहीं था कि इस कार्यवाही से वास्तविक रूप में ही कुछ लाभ होगा।

ऋण के प्रसार को रक्षित बैंक संवरित ऋण नियंत्रण के तरीके से भी नियंत्रित करता है। १७ मई, १९५६ को रक्षित बैंक ने धान और चावल पर ऋण नियंत्रण किया था। किन्तु बाद में इसे समाप्त कर दिया गया। जून १९५७ में स्थान की ४० प्रतिशत वृद्धि भी हुई।

यहां यह कार्यवाही १९५७ में की गई—किन्तु पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों में ये समस्त कार्यवाहियां फरवरी-मार्च, १९५६ में ही कर ली गई थीं—इसीलिये वहां केवल ४ से ८ प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बात मैं मानता हूँ कि रक्षित बैंक जरा से मूल्यों के परिवर्तन को देखकर ही एकदम से बट्टे की दरें नहीं बढ़ा सकता और यों ही अचानक कोई कार्यवाही नहीं कर सकता और मैं यह भी मानता हूं कि भारत में बैंकों के नियंत्रण कार्य से कीमतों की वृद्धि पर ऐसा प्रभाव नहीं पड़ सकता जैसा कि प्रगतिशील राष्ट्रों में हो सकता है—किन्तु मैं यह अवश्य ही मानता हूँ कि रक्षित बैंक को जिस ठीक समय पर कार्यवाही करनी चाहिये थी उस समय उसने कार्यवाही नहीं की। बाद में की।

११ नवम्बर, १९५६ को जब कि कीमतें बहुत बढ़ गयीं थीं माननीय मंत्री ने कहा था इस समय पूरी सतर्कता की आवश्यकता है और फिर ब्याज की दरें बढ़ाई गयीं—जिसका परिणाम यह हुआ कि १९५६–५७ में उससे पहले वर्ष की तुलना में कीमतें कम रहीं।

योजना जिसे संसद् तथा देश ने स्वीकार किया है उसमें यह उपबन्ध रखा गया है कि इतने घाटे की अर्थ व्यवस्था की जायेगी। १२०० करोड़ के इस घाटे की व्यवस्था को ५ वर्ष में करना है। इसलिये अच्छा यही होगा कि इसे ठीक ढंग से किया जाये अर्थात् जब कीमतें बढ़ जायें तब कम नोट छापे जायें और जब कीमतें ठीक हों तथा योजनानुसार काम किया जाये। किन्तु मैं यह नहीं कहता कि ऐसा वास्तविक रूप से हो भी सकता है या नहीं। १९५३ में मन्दा रहा था किन्तु अब बड़ी तेजी आ गई है—यह बातें स्वस्थ अर्थ व्यवस्था की द्योतक नहीं हैं। वास्तव में कीमतों पर नियंत्रण की व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिये कि जब भी ज्यादा तेजी हो या ज्यादा मन्दा हो हम तुरन्त ही कार्यवाही कर सकें।

वित्तीय आयोग का एक निर्देशन पद यह है कि राज्यों को जो ऋण दिये गये हैं उन पर ब्याज की दर में किसी रूप भेद की आवश्यकता है या नहीं। राज्यों को कुल मिलाकर १९५१–५२ से १९५७–५८ तक १०४४ करोड़ रुपये के ऋण दिये गये हैं। यदि ४ प्रतिशत ब्याज की दर से हम ब्याज का हिसाब लगायें तो वह रकम ४१ करोड़ बैठेगी। करों तथा शुल्कों में राज्यों का अनुमानित भाग १९५७–५८ में ८२,७४,००,००० रुपये होगा। इससे आधी रकम तो सरकार ऋणों के ब्याज के रूप में ही राज्यों से वापस ले लेगी। सिद्धान्ततया यह बात ठीक है कि यदि राज्य कहीं से ऋण लें तो उन्हें ब्याज तो देना ही पड़ेगा। किन्तु इस विकासशील राष्ट्र में हमें यह देखना चाहिये कि इस प्रकार राज्यों की क्या स्थिति होगी।

†**वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी)**: उन्हें उत्पादन कार्यों में ही लगाया जायेगा।

†**श्री मुहीउद्दीन** : मैं उस सम्बन्ध में भी कहूंगा। आप तुंगभद्रा परियोजना को ही लीजिये। आशा की जाती है कि इससे २½ प्रतिशत की आय होगी। १० या १२ वर्ष के बाद इससे पूरी आय होनी शुरू होगी किन्तु राज्यों को मूल तथा ब्याज की किस्तें प्रतिवर्ष देनी पड़ती हैं—इस प्रकार कठिनाइयां पैदा होती है—वहां आपके साधन ज्यादा नहीं हैं। राज्य पूंजी तो लगाते हैं किन्तु इनसे लाभ बाद में ही होता है।

†**श्री ति०त० कृष्णमाचारी** : उन्हें इस प्रकार पूंजी नहीं लगानी चाहिये।

†**श्री मुहीउद्दीन** : हमें पूंजी लगाने का परीक्षण करना है।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

सभी परियोजनाओं का अनुमोदन केन्द्र करता है। यदि यह शीघ्र लाभ देने वाली प्रतीत न हो तो इन्हें स्वीकार ही क्यों किया जाता है। उत्पादन की लागत भी बहुत बढ़ गयी है। इसलिये इस सारे प्रश्न पर पूर्ण रूप से विचार करने की आवश्यकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चितलद्रुग): श्रीमान् मैंने एक कटौती प्रस्ताव रखा है जिसमें मैंने कहा है कि फजूलखर्ची को बन्द करने की आवश्यकता है। हमें आजादी मिले आज पूरे दस वर्ष बीत गये हैं। इन दस वर्षों में मैं तो कहूंगा हमारी वित्तीय स्थिति खराब ही हुई है। इस खराबी की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय पर है। उन्हें यह देखना चाहिये कि लोगों का रुपया इस तरह व्यर्थ न जाये। आज वैसे तो हम जो चा कहें किन्तु हमारी वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है।

इस दस वर्ष की अवधि में कई वित्त मंत्री आये——प्रत्येक वित्त मंत्री ने प्रशासन का व्यय बढ़ाया और फिर प्रत्येक वित्त मंत्री अपना पद छोड़ गया जिससे प्रकट होता है कि हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था में कोई खराबी है।

इस समय हमें ३५० करोड़ रुपये का घाटा है। अधिक नोट हम पहले ही छाप रहे हैं। हमारा भविष्य अन्धकारमय है। वर्तमान वित्त मंत्री ने भारी कराधान किया है——लोग तो पहले ही करों के बोझ में दबे हुए थे।

इस वर्ष अधिकतम कर लगे हैं किन्तु हम इतना होने पर भी योजना के लिये आवश्यक रकम नहीं जुटा सकेंगे।

प्रशासन तथा योजना पर हम पर्याप्त व्यय कर रहे हैं किन्तु देश में समृद्धि दिखाई नहीं देती। लोगों की हालत वैसी ही है——मुद्रास्फीति और भी खतरे पैदा कर रही है। सरकार अनाज की कीमतों की वृद्धि के बारे म चाहे कुछ भी कहे किन्तु सचाई यह है कि अधिक कराधान, नोट छापने तथा अतिशय व्यय के कारण ही यह सब बात हो रही हैं।

इन बातों को देख कर हमें असीम निराशा होती है।

आज हम पांच वर्ष पहले से दुगना या तिगुना खर्चा कर रहे हैं। लेकिन लोगों की अवस्था ज्यों की त्यों है। मैं समझता हूं हमारी योजना त्रुटिपूर्ण है और अवास्तविक है।

आप देखेंगे कि हम अपनी आमदनी का व्यय कैसे करते हैं। १९४६–४७ में हमारी आय ३१९ करोड़ था और व्यय १६६ करोड़ था किन्तु अब हमारी आय ६६३ करोड़ है किन्तु व्यय ४१० करोड़ रुपये है।

मैं यह बताना चाहता था कि इन कामों पर ही हमारा व्यय कितना बढ़ चुका है। १९४४-४५ में असैनिक प्रशासन पर २४ करोड़ रुपये का व्यय होता था और इस वर्ष असैनिक प्रशासन का व्यय १९१ करोड़ रुपये है। यह व्यय विकास व्यय से अलग है। आप इससे देख सकते हैं कि अब यह व्यय किस तेजी से बढ़ा है। यदि हालात ऐसे ही रहे तो एक दिन ऐसा भी आयेगा कि हमारी सरकार सरकारी कर्मचारियों के वेतन भी नहीं दे सकेगी।

सभी विभागों में अधिक व्यय करने की मनोवृत्ति है। किन्तु इस समय सभी विभागों में बचत करने का मौका है——अन्यथा हमें एक भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। आखिर को रुपया तो कराधान से ही प्राप्त होता है——किन्तु लोग पहले ही करों के महान् भार में दबे पड़े हैं। वह कहां तक अपना हिस्सा देते रहेंगे ——क्या इस कराधान की भी कोई सीमा है? क्या माननीय मंत्री करों से कुछ सीमा तक लोगों को मुक्त करेंगे?

जैसा भी व्यय हो उसके लिये कर लगाये जाते हैं——लेकिन लोग एक मात्रा तक ही दे सकते हैं। इसकी सीमायें हैं। यदि माननीय मंत्री को लोगों की हालत का पता हो तो वह ऐसी बात कभी न करें। इसलिये ज्यादा व्यय को बन्द किया जाये। सरकार को कोई प्रभावपूर्ण कार्यवाही करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

विभिन्न विभागों में बचत के बारे में मेरा एक सुझाव है कि पहले ऊपर से ही एक आदर्श स्थापित किया जाये। मैं समझता हूं यदि आधे मंत्री लम्बी छुट्टी पर चले जायें तो भी सरकार का काम चल सकता है। बहुत से मंत्रालयों को हम मिला सकते हैं। इन्हीं पर अकेले १९ करोड़ रुपये का व्यय हो रहा है।

अब मंत्रालयों में बचत की बातें चल रही हैं—लोगों को स्वतः वेतन में से कटौती करने को कहा जाता है किन्तु क्या यह योजना सफल होगी—या इससे कितनी बचत होगी ?

स्वतः कोई पदाधिकारी अपने वेतन कम नहीं करेगा—जब तक इस कटौती को अनिवार्य नहीं बनाया जाता तब तक कोई सफलता नहीं मिलेगी।

इस सारे काम की जांच करने के लिये एक उच्चाधिकार समिति बनाई जाये। वह समिति ही यह देखे कि किस मंत्रालय में अधिक कर्मचारी हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपको एक उदाहरण दे सकता हूं। वैदेशिक कार्य मंत्रालय में विदेशों के राजदूतावासों के कर्मचारियों के अतिरिक्त यहां १३०० कर्मचारी हैं। इसी तरह दूसरे मंत्रालयों में भी कर्मचारियों का आधिक्य है। इसलिये समिति बनाई जाये जो इन विभागों की आवश्यकताओं पर विचार करके बचत की सिफारिशें करें।

साथ ही साथ हमें आमदनी के और साधनों की तलाश भी करनी चाहिये। आदर्शवादिता के कारण सरकार को राजस्व खोना नहीं चाहिये। आप मद्य निषेध को ही लीजिये—मैं भी पहले यही सोचा करता था कि मद्यनिषेध से लोगों की हालत अच्छी होगी किन्तु अब मुझे बड़ी निराशा हो रही है। लोग धड़ाधड़ नाजायज शराब सींचते हैं। मद्यनिषेध की नीति का दूसरा दोष यह है कि वह सारे देश में लागू नहीं है—किसी राज्य में है किसी में बिल्कुल भी नहीं है। एक ही राज्य के कुछ जिलों में शराब पी जा सकती है किन्तु दूसरों में नहीं। एक दूसरा उदाहरण लीजिये—तुंगभद्रा परियोजना के दोनों तरफ दो अतिथिगृह हैं—एक कैलाश के नाम से तथा दूसरा वैकुण्ठ के नाम से प्रसिद्ध है। आप कैलाश में शराब पी सकते हैं किन्तु वैकुण्ठ में नहीं। हमें इस बात पर दोबारा विचार करना चाहिये। मैं रामामूर्ति समिति की सिफारिशों से पूर्ण रूप से सहमत हूं—किन्तु अग्रवाल समिति की सिफारिशों से सहमत नहीं हूं। यह सफल न होगा। आप कोई और नीति अपनाइये।

राज्यों की हालत तो बिल्कुल खराब है। सभी घाटे में चल रहे हैं। मैसूर १० करोड़ के घाटे में हैं। वास्तव में राज्य भारतीय सरकार के पेंशनर हो गये हैं। यदि केन्द्रीय सहायता न हो तो वहां का काम ही खत्म हो जाये। फिर भी राज्यों को बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जब तक सरकार एक समिति बना कर इन सब बातों का हल नहीं करती तब तक स्थिति ठीक नहीं हो सकती।

सेठ अचल सिंह (आगरा) : उपाध्यक्ष महोदय, फाइनेंस मिनिस्ट्री (वित्त मंत्रालय) एक बहुत महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री है, जिस के जरिये से बाकी की चौदह मिनिस्ट्रीज को फाइनेंस किया जाता है। वह टैक्सेज़ (करों) के जरिये से रुपया इकट्ठा करती है और दूसरी मिनिस्ट्रीज को देती है। हमारे फाइव ईयर प्लन्ज (पंच वर्षीय योजना) का दारोमदार भी फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऊपर निर्भर है।

बहुत से पत्रों में और विदेशों में इस बात की चर्चा की जाती रही है कि हमारे देश की इकानामिक कन्डीशन्स (आर्थिक स्थिति) कुछ कमजोर है, लेकिन हमारे प्रधान मंत्री ने बताया है कि नहीं, हमारे देश की फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल साउंड है। लेकिन मैं यह जरुर कहूंगा कि जिस रफ्तार से और तेजी से हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब और

[सेठ अचल सिंह]

हमारी गवर्नमेंट कदम बढ़ा रही है, उससे जरूर थोड़ा खतरा पैदा हो सकता है । उन्होंने पहले प्लैन में १,८०० करोड़ रुपए और दूसरे प्लैन में ४,८०० करोड़ रुपए रखे । चूंकि चीजों के दाम तेज होते जा रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि हमारा दूसरा प्लैन पांच या साढ़े पांच हजार करोड़ रुपए हो जाये । उस के लिए हम को रुपए की सख्त जरूरत है । हम यह भी देखते हैं कि इंग्लैंड में हमारा जो सरमाया था, वह भी बहुत घट गया है—७०० करोड़ रुपए से वह ३०० करोड़ रुपए रह गया है । इस के अतिरिक्त करोड़ों रुपए का सोना पाकिस्तान के जरिये से इस देश में आ रहा है और इस देश की करेंसी बाहर जा रही है, जिस की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा अन्तर पड़ सकता है । सोना स्मगल (चौर्यानीत) करने के बहुत से केसिज पकड़े भी गए हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अगर दस बीस आदमी चोरी करते हैं, तो उन में से मुश्किल से एक दो आदमी पकड़े जाते हैं । इसी तरह से हम देखते हैं कि लाखों करोड़ों रुपए के हीरे और रूबी स्मगल हो कर आ रहे हैं और इस तरह से काफी रुपया बाहर जा रहा है । यह स्थिति बड़ी गहन है और इस पर विचार किया जाना चाहिए कि हम को अपनी आर्थिक स्थिति किस प्रकार मजबूत करनी है ।

हमारे खर्च भी काफी बढ़ गये हैं । यह ठीक है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने टैक्सिज (कर) लगाए हैं, जिन से ९० करोड़ रुपए की आमदनी होगी, लेकिन हम यह भी देखते हैं कि उन से जनता में काफी बेचैनी और परेशानी है । इसके साथ ही साथ हम को रुपए की भी जरूरत है, जिससे हम अपनी प्लैन (योजना) को पूरा कर सकें । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि हम को स्माल सेविंग्स (अल्प बचत) से काफी मदद मिल सकती है । हमारा कर्तव्य है कि हम १०० करोड़ रुपए स्माल सेविंग्स के जरिये से इकट्ठा करें । लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि इस के लिए जितने प्रचार की आवश्यकता है वह नहीं हो रहा है । तमाम शहरों और देहातों में इस का प्रचार किया जाना चाहिए, ताकि लोग पंचवर्षीय योजना के महत्व को समझें और यह महसूस करें कि देश की तरक्की हो रही है, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम थोड़ा बचा कर इस में हाथ बटायें । मैं चाहूंगा कि इस पहलू पर जोर दिया जाये ।

मैंने पिछले फाइनेंस मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब को भी यह सुझाव दिया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स के तमाम सर्वेन्ट्स और तमाम सैमी-गवर्नमेंट सर्वेन्टस की एक एक महीने की तन्ख्वाह साल में बारह इन्स्टालमेंट्स में कर्जे के रूप में ली जाये, तो इससे कई सौ करोड़ रुपए की प्राप्ति हो सकती है । उन को तीन परसेंट (प्रतिशत) टैक्स दिया जाये । इस प्रकार लोग यह महसूस करेंगे कि इस प्लैन में हमारा भी हाथ है और वे इस में अपना पूरा सहयोग देंगे ।

हम को इस बात की भी कोशिश करनी चाहिए कि हम सैकंड फाइव यीअर प्लैन के लिए फारेन कन्ट्रीज के लिए जो मशीनरी, टूल्ज या दूसरा सामान खरीदें, उन को लोग टर्म क्रेटिज पर खरीदें । ऐसा भी हो रहा और कई फारेन कन्ट्रीज (विदेशों) से ऐसे मआहिदे हुए हैं । इस तरीके से भी हम को काफी मदद मिल सकती है ।

हम यह देखते हैं कि गवर्नमेंट जो भी काम अपने हाथ में लेती है, उस में फायदा होने के बजाय नुक्सान होने लगता है । जब हमारी एयर सर्विसिज प्राइवेट कम्पनियों के हाथ में थीं और गवर्नमेंट ने उन को नहीं लिया था, तो उन में काफी फायदा होता था लेकिन नैशनलाइजेशन के बाद अब उन में नुकसान हो रहा है । जब तक इन्शोरेन्स

का काम प्राइवेट कम्पनीज करती रहीं, तो काफी काम होता था, लेकिन जब से गवर्नमेंट ने उस को नेशनलाइज किया है, तब से काम काफी कम हो रहा है, और उस में भी नुक्सान की सम्भावना है । गवर्नमेंट ओवर-हैड चार्जिज (ऊपरी व्यय) बढ़ा देती है । व्यापारी तो बहुत थोड़े खर्च से काम करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी बहुत बड़े खर्च में काम करती है । इस खर्च को कम करने के उपायों पर विचार किया जाना चाहिए ।

सेल्ज टैक्स (विक्रय-कर) की वजह से सारे भारतवर्ष में बड़ी बेचैनी है । कुछ चीजों पर इन्टर-स्टेट सेल्ज टैक्स (अन्तर्राज्यीय विक्रय कर) १ परसेंट (प्रतिशत) लगाया गया है, लेकिन समझ में नहीं आता कि दिल्ली के लिए वह आधा क्यों किया जा रहा है । तमाम स्टेट्स में इस टैक्स का विरोध किया जा रहा है । मैं आशा करता हूं कि इस बात पर विचार किया जायेगा और सब को एक दृष्टि से देखा जायेगा । मेरा यह भी निवेदन है कि सेल्ज टैक्स में बहुत चोरी होती है । १०० रुपए में से करीब १०, २०, २५ रुपए तक वसूल होता है और बाकी की चोरी होती है । हम देखते हैं कि क्या साधारण और क्या बड़े बड़े आदमी जब सामान खरीदने जाते हैं, तो दुकानदार से कह देते हैं कि हम को परचे की जरूरत नहीं है, हम सेल्ज टैक्स नहीं देंगे और इस प्रकार उन से सेल्ज टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है और सरकार को नुक्सान होता है । इस प्रकार इनकम-टैक्स का भी नुक्सान होता है और सेल्ज-टैक्स का भी ।

जहां तक कपड़े पर एक्साइज ड्यूटी (उत्पादन शुल्क) का सम्बन्ध है, काफी जोर से इस बात की मांग की जा रही है कि कपड़े—रेशम और वूलन—पर सेल्ज-टैक्स एक्साइज ड्यूटी में परिवर्तित कर दिया जाये । मुझे बताया गया है कि फाइनेंस कमीशन (वित्तीय आयोग) ने भी यह रीकमेंड (सिफारिश) किया है, लेकिन पता नहीं क्यों, अभी तक उस पर अमल नहीं किया जा रहा है ।

मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे और स्टेट गवर्नमेंट्स (राज्य सरकारों) को भी इस बात के लिए राजी करेंगे कि कपड़ा रेशम और सिल्क इत्यादि पर जितना भी सेल्ज टैक्स लगता है उसको एक्साइज ड्यूटी टैक्स में बदल दिया जाए और बाद में जितना भी रुपया इससे वसूल हो उसको सम्बन्धित स्टेट्स में बांट दिया जाए और उसके हिस्से के मुताबिक बांट दिया जाए जो हिस्सा कि उनका बैठता है ।

अब मैं इनकम टैक्स (आयकर) के बारे में थोड़ा सा अर्ज़ करना चाहता हूं । इनकम टैक्स की जो लिमिट है उसको आपने ४२०० से घटा कर ३६०० कर दिया है और इसका नतीजा यह होगा कि केसिस की तादाद बढ़ेगी । मुझे मालूम है कि आगरा में आज भी बीसियों इनकम टैक्स के ऐसे केसिस हैं जिनका निपटारा नहीं हुआ है और लोगों से इनकम टैक्स वसूल नहीं किया गया है । इसका एक मुख्य कारण यह है कि आपके पास स्टाफ की कमी है । सैंकड़ों केसिस बगैर तय हुए पड़े हुए हैं और कितने ही बरसों से वे पड़े हुए हैं । अगर हर साल इनकम टैक्स तय होता जाए और व्यापारियों से वसूल कर लिया जाया करे तो इसका नतीजा यह होगा कि गवर्नमेंट को भी पैसा मिल जाएगा और व्यापारियों को ज्यादा तकलीफ नहीं होगी । आज मैं देख रहा हूं कि चार पांच और छः साल तक के केसिस पैंडिंग हैं और उनसे न तो रुपया वसूल किया जा सकता है और न ही वे इस काबिल हैं कि इसको अदा कर सकें । बहुत सी फर्में फेल हो जाती हैं

[सेठ अचल सिंह]

और गवर्नमेंट का रुपया मारा जाता है । मैं चाहता हूं कि इस ओर और ज्यादा तवज्जह दी जाए और स्टाफ की कमी को दूर किया जाए ताकि जितने भी इनकम टैक्स के केसिस होते हैं उनका हर हाल फैसला हो जाया करे ।

अब मैं जनता में नए पैसे के बारे में जो परेशानी है, उसके बारे में कुछ कहना चाहता हूं । अभी तक शहरों की ही जनता इस नए पैसे से वाकिफ नहीं हुई है, देहाती जनता का तो कहना ही क्या है । उसको तो इस नए पैसे से वाकिफ होते होते काफी समय लग जाएगा । इस सिलसिले में मैं चाहूंगा कि आपने जो तीन साल का टाइम दिया है वह कम है और उसको बढ़ा दिया जाए । सब से पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बारे में बहुत ज्यादा प्रचार करने की आवश्यकता है जोकि आज नहीं किया जा रहा है और लोगों को समझाने की आवश्यकता है । जब लोग समझ जायेंगे तो अपने आप इस नए पैसे का लेन देन शुरू कर देंगे । इसी तरह से नाप और तौल में भी आप डेसिमल सिस्टम (दशमिक प्रणाली) जारी करने जा रहे हैं। हमारे देश के लोग सदियों से एक सिस्टम के आदी हैं और उसको एक साल या दो सालों या तीन सालों में किसी दूसरे सिस्टम पर ले आना बहुत मुश्किल काम है । यह और भी मुश्किल उस सूरत में हो जाता है जबकि हम यह देखते हैं कि हमारे देश में काफी लोग अनपढ़ हैं और काफी ही नहीं बल्कि बहुत भारी तादाद में अनपढ़ हैं । इसलिए मैं चाहूंगा कि उनको इस चीज को समझने का तथा इस का उपयोग करने का काफी मौका दिया जाए और काफी समय दिया जाए ।

मैंने देखा है कि रिजर्व बैंक आफ इंडिया (भारत के रक्षित बैंक) की तरफ से १९० करोड़ रुपए के नोट ज्यादा छापे गये हैं । और इसका नतीजा यह हुआ है कि चीजों के भाव काफी ऊंचे होते जा रहे हैं । इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले बताया है कि स्मगलिंग की वजह से भी यहां की काफी करसी दूसरे मुल्कों में जा रही है । इस सब का नतीजा यह हो रहा है कि इनफ्लेशन हो रहा है जिसको रोकना गवर्नमेंट (सरकार) के लिए बहुत जरूरी है । अगर इनफ्लेशनरी टेंडेंसीस (मुद्रा स्फीति) को न रोका गया और भाव तेज होते गए तो इसका नतीजा यह होगा कि जनता की परेशानी जो पहले से ही काफी है और भी बढ़ जायेगी और साथ साथ गवर्नमेंट को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा । इस वास्ते मैं चाहता हूं कि इनफ्लेशन जो कि बढ़ रही है, किसी न किसी तरीके से रोका जाए और जो करोड़ों रुपए की करेंसी (मुद्रा) बाहर जा रही है उसको भी रोका जाए । इस ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि हमारी परेशानी जो बढ़ती ही जा रही है, कम हो सके और कीमतें जो कि तेजी से बढ़ रही है उसको नीचे लाया जा सके ।

मैं माननीय मंत्री जी से एक्सपेंडीचर और वैल्थ टैक्स बिल (व्यय तथा धन कर विधेयक) के बारे में भी थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूं । इनके बारे में बिल जल्दी ही इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किए जायेंगे और उन पर हम विचार करेंगे । मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इन टैक्सों से हमें कोई ज्यादा आमदनी नहीं होगी बल्कि तकलीफ और परेशानी का ही अधिक सामना करना पड़ेगा । आज हम देख रहे हैं कि सेल्स टैक्स आफिसर्स तथा इनकम टैक्स आफिसर्स द्वारा व्यापारियों को तथा दूसरे लोगों को काफी परेशान किया जा रहा है । हम को इस तरह से समझा जाता है जैसे हम चोर हों, बदमाश हों और बेईमान हों और उसी तरह से हमारे साथ पेश आया जाता है । इस की बिना पर लोगों का यह खयाल करना स्वाभाविक है कि उनके साथ इन दो टैक्सों की वसूली के

वक्त भी इसी तरह से व्यवहार किया जाएगा जिससे कि उनको काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा । बिल हमारे सामने हैं और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे कि लोगों को तथा धनियों को ज्यादा परेशानी न हो और जो टैक्स का रुपया है वह भी पूरे का पूरा आसानी के साथ वसूल हो जाए ।

वित्त मंत्रालय की मांगों पर निम्न कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	कटौती प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
१	२	३	४	५
२७	१९२	श्री साधन गुप्त	खाद्यान्नों पर बैंकों द्वारा ऋण	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
२७	१९३	श्री साधन गुप्त	अत्यावश्यक वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाया जाना तथा उनका जारी रखना	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
२७	१९४	श्री साधन गुप्त	विभिन्न क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों को सेवा मुक्त किया जाना	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
२७	१४६०	श्री नौशीर भरुचा	विदेशी मुद्रा की स्थिति में शोचनीय कमी	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
२७	१४६१	श्री नौशीर भरूचा	कागज के नोटों की पुष्टि के लिये रखी जाने वाले स्वर्णादि की मात्रा में कमी	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।
२७	१६५०	श्री प्रभात कार	सामान्य बीमें का राष्ट्रीयकरण	मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाये ।

१	२	३	४	५
२७	१६५१	श्री प्रभात कार	देहाती ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
२७	१६५२	श्री प्रभात कार	कृषकों को ऋण सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें देने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
२७	१६५३	श्री प्रभात कार	ऋण पर उचित नियंत्रण रखने में असफलता	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
२७	१६५४	श्री प्रभात कार	कर-अपवंचना को रोकने में असामर्थ्य	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये
२७	१६५५	श्री प्रभात कार	कराधान की नीति	राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाये ।
२७	६४	श्री मोहम्मद इमाम	विभिन्न मंत्रालयों और सरकारी विभागों में मितव्ययता के उपायों पर विचार करने के लिये समिति की नियुक्ति	१०० रुपये
२७	१३८	श्री साधन गुप्त	जीवन बीमा निगम के कार्य में कार्य-क्षमताहीनता	१०० रुपये
२७	१३९	श्री साधन गुप्त	सरकारी कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते सम्बन्धी तकलीफों का निवारण	१०० रुपये
२७	१४०	श्री साधन गुप्त	बम्बई के आय-कर विभाग के कर्मचारियों को शिकार बनाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१४१	श्री साधन गुप्त	आय-कर विभाग के कर्मचारियों के कष्टों का निवारण	१०० रुपये
२७	४२६	श्री साधन गुप्त	भारतीय मुद्रा को पौंड पर निर्भर रहने से मुक्ति दिलाना	१०० रुपये
२७	४२७	श्री साधन गुप्त	बैंकों द्वारा दिये गये अग्रिम धन के फलस्वरूप मूल्यों की वृद्धि	१०० रुपये
२७	४२८	श्री साधन गुप्त	रेलवेज़ के लिये ब्याज की अत्यधिक दर पर विश्व बैंक से ऋण लेना	१०० रुपये
२७	६६७	श्री साधन गुप्त	सभी बैंकिंग संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण	१०० रुपये
२७	७३०	श्री साधन गुप्त	इंग्लैण्ड की मुद्रा-स्फीति से हमारी मुद्रा को खतरा	१०० रुपये
२७	८४७	श्री साधन गुप्त	डाक तथा तार लेखा-परीक्षा विभाग के कर्मचारियों के कष्टों का निवारण	१०० रुपये
२७	१२३७	श्री साधन गुप्त	विदेशी मुद्रा के संसाधनों के संवर्धन में असफलता	१०० रुपये
२७	१२३८	श्री साधन गुप्त	विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा अपने समुद्र पार के मुनाफों को कम करने में असफलता	१०० रुपये
२७	१६२०	श्री स० म० बनर्जी	आय-कर विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१६२१	श्री स० म० बनर्जी	कानपुर, मद्रास और दिल्ली को 'क' श्रेणी के नगर घोषित करना	१०० रुपये
२७	१६२२	श्री स० म० बनर्जी	उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति	१०० रुपये
२७	१६२६	श्री स० म० बनर्जी	जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सेवा की शर्तें	१०० रुपये
२७	१६२७	श्री वारियर	एक ही स्थान पर लगाये जाने वाले एकरूपतापूर्ण विक्रय-कर की आवश्यकता	१०० रुपये
२७	१६२८	श्री वारियर	बैंकिंग उद्योग का राष्ट्रीय-करण	१०० रुपये
२७	१६२९	श्री वारियर	अनुसूचित बैंकों के औद्योगिक ऋणों की दरें घटाना	१०० रुपये
२७	१६३०	श्री वारियर	आय-व्ययक सम्बन्धी आंकड़ों की अतिछादिता रोकना	१०० रुपये
२७	१६३१	श्री वारियर	उपभोग-वस्तुओं के मूल्यों की वृद्धि रोकने में असफलता	१०० रुपये
२७	१६३२	श्री वारियर	औद्योगिक वित्त निगम में १,००० रु० से अधिक वेतन वाले अधिकरियों का मंहगाई भत्ता	१०० रुपये
२७	१६३३	श्री वारियर	औद्योगिक वित्त निगम के विवाहित और अविवाहित अधिकारियों के मंहगाई भत्ते में विभेद न करना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१६३४	श्री वारियर	केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनों तथा भत्तों में असमानता	१०० रुपये
२७	१६३६	श्री वारियर	स्टेशनरी और स्टोर्स खरीदने में मितव्ययता	१०० रुपये
२७	१६३७	श्री वारियर	राज्य सरकारों के आय-व्ययकों की परीक्षा के लिये अधिक कार्य-क्षम व्यवस्था	१०० रुपये
२७	१६३८	श्री वारियर	पिछड़े राज्यों को अधिक वित्तीय सहायता	१०० रुपये
२७	१६३९	श्री वारियर	नारियल जटा उद्योग का संरक्षण	१०० रुपये
२७	१६४०	श्री वारियर	विदेशों से होने वाले स्वर्ण के तस्कर व्यापार को रोकना	१०० रुपये
२७	१६४१	श्री वारियर	कर अपवंचना को रोकना	१०० रुपये
२७	१६४२	श्री वारियर	चुंगी संबंधी विनियमों का उल्लंघन	१०० रुपये
२७	१६४३	श्री वारियर	सभी बैंकों को भारत के केन्द्रीय राज्य बैंक में मिलाना	१०० रुपये
२७	१६४४	श्री वारियर	भारत के समुद्रपार संस्थापनों में मितव्ययता	१०० रुपये
२७	१६४५	श्री वारियर	मंहगाई भत्ते के सम्बन्ध में प्रथम वेतन आयोग की सिफारिशें	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१६४६	श्री वारियर	राष्ट्रीय आय के क्षेत्र में विभिन्न राज्यों के बीच असमानता	१०० रुपये
२७	१६४७	श्री वारियर	विकास सम्बन्धी विनियोजनों के मामले में राज्यों के बीच असमानता	१०० रुपये
२७	१६४८	श्री वारियर	सुपारी पर आयातकर लगाने की आवश्यकता	१०० रुपये
२७	१६५६	श्री प्रभात कार	स्वर्ण का तस्कर व्यापार रोकने में असफलता	१०० रुपये
२७	१६५७	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम का कार्य-संचालन	१०० रुपये
२७	१६५८	श्री प्रभात कार	कर-अपवंचना रोकने के उपाय	१०० रुपये
२७	१६५९	श्री प्रभात कार	आय-कर विभाग का कार्य	१०० रुपये
२७	१६६०	श्री प्रभात कार	निवृत्त उच्चाधिकारियों द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में काम करने की वांछनीयता	१०० रुपये
२७	१६६१	श्री प्रभात कार	आय-कर विभाग के निवृत्त उच्चाधिकारियों की आय-कर के मुकदमों में वकालत करने की उपयुक्तता	१०० रुपये
२७	१६६२	श्री प्रभात कार	आय-कर विभाग के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें	१०० रुपये
२७	१६६४	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम में न्यूनता	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१६६५	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम में सेवाओं की समाप्ति	१०० रुपये
२७	१६६६	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सेवा की शर्तें	१०० रुपये
२७	१६६७	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम के क्षेत्रीय कर्मचारियों की मांगें मानने में असफलता	१०० रुपये
२७	१६६९	श्री प्रभात कार	जीवन बीमा निगम क्षेत्रीय कर्मचारियों के अभिकरण की शर्तें	१०० रुपये
२७	१६७०	श्री प्रभात कार	औद्योगिक वित्त निगम के प्रबन्ध निदेशक की सेवा समाप्ति के काल की छुट्टी का वेतन	१०० रुपये
२७	१६७९	श्री प्रभात कार	बैंकों का कदाचार रोकने में रक्षित बैंक की असफलता	१०० रुपये
२७	१६८०	श्री प्रभात कार	देहाती क्षेत्रों में भारत के राज्य बैंक की अपर्याप्त शाखायें	१०० रुपये
२७	१६८१	श्री प्रभात कार	नई खशाखाओं के खोलने की अनुज्ञप्तियां वापिस लेने की नीति	१०० रुपये
२७	१६८३	श्री प्रभात कार	भूतपूर्व राज्यों के बैंकों को भारत के राज्य-बैंक में मिलाना	१०० रुपये
२७	१६८४	श्री प्रभात कार	छोटे बैंकों को उद्योग की आर्थिक इकाइयां बनाने के लिये एक में मिलाना	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१६८५	श्री प्रभात कार	बैंक निक्षेप बीमा योजना	१०० रुपये
२७	१६८६	श्री प्रभात कार	बैंकों के बीच निक्षेपों पर दिये जाने वाले ब्याज के संबंध में असमान प्रतियोगिता	१०० रुपये
२७	१६८७	श्री प्रभात कार	भारतीय बैंकिंग उद्योग में कार्य करने वाले विदेशी मुद्रा बैंकों का संविलियन	१०० रुपये
२७	१६८८	श्री प्रभात कार	देहाती क्षेत्रों में अनुसूचित बैंकों की नई शाखायें	१०० रुपये
२७	१६८९	श्री प्रभात कार	कृषकों को बैंकिंग की अधिक सुविधायें देना	१०० रुपये
२७	१६९०	श्री प्रभात कार	छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये बैंकिंग की पर्याप्त सुविधायें	१०० रुपये
२७	१६९१	श्री प्रभात कार	मुद्रा स्फीति की प्रवृत्तियों के रोकने में असफलता	१०० रुपये
२७	१६९२	श्री प्रभात कार	विदेशी मुद्रा के खर्च को रोकने में असफलता	१०० रुपये
२७	१६९५	श्री प्रभात कार	एक ही स्थान पर लगने वाला विक्रय-कर चालू करना	१०० रुपये
२७	१६९७	श्री प्रभात कार	उपभोग-वस्तुओं की असाधारण वृद्धि	१०० रुपये
२७	१६९८	श्री प्रभात कार	मंहगाई भत्ते के मामले में प्रथम वेतन आयोग के निदेशनों की कार्यान्विति	१०० रुपये
२७	१७०२	श्री प्रभात कार	बैंकों का राष्ट्रीयकरण	१०० रुपये

१	२	३	४	५
२७	१७०६	श्री स० म० बनर्जी	विक्रय कर को उत्पादन शुल्क में मिलाना	१०० रुपये
२७	१७०७	श्री स० म० बनर्जी	खाद्यान्नों पर विक्रय-कर	१०० रुपये
२९	४२९	श्री साधन गुप्त	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कर्मचारियों के कष्टों का निवारण	१०० रुपये
२९	१५३६	श्री साधन गुप्त	चीन से आयात किये गये डालरों की पैडों से परिवर्तिव करना	१०० रुपये
२९	१५३९	श्री साधन गुप्त	पैडोंग से चीनी डालर लाने वाले ट्रक की दुर्घटना	१०० रुपये
३०	१४२	श्री साधन गुप्त	आय-कर विभाग के कर्मचारियों का कलकत्ता से स्थानान्तरण	१०० रुपये
३०	१४३	श्री साधन गुप्त	आय-कर विभाग के कर्मचारियों का बिना प्रतिकर भत्ते के स्थानान्तरण	१०० रुपये
३०	५५२	श्री स० म० बनर्जी	कर-अपवंचना रोकने में असफलता	१०० रुपये
३८	९०५	श्री नौशीर भरूचा	बड़ी-बड़ी व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा राजनीतिक दलों को वित्तीय अंशदान	१ रुपया

†उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

†श्री शंकरय्या (मैसूर) : आय-व्ययक देखने से तीन ही बातें उभर कर सामने आती हैं : पहली तो कर और कर-अपवंचकों की, दूसरी व्यय और अपव्यय की, और तीसरी केन्द्र के वित्त के सम्बन्ध में राज्यों के वित्त की स्थिति ।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री शंकरय्या]

मैं निराशावादी नहीं हूं। यह सही है कि नये-नये कर लगाये जाते रहे हैं, लेकिन हम ने जो प्रगति की है और हमारी अर्थ-व्यवस्था का जो विस्तार हुआ है, उस के लिये ये नये संशोधन आवश्यक थे। असैनिक प्रशासन पर हम १९४२ में कुल २० करोड़ रुपये खर्च करते थे, जिस पर अब ५० करोड़ रुपये व्यय होते हैं। साथ ही, विकास की नई-नई योजनायें भी कार्यान्वित की गई हैं। हम ने १९५७ में उन पर ९०० करोड़ रुपये खर्च किये हैं।

इस के लिये ये कराधान तो अनिवार्य है ही, लेकिन हमारा कराधान समन्याय होना चाहिये। ग़रीबों पर अधिक भार नहीं पड़ना चाहिये।

मुझे समन्याय्यपूर्ण करों पर कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन, सभा की मंजूरी के बाद, इन कराधानों व प्रस्तावों को कार्यक्षमता और प्रभावशीलता के साथ प्रशासित और प्रवर्तित किया जाना चाहिये। हमें वर्तमान करों से ही अधिक राशि संग्रह करने का प्रयास करना चाहिये। यदि हम सतर्कता से काम लें, तो यह किया जा सकता है। आय-कर विभाग ने यह कर के दिखा भी दिया है। हमारे यहां नियमित रूप से कर-अपवंचना होती रहती है। कर-अपवंचक कई जाली खाते खोले रहते हैं। वे देश के हित का ध्यान नहीं रखते।

उदाहरण के लिये, विक्रय कर की कुछ अनियमितताओं के कारण, हमें प्रतिवर्ष २०० करोड़ रुपयों की हानि होती है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**सरदार ह० सिं० सहगल** (जंजगीर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के पांचवें प्रतिवेदन से, जो २२ अगस्त, १९५७ को सभा में उपस्थापित किया गया था सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

साधु तथा सन्यासी (पंजीयन) विधेयक—जारी

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री राधा रमण द्वारा ९ अगस्त, १९५७ को प्रस्तुत किये गये इस प्रस्ताव पर कि भारत में साधुओं तथा सन्यासियों के पंजीयन की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये, आगे चर्चा करेगी। श्री राधा रमण भाषण जारी रखें।

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, सब से पहले तो मैं दो-तीन बातें इस सदन के सामने रख देना चाहता हूं। जैसा कि इस सदन के बहुत से माननीय सदस्यों को मालूम होगा यह विधेयक पिछली लोक-सभा के सामने भी आया था और उस समय इस को इस सदन के सामने

---

†मूल अंग्रेजी में

विचारार्थ नहीं रखा जा सका और इस कारण से इस लोक-सभा के सामने फिर से इसे पेश किया गया है। इस विधेयक में दो-तीन संशोधन जो बहुत मार्के के हैं और जिन को देश के साधुओं, सन्यासियों तथा व्यक्तियों ने इस विधेयक पर विचार कर के भेजा है, शामिल कर लिया गया है एक बहुत बड़ा संशोधन इस के अन्दर यह है कि पहले बिल में साधुओं और सन्यासियों के रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) के साथ-साथ लाइसेंसिंग की तथा लाइसेंस (अनुज्ञप्तियों) लेने की बात कही गई थी, लेकिन अब वह जो लाइसेंसिंग का पार्ट (भाग) है, वह इस में से हटा दिया गया है और सिर्फ रजिस्ट्रेशन का पार्ट रखा गया है।

दूसरा संशोधन जो इस के अन्दर किया गया है वह यह है कि भारतवर्ष में मैं यह देखता हूं कि साधुओं और सन्यासियों की संख्या बहुत काफ़ी है और बहुत से साधु तथा सन्यासी तो ऐसे हैं कि जो किसी न किसी स्पिरिचुअल आर्डर (धार्मिक सम्प्रदाय) के साथ या किसी न किसी आश्रम के साथ या किसी न किसी संस्था के साथ बंधे हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे साधु और सन्यासी भी हैं कि जो व्यक्तिगत रूप से साधना करते हैं या सन्यास लेते हैं। ऐसे साधुओं और सन्यासियों में बहुत से ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन को इस बात की आपत्ति हो कि क्यों वे किसी प्रकार का रजिस्ट्रैशन मंजूर करें। यह उन को बुरा लग सकता है। इस वास्ते इस विधेयक में एक संशोधन यह भी किया गया है कि जो इस प्रकार की आपत्ति करने वाले साधु या सन्यासी हैं या दूसरे व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को यदि सरकार अपने नोटिफिकेशन (अधिसूचना) के द्वारा इस रजिस्ट्रेशन की छूट दे, तो उस में किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक को जब पहले पहल मैं ने इस सदन के सम्मुख रखा था, उस समय मुझे बड़ी शंकायें थीं कि भारतवर्ष के अधिकांश साधु और सन्यासी इस विधेयक को नापसन्द करेंगे और इस विधेयक के खिलाफ चारों ओर से आवाज़ उठेगी। परन्तु मुझे इस बात से बड़ा प्रोत्साहन मिला जब मैं ने यह देखा कि अनेक लोगों ने जोकि साधुओं और सन्यासियों की प्रतिष्ठा और मान को अपने हृदय में रखते हैं और चाहते हैं कि वह और अधिक बढ़े, मुझे पत्र लिखे और यह कहा कि जहां तक इस बिल के मकसदों का ताल्लुक है वह इस से पूरे तौर पर सहमत हैं। अगर इस का कोई इख्तलाफ होता है तो सिर्फ यहां आता है कि साधुओं और सन्यासियों को किस तरह से परखा जायगा, उस की क्या डेफीनिशन (परिभाषा) होगी और कहीं ऐसा न हो कि साधुओं और सन्यासियों के नाम पर बहुत सारे ऐसे साधु और दूसरे लोग जो कलंकित हैं, जो दुराचार करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं और अपने आप को साधु कहते हैं, अपने आप को रजिस्टर करवा कर और भी ज्यादा खुली छट्टी इस बात की ले लें कि अनेक प्रकार के जो वे कर्म करते हैं जोकि मुनासिब नहीं कहे जा सकते हैं, करते रहें तथा जो साधुता के प्रतिकूल हैं उन को छूट मिल जाये ; और कहीं इस का नतीजा यह न हो कि जहां इस विधेयक से हम यह चाहते हैं कि साधुओं और सन्यासियों की प्रतिष्ठा बढ़े, और जो सच्चे साधु और सन्यासी हैं, जो सच्चे त्यागी और तपस्वी हैं, जिन की प्रतिष्ठा और जिन का मान हमारे दिलों में आज से नहीं बल्कि हज़ारों बरसों से होता आया है और जिन का मान और जिन की प्रतिष्ठा आज भी उसी तरह से है उस को हम और भी बढ़ाना चाहते हैं। ज्यादा ऊंचा उठा हुआ देखना चाहते हैं वह और ऐसे लोग अपना नाम रजिस्टर करा कर और लाइसेंस ले कर जो कर्म वे अब तक करते रहे हैं, उन को और भी ज्यादा खुले तौर पर करने लग जायें।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विधेयक का मकसद यह नहीं है कि किसी भी साधु या सन्यासी या प्रतिष्ठित व्यक्ति जोकि किसी स्पिरिचुअल आर्डर से ताल्लुक रखता है उस का किसी प्रकार से भी तिरस्कार हो, उस को किसी प्रकार का भी कष्ट हो या उस को किसी प्रकार से भी अपमानित किया जाय या उस को किसी प्रकार की कोई तकलीफ रजिस्ट्रेशन से हो।

[श्री राधा रमण]

मैं स्वयं साधुओं, संतों और सन्यासियों का भक्त हूं और उन की मान, मर्यादा को बढ़ता देखना चाहता हूं और मैं यह भी समझता हूं कि हमारे देश में ऐसे अनेक साधू हैं और अनेकों सन्यासी हैं जिन्हों ने कि देश की संस्कृति व देश के मान व मर्यादा को बढ़ाया है और किसी सूरत में अगर ऐसा कोई विधेयक जो उन के कामों में रुकावट डालता है या उन की अवहेलना करता है या तिरस्कार करता है, सामने आता है तो वह रुचिकर नहीं होता और उस को हम पसन्द नहीं करेंगे ।

इस विधेयक के दो बड़े भारी मकसद हैं। एक मकसद यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के अन्दर एक ऐसा रजिस्टर हो जिस से कि हमें यह पता लग जाय कि भारत वर्ष के साधुओं और सन्यासियों की संख्या कितनी है और यह भी हमें पता लगे कि अखाड़े, आश्रम या उन के जो स्प्रिचुअल आर्डर्स हैं उन की संख्या कितनी है ।

रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में चन्द लोग यह आपत्ति करते हैं और यह कठिनाई बताते हैं कि अगर किसी मजिस्ट्रेट के सामने आप किसी साधु, संत या सन्यासी को जाने को कहें तो वह नहीं जायगा तो उस के लिये इस विधेयक के अन्दर इस बात की व्यवस्था है कि बजाय इस के कि वह किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश हो या किसी सरकारी अफ़सर के सामने पेश हो, ऐसा हो सकता है कि ऐसे साधुओं की जो सभाजें या आश्रम हैं, मठ हैं या जो उन के स्प्रिचुअल आर्डर्स हैं उन के हेड को या उन के द्वारा नामिनेटेड (नामजद) आदमीं या अधिकारी को यह अधिकार दे दिया जाय कि वह जितने भी साधु और संत उस के सम्प्रदाय में मौजूद हैं, उन का वह रजिस्टर तैयार करे और कोई कठिनाई रजिस्टर करने में किसी प्रकार की पेश न आये, ऐसी व्यवस्था हम ने इस विधेयक के अन्दर रक्खी है ।

मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि साधुओं और सन्यासियों का विषय आज देश के सामने है और आज ही नहीं बल्कि कुछ समय पहले से यह हमारे सामने है । इस सम्बन्ध में न सिर्फ जनसाधारण सोचते हैं कि किस प्रकार के साधू और सन्यासी हमारे देश के अन्दर आज फिरते हैं और रोज़ाना अखबारों में खबरें भी निकलती हैं कि तरह-तरह के वे काम करते हैं और मैं समझता हूं कि अगर आप बहुत से जो हमारे सदन के सदस्य हैं जो पत्र आदि पढ़ते हैं और उन के अन्दर जो खबरें निकलती हैं उन से भी यह वाक़फ़ियत होगी कि आज चारों तरफ़ हमारे देश के अन्दर जो असाधु हैं वे साधुओं का वेष धारण कर ऐसे स्थानों में जा कर जैसे ऋषिकेष, गया और बनारस आदि स्थानों में, जिन्हें हम तीर्थ स्थान कहते हैं वहां जा कर और उन के अलावा शहरों में और बड़े-बड़े गांवों में जा कर किस प्रकार के काम करते हैं, बहुत सारे उन में ऐसे भी हैं जोकि व्यभिचार और दुराचार आदि सब प्रकार के कामों में हिस्सा लेते हैं । और यही कारण है कि अभी चन्द दिन हुए हमारे भारतवर्ष की एक महिला जिन का कि हमारे देश में बड़ा मान है, श्रीमती मीरा बहिन ने एक आर्टिकल (लेख) अखबारों में लिखा था और उस में उन्हों ने साधुओं के विषय में कहा था कि सभ्य और बुद्धिमान साधु-सन्यासी स्वयं ही बदनाम साधुओं को साधु-समाज से दूर करने की समस्या पर गम्भीरता से सोच रहे हैं । इस के साथ ही उन्हों ने यह भी कहा था कि वे विभिन्न मठों की विशाल सम्पदा को देश के कामों में लगाने की भी सोच रहे हैं। निसन्देह ही सच्चे साधु देश के विकास में बड़ा योग दे सकते हैं ।

मीरा बहिन के इस आर्टिकल में इस बात को स्पष्ट किया गया है कि हमारे देश के अन्दर ऐसे लोग मौजूद हैं जोकि साधुओं के नाम से असाधुता करते हैं, देश में भ्रमण करते हैं और इस तरह के काम करते हैं जोकि साधुओं और सन्यासियों के विपरीत पड़ते हैं और न सिर्फ वह साधु समाज और सन्यासी समाज को बदनाम करते हैं बल्कि वह स्वयं ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिस के कि कारण

सरकार और जनता दोनों को कुछ खयाल करना और उस का हल निकालना आवश्यक हो जाता है। इसलिये मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आज जो यह विधेयक देश के सामने है हो सकता है कि इस विधेयक के कुछ अंशों से कुछ लोगों को एख्तलाफ़ हो लेकिन मैं इस बात में विश्वास करता हूं और मेरा यह विश्वास और अधिक दृढ़ हो गया है कि आज भारत वर्ष के अन्दर हम इस प्रकार के अनेकों साधुओं और सन्यासियों के नाम से चलने वाले व्यक्तियों और उन के किये हुए बहुत सारे कामों को हम ढकते रहे या उन को इज्जत देते रहे तो हम उन साधुओं और सन्यासियों की जिन का कि हिन्दुस्तान में बड़ा मान और प्रतिष्ठा है, जिन के कि मान और मर्यादा के ऊपर हमेशा भारतवर्ष ने गर्व किया है उन को हम ऐसे असाधुओं से न बचा सकेंगे। इसलिये मेरा अपना यह खयाल है कि इस प्रकार के विधेयक का इस सदन के सामने रक्खा जाना आज की दुनिया में और आज के दिन बहुत आवश्यक है और हम सुधार कर सकते हैं जो सुधार हमारे उन ऊंचे दर्जे के स्प्रिचुअल आर्डर के साथ सम्बन्ध रखने वाले साधुओं और सन्यासियों को ऐसे असाधुओं से अलग कर सकें जो उन का नाम ले कर देश के चारों तरफ भ्रमण करते हैं और तरह-तरह के बुरे कर्म और दुराचार करते हैं।

कुछ लोगों ने इस विधेयक के सम्बन्ध में दो-चार-आपत्तियां की हैं जिन का कि मैं जिक्र करना चाहता हूं। कुछ कहते हैं कि यह सरकार का एक धर्म-विरोधी काम है। मेरी समझ में नहीं आता कि इस प्रकार किसी साधू-सन्यासी के रजिस्ट्रेशन कराने से धर्म में हस्तक्षेप होगा। या यह कि उस को जो फ्रीडम (स्वतंत्रता) है जो फंडामेंट्ल राइट्स (मूल अधिकार) हमारे संविधान के अन्दर एक व्यक्ति को दिये गये हैं वह कहां से उस के विपरीत हो जाते हैं या यह कि जो धर्म की फ्रीडम या अपने धर्म अनुकूल अपना आचार रखने के बारे में जो उस को आजादी है वह कहां से छिन जाती है या हट जाती है।

कुछ व्यक्तियों की आपत्ति का आधार यह है कि ऐसा विधेयक सामने आने से वे साधू और सन्यासी जो ऊंचे दर्जे के होंगे, जो बहुत ऊंची धर्मवादिता के पुजारी या उस के मुताबिक अमल करने वाले होंगे, वे इस को पसन्द नहीं करेंगे और वह उस को अपनी बेइज्जती मानेंगे और रजिस्ट्रेशन कराने की बात को वह अपना तिरस्कार मानेंगे। मैं उन की इस आपत्ति को मुनासिब नहीं समझता। मैं ने अभी आप के सामने श्रीमती मीरा बहिन का आर्टिकल पढ़ कर सुनाया कि जो सीरियसली और संजीदगी के साथ इस समस्या को अध्ययन करेंगे, वे ऐसी आपत्ति करेंगे, मुझे इस का क़तई यक़ीन नहीं होता। साथ ही साथ, मैं यह भी चाहता हूं कि आप के सामने भारत साधु समाज इस सम्बन्ध में जो कोशिश कर रहा है वह भी सराहनीय है। भारत साधु समाज इस बात की कोशिश कर रहा है कि देश भर के साधुओं और सन्यासियों को एक जगह एकत्रित कर के समाज कल्याण के काम में लगाया जाय और उन के दर्जे को ऊंचा उठाया जाय। भारत साधु समाज के दो सम्मेलन एक नाथद्वारे में और दूसरा उज्जैन में हो चुके हैं और उन दो सम्मेलनों में इस साधू सन्यासी विधेयक की काफ़ी चर्चा हुई थी और इस पर काफ़ी विचार-विनिमय हुआ था। इस में कोई शक नहीं कि इस विधेयक पर दो मत थे, बहुत से साधु ऐसे थे जो कि इस विधेयक को पसन्द नहीं करते थे लेकिन बहुत से साधु ऐसे भी हैं जो यह समझते कि रजिस्ट्रेशन से हम को कोई नुक़सान नहीं बल्कि उस से फ़ायदा होगा। वहां पर जो प्रस्ताव पास हुआ है उस को मैं यहां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। साधु समाज की केन्द्रीय कार्य समिति तथा सलाहकार समिति ने अपनी एक संयुक्त बैठक में एक प्रस्ताव पास करते हुए कहा है कि इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन से जनता वास्तविक साधुओं की आध्यात्मिक, सामाजिक व चरित्र निर्माण सम्बन्धी शिक्षा का लाभ उठा सकेगी और नक़ली साधुओं के धोखे से बच जायगी। यह बैठक हाल में बिड़ला मन्दिर, नई दिल्ली में सन्त तुकड़ो जी महाराज की अध्यक्षता में हुई थी। इस बैठक में और भी फैसले हुए थे लेकिन मैं उन का जिक्र करना मुनासिब नहीं समझता क्योंकि वे इस से ताल्लुक नहीं रखते।

[श्री राधा रमण]

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि आप इस विधेयक को निष्पक्षता से देखें और जो इस के एम्स एंड आबजेक्ट्स (उद्देश्य तथा कारण) हैं उन पर ध्यान दें। उन से साफ ज़ाहिर होगा कि इस विधेयक के दो मुख्य मकसद हैं। एक तो हम यह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में कितने साधु हैं उन की ठीक संख्या हम को मालूम हो जाये क्योंकि यह जानने का अभी हमारे पास कोई तरीका नहीं है। दूसरे हम यह चाहते हैं बहुत से असाधु जोकि साधुओं के वेष में शहरों में भ्रमण करते हैं और जिन की प्रतिष्ठा आम लोगों में होती है, लोग उन को अपने घरों में आने देते हैं और उन का मान और सत्कार करते हैं और अन्त में वे साधु इन लोगों को धोखा दे कर या चोरी कर के या किसी बच्चे को उठा के चले जाते हैं, और भी नाना प्रकार के कुकर्म करते हैं, उन असाधुओं से जनता की रक्षा की जाये। हम यह चाहते हैं कि जो इस प्रकार के असाधुओं को आज खुली छूट मिली हुई है वह न मिली रहे और साथ ही जो अच्छे साधु हैं उन की मान-प्रतिष्ठा बढ़े।

तीसरे एक बात और भी है। हम देखते हैं कि हमारे देश में एक बहुत बुरी प्रथा यह है कि कुछ माता-पिता अपने दस-दस, बारह-बारह या पन्द्रह-पन्द्रह बरस के बच्चों को साधु बना देते हैं। उन पर साधुता लाद देते हैं। ऐसे माइनर (अवयस्क) बच्चों को साधु बनाना बड़ा अत्याचार है। इसे भी समाप्त करना चाहिये। मैं समझता हूं कि इस विधेयक से ऐसे बच्चे जिन की कि आयु १८ या १७ साल से कम है और जो अभी मेजर (वयस्क) नहीं हुए हैं उन को साधु सन्यासी बनने से रोका जा सकता है। उन के जीवन में जो आनन्द मिलने चाहिये वह उस को इस विधेयक द्वारा मिल सकते हैं और उन को साधु बनाने से रोका जा सकता है।

तो अगर हम अपने पुराने विचारों को छोड़ कर निष्पक्षता से विचार करें तो हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि यह विधेयक समय के अनुकूल है। इस विधेयक से न साधुओं को न सन्यासियों को और न किसी ऐसे व्यक्ति को जो अपने जीवन को त्याग और तपस्या द्वारा ऊंचा बनाना चाहते हैं नुकसान पहुंच सकता है। उन को तो इस से लाभ ही होगा।

कुछ छोटे-छोटी बातें कही जाती हैं कि उन को मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने में आपत्ति होगी। मैं समझता हूं कि ये आपत्तियां मुनासिब नहीं हैं क्योंकि हम सहल से सहल तरीका अख्तियार करना चाहते हैं जिस से कि साधुओं को कोई तकलीफ न हो और उन का रजिस्टर बन जाये।

मैं इस सम्बन्ध में यह भी कहना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी देश बर्मा है, जहां बौद्ध धर्म माना जाता है। वहां पर साधुओं को रजिस्टर करना पड़ता है और किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। जितने मठ या मन्दिर हैं उन में उन को रजिस्टर कराने की इजाजत होती है और इस प्रकार पता चल जाता है कि मुल्क में इस तरह के कितने व्यक्ति हैं।

एक दूसरी चीज़ जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूं वह यह है कि हमारे चन्द भाइयों ने इस विधेयक पर कुछ संशोधन या अमेंडमेंट पेश किये हैं। मैं अर्ज करता हूं कि जितने भी ऐसे संशोधन हैं जिन को हम अपने मकसद को पूरा करते हुए मंजूर कर सकते हैं उन को मंजूर करने में हम को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन ऐसे संशोधन जोकि हमारे मकसद को ही बदल देते हैं उन को रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि उन को मंजूर करने से तो विधेयक का मंशा ही खत्म हो जायेगा।

इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि हम इस विधेयक को स्वीकार करें और इस बात का मौका दें कि हिन्दुस्तान के अन्दर साधुओं की और सन्यासियों की जो प्रतिष्ठा सदियों से चली आती है, जिस पर कि हिन्दुस्तान को सदा से गर्व रहा है, वह गर्व कायम रहे। मैं चाहता हूं कि जो सच्चे साधू और सन्यासी हैं उन की प्रतिष्ठा बढ़े और जो झूठे साधू हैं, जो गांजा पीते हैं और तरह तरह की बगइयां करते हैं उन को जो छूट आज मिली हुई है वह न मिले।

जैसाकि मैं ने आप से कहा, इस सम्बन्ध में साधुओं के अपने कई सम्मेलनों में, खास कर भारत साधु समाज में, इस बात की काफी चर्चा हुई है और उन्हों ने यह स्वीकार कर लिया है कि रजिस्टर रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह दूसरी बात है कि सरकार की ओर से यह काम हो या वालंटरी (ऐच्छिक) तरीके से साधु समाजों के द्वारा यह काम किया जाय। यह विचारणीय है। मैं ने इस विधेयक के अन्दर ये दोनों तरीके रखे हैं। यदि कोई साधु या सन्यासी अपने आप को रजिस्टर कराना चाहे तो वह मजिस्ट्रेट के यहां फार्म भर कर पेश कर सकता है। लेकिन अगर कोई इस में अपना तिरस्कार समझता है तो उस को अधिकार है कि जिस स्प्रिचुअल आर्डर या संस्था से उस का सम्बन्ध हो वहां अपने को रजिस्टर करा ले या फार्म भर कर उस संस्था को दे दे और उस रजिस्टर की एक नकल सरकार के पास भेज दी जाये।

तो मैं समझता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रख कर यह विधेयक सदन के और इस देश के सामने लाया गया है। इस पर बहुत संजीदगी से विचार करने की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को आप के सामने विचारार्थ पेश करता हूं।

†सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। जो माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत करना चाहें वे कर सकते हैं।

†श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : मैं विधेयक पर राय जानने के लिये उसे परिचालित करने के बारे में अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†श्री अ० लि० सहगल (जंजगीर) : मैं विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के बारे में अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं।

†सभापति महोदय : श्री श्रीनारायण दास के संशोधन प्रस्तुत हो जाने से, श्री दी० चं० शर्मा और श्री बि० दास गुप्त के संशोधन, जो एक से हैं, प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। मूल प्रस्ताव और संशोधन सभा के सामने हैं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई (औरंगाबाद) : सभापति जी, आज साधु सन्यासी रजिस्ट्रेशन बिल पर बोलने की जो इजाजत आप ने मुझे दी है, इस के लिए मैं आप की बहुत आभारी हूं। भारत भूमि हमेशा से पावन और पवित्र भूमि रही है। यहां पर अनादि काल से ऋषि और महर्षि रहे हैं। इतनी ही नहीं, उनकी ताकत से ही हमारे यहां राजकाज चलता रहा है। रामराज्य में वशिष्ट महाराज की हुकूमत चलती थी। जब राजा दशरथ अपने बच्चे को गद्दी पर बिठाने लगे तो महाराज वशिष्ठ को बुला कर और उन की आज्ञा ली। हमारे देश में ही नहीं, कई विदेशों में भी साधु सन्यासियों की ताकत चलती थी, लेकिन उन का नाम अलग है, इनका नाम अलग है। लेकिन हमारे आज कल के साधु जब कोई असाधु चीज लाते हैं हमारे पास, तो वही हमारे साधु सन्यासियों को लघु बनाने वाले होते हैं। हमेशा से इस की परम्परा हमारे बहां चली आई है। आजकल भी हमारे यहां साधु सन्यासी होते हैं। हमारे राजऋषि गांधी जी बापूजी थे। उनके चेले विनोबा भावे हैं जिन को हमारी गवर्नमेंट भी राजऋषि मानती है। एक हड्डी का टुकड़ा, न कुछ खाते हैं न पीते हैं, दुनियां में घूमते रहते हैं। उन के वास्ते हमारी श्रद्धा है। हमारी सरकार भी आज विनोबा भावे को महत्व देती है। हर चीज में वह उन से सलाह-मश्विरा लेती है। ऐसे साधुओं के रहने की यह भूमि है और उन के प्रति हमें श्रद्धा होती है, उन की पूजा करने को दिल चाहता है। साधु-सन्यासियों की हमारे समाज में बहुत ताकत रही है। इस के अलावा मैं तो सब से बड़ा महर्षि पंडित जवाहरलाल नेहरू को मानती हूं। कल लोग हमारे टंडनजी को राजऋषि कहते थे। ऐसें साधु आज भी बहुत से हैं। खाली गरुए कपड़े पहनने से कोई साधु नहीं हो जाता है, साधु दिल से बनते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

हमारे गौरवशाली सदस्य श्री राधा रमण जी साधु-सन्यासियों के लिए यह बिल लाए हैं। मैं उनके दर्द को समझती हूं। हमारे यहां की परम्परा धर्म की, पवित्रता, ताकत और पुण्य की रही है। साधु कुछ नहीं रखते थे फिर भी सब कुछ रखते थे। उन ऋषि महर्षियों ने अपनी ताकत से हमारी संस्कृति को कितना बढ़ाया है, पर उन की लिखी हुई किताबें पढ़ने की आज हम को फुर्सत नहीं है। उन की तपस्या हमारे समाज में आकार स्वरूप हो गई है। उन की ताकत से हमारे यहां कला, कविता और लोगों की रुचि की बहुत सी चीजें पैदा हुई। वह ऐसे ऋषि थे कि उन के मरने के बाद भी उन का यश हमारे सामने है। आज लोग उन से स्फूर्ति लेते हैं, उन का आदर्श सामने रखते हैं? हमारे राधारमण जी को जो दर्द है वह बड़ा भारी है, सभी के दिल में दर्द होता है जब कि हम देखते हैं कि राजर्षियों के और सन्यासियों के नाम से बहुत सी गन्दी चीजें समाज में चलने लग गई हैं। बुरी चीजें आने लगी हैं। आज इस चीज़ को रोकने के लिए डेवेलपमेंट का पीरियड (विकास काल) है, कल्याणकारी कार्यों का पीरियड है, हमाज की भी कल्याण-कारी सेवा करने के लिए राधारमण जी इस बिल को ले आए हैं। इस बिल का क्या अभिप्राय है, यह मैं समझाना चाहती हूं।

गुजिश्ता साल में हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू निजामाबाद आए थे, जहां आल इंडिया भारत सेवक समाज की कांफ्रेंस हुई थी। उसमें हमारे तुकड़ो जी महाराज भी थे। स्पीच के पहले पंडित जवाहर लाल तुकड़ो जी महाराज से मिले थे। हमारे नन्दा जी भी वहाँ थे। नेहरू जी ने कहा था कि हमारे देश में २६ लाख साधु लोग हैं, अगर यह २६ लाख साधु भारत सेवक समाज का काम करें तो हम क्या नहीं कर सकते। इधर का पहाड़ उधर ला सकते हैं, इधर की नदी उधर को ले जा सकते हैं और समाज में कितना सुधार कर सकते हैं? तुकड़ों जीं महाराज बोले: २६ लाख नहीं, १६ लाख। पंडित जी झट से बोले १० लाख कहां गायब हो गए? क्या पाकिस्तान चले गए? मेरी समझ में यह बात आई कि अगर यहां २५, २६ लाख सन्यासी हैं, और उन के एक-एक शिष्य भी हों, तो २६ को दुगुना कर के ५२ लाख सन्यासी हो गए। अगर कहीं तीन-तीन चेले हो गए तो कम से कम १ करोड़ आदमी हो जाते हैं।

मैं समझती हूं कि जो बिना काम किए खाता है, वह हराम का खाता है। हमारे समाज में तो हमेशा से यह रहा है कि पहले काम, बाद में खाना। खुद नहीं खाना, पहले मेहमान को खिलाना।

एक माननीय सदस्य: साधुओं को नहीं।

श्रीमती लक्ष्मीबाई: साधुओं को भी खिलाते थे, मगर पहले के साधुओं को, आज कल के नहीं। ऐसे साधुओं को मैं नमस्ते करती हूं। ऐसे साधुओं के पीछे तो दुनियां चलती थी। साधुओं का तरीका खुद की सेवा न कर के समाज की सेवा करना होता है। साधु वह होते हैं जो लिखते हैं, पढ़ते हैं और अच्छा-अच्छा लिटरेचर (साहित्य) तैयार करते हैं? कला से, कविता से, भजन से हमारी संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। मगर आज ऐसे साधु कहां है? मुझे मालूम नहीं कि कहां छप कर बैठे हैं। हमारे तुकड़ो जी महाराज हैं, जिन के आगे सब को सिर झुकाना पड़ता है। आज सालों से वह सेवा का कार्य कर रहे हैं, अपने लिटरेचर से यहां के लोगों को तन्मय कर के कल्याणकारी काम में लगे हैं। मैं ऐसे लोगों को साधु मानती हूं, पूजा करती हूं। ऐसे साधुओं के लिए यह बिल लाने की जरूरत नहीं। और भी लोग हैं। बिनोबा जी केरल में घूम रहे हैं, मैसूर में जाने वाले हैं। उन से पंडित जी और राष्ट्रपति जा कर सलाह-मश्विरा लेते हैं। ऐसी ताकत रखने वाले लोग साधु होते हैं। लेकिन जो लोग अपन खुद के वास्ते, अपनी चोरी और रीति नीति को दबाने के वास्ते साधु नाम से आते हैं उन को बराबर रोकना चाहिए। ऐसे साधुओं को हमारे समाज में जगह

नहीं दी जानी चाहिये, यह मेरी अपील है। ऐसे साधुओं के लिए जो बिल राधा रमण जी लाए हैं, उसको मैं बहुत अच्छा समझती हूं। लेकिन इस के लिए कुछ सुझाव देना चाहती हूं।

आज लोग समझ रहे हैं कि जो यह रजिस्ट्रेशन करने वाला बिल है उससे तकलीफ होगी। साधुओं का क्या रजिस्ट्रेशन करना, उन का नाम लिखना, लाइसंस देना यह सब नहीं होना चाहिए। मैं इस के लिए छोटा सा सुझाव देना चाहती हूं। जो प्रथम श्रेणी के साधु हैं, उन को मैं नमस्ते करूंगी। दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं श्रेणी के जो लोग हैं उन के लिए जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है, वह तो नहीं होना चाहिए। मगर उन से कहना चाहिए कि चूंकि आप की कक्षा पांचवीं या छठवीं है, आप जाइए, एक जगह पुण्य भूमि है, जहां लोग मेहनत कर के खाते हैं। वह गांधी जी का आश्रम है, सेवाग्राम है, वहां आप ६ महीने रह जाए। आप वहां सुधर जाऐंगे। वहां तो काम करना होगा, तभी खाना मिलेगा। जब वह मेहनत करके खाना खाने लगें तब सर्व सेवा संघ वालों से कहना चाहिए कि अब आप इन लोगों को सर्टिफिकेट (प्रमाण पत्र) दीजिए कि कौन सी कक्षा के योग्य यह हैं। दिमाग कैसा है, अक्ल केसी है, तजुर्बा कैसा है। साधु बनने के काबिल है या नहीं। या तो इन को फेल करो या सर्टिफिकेट दो। उनको सेवाग्राम भेजने से अच्छा रहेगा।

इस चीज के वास्ते आप को एक कमेटी बनानी चाहिए। कमेटी में तुकड़ो जी महाराज को रखिए, विनोबा जी तो उस में आऐंगे नहीं, वह तो उस श्रेणी में आऐंगे कि लोग उन से सलाह-मश्विरा कर के काम करें। आप उन से सलाह करेंगे। जो लोग ढोंग करने वाले और समाज को धोखा देने वाले होते हैं उन को एक दम रोक कर कहिए कि चलो, यहां तुम्हारा काम नहीं चलेगा, चलो तुम सेवाग्राम जाओ और मेहनत करो। आज बेसिक एजुकेशन (बुनियादी शिक्षा) का जमाना है, वह उस को लें। आज पृथ्वी में यही वृत्ति प्रधान है। साधुओं के लिए वहां जगह नहीं है। वहीं पर उन को भेजना चाहिए और जो वहां पर सर्टिफिकेट हासिल कर सक, वही साधू होंगे। उन की हम पूजा करेंगे जो समाज की सेवा करेंगे। हम हैदराबाद में, जो कि आंध्र प्रदेश में है, भक्तों की बहुत पूजा करते हैं। वहां पर ८ साल का बच्चा भी साधू होता है, २५ साल का भी होता है। सभी साधू कहलाते हैं। हमारे यहां मूढ़ प्रेम बहुत है। लेकिन हम देखते हैं कि आज साधुओं में चोरी है, साधुओं में धोखा है, और क्या क्या बुरी चीजें नहीं हैं? कई दफा कोर्ट में हम को जाना पड़ता है उन लोगों की करतूत से। हम देखते हैं, वे वहां से भाग जाते हैं। दिन में कहीं सोते रहते हैं और शाम को जा कर कहीं बैठते हैं। इसलिए यह बिल बहुत अच्छा है। साधुओं को मैं प्रणाम करती हूं। उनको बुरा नहीं समझना चाहिए। मैं समझती हूं कि वे लोग भी इस बिल से खुश हो कर राधा रमण जी को धन्यावाद देंगे और कहेंगे कि हममें पानी और दूध मिल गए थे, आप ने पानी और दूध को अलग अलग करने का उपाय किया है, यह अच्छी बात है, हम सलाह-मश्विरा दे कर इस बिल को और भी अच्छा बनायेंगे। जो साधु वास्तव में अच्छे हैं, जिन पर हम को भक्ति और श्रद्धा है, उन को कीचड़ से अलग करने के लिए यह बिल रखा गया है। इस बिल के रूप में और सुधार होना चाहिए और इस में रजिस्ट्रेशन, लाइसंन्स वगैरह की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। खोटे और गलत सोने को आग में डालकर ही शुद्ध और अच्छा सोना बनाते हैं।

अगर कोई व्यक्ति साधु रहना चाहता है और साधु का काम करना चाहता है, तो वह गांधी आश्रम में या विनोबाजी के साथ रह कर काम करे। विनोबा जी ने पांच करोड़ एकड़ जमीन लेने की प्रतिज्ञा की है। उन को हजारों कार्यकर्ताओं की जरूरत है। पचास लाख एकड़ जमीन उन को मिल भी गई है और उस को बांटना है। यह कार्य साधु बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। वे गाना गाते, हिन्दु संस्कृति की बात करते हुए गांव गांव में काम कर सकते हैं। समाज सेवा का काम जितनी अच्छी तरह साधु लोग कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। हमारी मीटिंग्ज

[श्रीमती लक्ष्मीबाई]

में उतने लोग नहीं आते हैं, जितने कि हिन्दू संस्कृति की बात सुनने के लिये आते हैं। साधु लोग अपने धर्म और हिन्दू संस्कृति के ज्ञान के कारण कई क्षेत्रों में देश और समाज की सेवा कर सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं राधा रमण जी को यह बिल पेश करने के लिये धन्यवाद देती हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि इस में कुछ सुधार करना जरूरी है।

†**श्री ब० स० मूर्ति** (काकिनाड़ा–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : एक औचित्य प्रश्न है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १९ और २५ का उल्लंघन करता है और मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाता है।

† **सभापति महोदय** : यह सही नहीं है। यह विधेयक केवल साधुओं और सन्यासियों के पंजीयन की व्यवस्था करता है उनके पेशे पर प्रतिबन्ध नहीं लगाता। इसलिये अनुच्छेद १९ के उल्लंघन का प्रश्न नहीं उठता। अन्तःकरण की स्वतन्त्रता पर तो कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इसलिये अनुच्छेद २५ का उल्लंघन भी नहीं होता। श्री सूपकार अपना भाषण आरम्भ करें।

†**श्री सूपकार** (सम्बलपुर) : मैं विधेयक का विरोध करता हूं। इसके उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में साधुओं के प्रति सामान्य तथा जो शंका उठाई गई है, वह अनुचित है। साधुओं ने हमारे देशकी संस्कृति के विकास में भारी योग दिया है। यह तो हो सकता है कि साधु-सन्यासियों में कुछ अवांछनीय लोग भी हों, लेकिन सभी साधुओं पर इस प्रकार लांछन लगाना उचित नहीं है। इस विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा।

इस तरह तो आप पाकेटमारों से भी उनके नाम पंजीयित कराने के लिये कह सकते हैं। अधिकारी भी पंजीयन के समय कैसे पता लगायेंगे कि कौन असली साधू है और कौन नहीं ?

सभा में कहा गया है कि साधू को अपने अस्तित्व के लिये कुछ शारिरिक और समाजिक कार्य करना चाहिये। हम भूल जाते हैं कि देश के लिये प्राचीनकाल में साधुओं की क्या देन रही है। क्या शंकराचार्य, बुद्ध, उपगुप्त या स्वामी विवेकानन्द आज जीवित होने पर जिलाधीश के पास अपने पंजीयन के लिये जाते ? वे चाहे न भी हों पर अभी भारत में ऐसे लोग हैं जो उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। मान लीजिये हम उन को बाध्य करते हैं कि वे अपना पंजीयन करा लें पर क्या फिर भी हम उनको बाध्य कर सकेंगे कि वे कुछ समाजिक सेवा करें या एक विशेष प्रकार का जीवन बितायें जिसे राज्य या हम चाहें। अतः यह बात कुछ समझ में नहीं आती कि उनके पंजीयन कराने से हमें क्या लाभ होगा।

†**सभापति महोदय** : श्री दातार :

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दातार)** : संभव है मेरे माननीय मित्र श्री राधारमण की भावनायें बहुत अच्छी हों पर मैं सभा को बताऊंगा कि इस विधेयक को स्वीकार करने में कुछ कठिनाइयां हैं। यदि बात नहीं कि यह विधेयक अव्यवहार्य है बल्कि इसके कारण सरकार पर कुछ ऐसे उत्तरदायित्व आ पड़ते हैं जिनको पूरा करना उसके लिए संभव नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

माननीय सदस्य चाहते हैं कि सभी साधुओं का पंजीयन होना चाहिये। पर "साधुओं और सन्यासियों" शब्दों की परिभाषा उन्होंने बिल्कुल ही नहीं दी है। सभी प्रकार के साधुओं, सन्यासियों और स्वामियों को, जिनकी संख्या ५०–६० लाख है, समाविष्ट करने वाली कोई परिभाषा बनाना भी संभव नहीं है। इस साधु वर्ग का अपना अलग इतिहास है और उनकी आलोचना या निन्दा करने के पूर्व मैं सभा को बताना चाहता हूं कि इस साधु वर्ग ने मानवता के हित के लिये बहुत कुछ किया है।

इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अभी हाल ही में बम्बई विश्व-विद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष ने एक बहुत बहुमूल्य प्रकाशन निकाला है। इसमें विभिन्न प्रकार के साधुओं के बारे में काफी जानकारी दी गयी है और यह भी बताया गया है कि इन साधुओं ने हमारे लिये बहुत अच्छे अच्छे कार्य किये हैं। आध्यात्मिक सेवा ही नहीं उन्होंने सामाजिक सेवा भी की है। इस प्रस्ताव के लेखक को साधुओं के प्रति कोई पक्षपात की भावना नहीं है वह समाज शास्त्र के प्रसिद्ध लेखक हैं। उन्होंने इस विषय की व्याख्या वस्तुगत रूप में की है। हमें इस भावना का शिकार नहीं होना चाहिये कि कुछ साधु दुष्ट प्रकृति के होते हैं क्योंकि दुष्ट प्रकृति के लोग तो सभी वर्गों में होते हैं। अतः एक वर्ग की कुछ बुराइयों को दूर करने में हम एक ऐसे वर्ग को हानि पहुंचाने जा रहे हैं जिसने मानवता की काफी सेवा की है। इस प्रस्ताव के लेखक का नाम घूरे (Ghurye) है। उनका किसी मठ या साधुओं की संस्था से कोई सम्बन्ध नहीं है वह समाजशास्त्र के विद्वान हैं। उन्होंने बताया है कि एक समाजशास्त्री के दृष्टिकोण से इन साधुओं तथा सन्यासियों ने क्या सेवा की है। उनका निष्कर्ष यह है कि भारत में साधुओं का धीरे धीरे विस्तार हुआ है उन्होंने अपने मूल आधारों को बदले बिना ही बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल हमेशा अपने को बनाया है। उन्होंने अपने भाइयों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और समाजिक उन्नति के लिये बहुत कुछ किया है।

मैं इस प्रश्न के इतिहास को नहीं लेना चाहता फिर भी मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अभी भी बहुत से सन्यासी केवल धार्मिक सेवा ही नहीं बल्कि समाजिक सेवा का महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य का विधेयक स्वीकार कर लिया जाता है तो सभी मठों के मठाधीशों तथा रामकृष्ण मठ के सभी सन्यासियों को भी जिलाधीश के यहां जाकर अपना पंजीकरण करना होगा। क्या इन महान व्यक्तियों के आत्म स्वाभिमान को इस प्रकार धक्का पहुंचाना ठीक है।

आप जानते हैं कि रामकृष्ण मिशन ने बड़ी समाज सेवा की है और वह समाज सेवा करने वाली संस्थाओं में एक बड़ी संस्था है। वे लोग सन्यासी हैं। क्या यह उचित है कि वे जिलाधीश के सामने लाइन बना कर खड़े हों? जिलाधीश की योग्यता क्या होती है? फिर, उसे अधिकार दिया गया है कि वह किसी साधु का पंजीयन करे या न करे। विधेयक में तो यहां तक कहा गया है कि पंजीयन न कराना भी एक अपराध है यह बहुत ज्यादती है। इन सन्यासियों को दुनियां से कोई मतलब नहीं है, हां उनमें एक दो बुरे आदमी हो सकते हैं क्यों कि बुरे आदमी तो सभी जगह होते हैं।

उन्होंने मीराबेन के एक पत्र का जिक्र किया जिसमें उन्होंने ऋषिकेश के कुछ साधुओं की निन्दा की है। मैंने पहले ही बताया कि हो सकता है कुछ साधु बुरे हों। हमें यह देखना चाहिये कि यह साधु संस्था बुरी है और क्या सरकार इस पर प्रतिबन्ध लगाये। इस समस्या पर तो हमें गैर-सरकारी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये।

१९५० के बाद स्वयं साधु लोग और उनमें रुचि रखने वालों ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया है। उनके कई सम्मेलन हो चुके हैं। डेढ़ वर्ष पूर्व उनका एक सम्मेलन ऋषिकेश में हुआ था

[श्री दातार]

और गत वर्ष नाथद्वार में हुआ। वे जानते हैं कि उनमें कुछ बुरे लोग भी हैं और वे जनता की श्रद्धा का अनुचित लाभ उठाते हैं। अतः उन्होंने स्वयं ही ठीक समझा था कि उनका पंजीयन किया जाये। अतः भारतीय सन्था पंजीयन अधिनियम, १८६० के अधीन भारत साधु समाज नाम की एक संस्था पंजीकृत करा ली गयी है। इस समाज का एक उद्देश्य यह भी है कि समाज का नैतिक स्तर उठाया जाये, जनता के अवगुणों को निकाल कर उनमें सद्गुण पैदा किये जायें।

यह साधु समाज बहुत अच्छे काम कर रहा है। साधु लोग स्वयं अच्छे साधुओं की एक पंजी तैयार कर रहे हैं। अतः भारत में साधुओं के जितने भी संगठन हैं उनमें जो भी वास्तविक साधु हैं उनका नाम उस पंजी में सम्मिलित किया जायेगा।

साधु का काम यह नहीं है कि वह स्वयं साधु बन जाये बल्कि उसे अन्य लोगों साधु अर्थात् सत् वृद्धि धारण करने वाला बनायें। दूसरी बात हमें यह ध्यान में रखनी है कि यदि किसी साधु संस्था में फूट पड़े तो हमें कोई विधान बना कर उसका सुधार करने की आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें उन्हीं में अन्य संस्थायें बनने देना चाहिये इससे उनकी शुद्धि होगी। यह काम वे स्वयं भी बहुत अच्छी तरह शुरु कर चुके हैं और कर भी रहे हैं।

इस विधेयक का तथा साधुओं के समर्थकों का उद्देश्य यही है—वे केवल अपने धार्मिक कार्यों के लिये ही उपयोगी न बनें बल्कि राष्ट्र के लिये भी उपयोगी बनें। इन साधुओं को दुनियादारी की कोई चिन्ता नहीं होती। वे प्रायः जति होते हैं गृहस्थ नहीं होते। यदि हमारा राष्ट्र उनकी सेवाओं का लाभ उठाये तो हमारे राष्ट्रीय विकास की समस्यायें काफी हद तक हल हो सकती हैं। और जो लोग साधुओं की मदद कर रहे हैं उनका भी यही उद्देश्य हैं।

अतः जब एक संगठित आधार पर साधु समाज स्वयं इस काम को कर रहा और इससे हमारे राष्ट्र के विकसित होने की भी आशा है तो हमें इसके लिये कानून बनाने की जल्दी नहीं करनी चाहिये क्यों कि कानून में भी कुछ कठिनाइयां सामने आती हैं।

अब प्रश्न यह है कि क्या सारा साधु वर्ग इतना पतित हो गया है कि उसका पंजीयन आवश्यक हो गया है। हमें यह देखना है कि जब एक तरफ साधुओं के सुधार का कार्य किया जा रहा है उनकी गलतियों को सुधारा जा रहा है तो यह बात ठीक नहीं है कि उसी काम के लिये हम विधान बनायें।

मुझे प्रसन्नता है कि श्री राधा रमण ने बड़े संयम के साथ भाषण दिया। उद्देश्यों और कारणों के विवरण में उन्होंने लिखा है कि अधिकांश साधु बुरे काम करते हैं यह बात साधु वर्ग के प्रति अन्याय है। हो सकता है बुरे साधुओं की संख्या ५ या १० प्रतिशत तक हो पर यह कहना बहुत गलत है कि अधिकांश साधु बुरे हैं तथा समाज विरोधी काम करते हैं। यदि वे लुक छिप कर कोई भी समाज विरोधी काम करते हैं तो कानून की निगाह से वह बच नहीं सकते। भारतीय दण्ड संहिता तथा अन्य अनेक कानून भी हैं। अतः जब भी कभी यह साध समाज विरोधी काम करेंगे या कोई अवैध काम करेंगे सरकार उनको पकड़ कर दण्ड देगी। अतः ऐसे साधुओं के विरुद्ध सरकार अवश्य कार्यवाही करेगी।

यदि आप अपराधों का इतिहास देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि साधुओं द्वारा किये गये अपराधों के मामले बहुत थोड़े मिलेंगे। यदि कोई साधु या सन्यासी कोई समाजविरोधी या गैर-कानूनी काम करता है तो न्यायालय उसे एक साधारण की अपेक्षा अधिक कड़ा दण्ड देगा।

अतः माननीय सदस्य का जो उद्देश्य था कि जनता का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हो, लगभग पूरा हो गया है और अब साधुओं के हित के लिये ही, कि यह काम गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ही अच्छी तरह हो सकता है, वह अपना विधेयक वापस ले लें ।

†श्री पट्टाभिरामन् (कुम्बकोणम) : मुझे जो कुछ कहना था उसे माननीय मंत्री ने स्वयं ही कह दिया है । मैं अब कुछ मोटी मोटी बातें लूंगा । यह विधेयक साधु तथा सन्यासी लोगों के सम्बन्ध में है । यद्यपि श्री राधा रमण का यह प्रयोजन नहीं था पर इस विधेयक द्वारा हिन्दू साधुओं को बदनाम करने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है । कुछ साधु-सन्यासी बुरे होते हैं यह बात मैं मान सकता हूं पर सब बुरे नहीं होते । फिर इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि साधु लोग अपराधी भी होते हैं । साधु जब परिव्राजक बनता है तो वह संसार की सभी भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देता है फिर उसे सांसारिक बातों में बांधना अनुचित है । हमें सारे साधु समाज को बदनाम नहीं करना चाहिये । यह विधेयक हिन्दू धर्म के मूल सिद्धान्तों पर कुठाराघात करता है । हमारे देश में बड़े बड़े साधु सभी धर्मों में हो चुके हैं । फिर जिलाधीश साधुओं के बारे में क्या जानते हैं ? किस आधार पर वे उन का पंजीयन करेंगे या पंजीयन करने से इनकार करेंगे । मीरा बेन ने ऋषिकेश के साधुओं के बारे में कुछ लिखा है पर सभी साधु वैसे नहीं होते । बड़े बड़े साधु हैं और वे बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं ।

चूंकि इस विधेयक में सभी व्यक्ति जिन को साधु कहा जाता है आ जाते हैं, इस में कोई भी अपवाद होते हैं । अतः मैं सुझाव देता हूं कि इस विधेयक को वापिस ले लिया जाये ।

†स्वामी रामानन्द तीर्थ (औरंगाबाद) : इस विधेयक के प्रस्तावक से मेरा कोई विरोध नहीं है पर साधु वर्ग को सुधारने का जो तरीका उन्हों ने सोचा है वह ठीक नहीं है । साधु की कोई जाति नहीं होती उस का कोई धर्म नहीं होता और न ही उस के पास कुछ होता है वह तो सन्यासी होता है । बुरे और भले दोनों प्रकार के व्यक्ति हर जगह होते हैं । आप बुरे लोगों को अवश्य दंड दीजिये । जब साधु संसार का त्याग कर देता है तो फिर उसे पंजीयन, प्रमाण, अनुज्ञप्ति आदि को क्या चिंता ? उसे इन बातों की कोई चिन्ता नहीं रहती । इस विधेयक को पारित करना साधुओं के प्रति अन्याय करना होगा । एक बार गांधी जी को मैं ने अपने इन कपड़ों के बारे में बताया था कि वे मुझे हमेशा अपने कर्त्तव्य का ध्यान दिलाते रहते हैं । यदि कोई भी साधु अपराध करता है तो उसे दंण्ड दीजिये किसी को आपत्ति नहीं होगी । विधेयक में पंजीयन की व्यवस्था है । इस में साधू के नाम आदि लिखे जाने का उल्लेख है पर साधु का कोई भी नाम नहीं होता न उसे इस से मतलब है कि पंजी में उस का क्या नाम लिखा जाता है । मैं नहीं समझता कि इस विधेयक को किस प्रकार कार्यान्वित किया जायेगा ।

विधेयक के प्रस्तुतकर्ता साधु वर्ग का सुधारे करना चाहते हैं । यदि कुछ साधु बुरे हैं तो क्या इस का मतलब है कि स्वामी शिवानन्द या स्वामी रामदास जैसे साधु भी बुरे हैं । यही चीज़ ठीक नहीं है । संसार तो उन के चरित्र पर अविश्वास नहीं करता । अन्त में मैं यही कहूंगा कि यह विधेयक हमारी आध्यात्मिक मान्यताओं के प्रतिकूल है ।

†विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन): मैं इस विधेयक की कुछ संवैधानिक त्रुटियों को आप के समक्ष रखना चाहता हूं । इन त्रुटियों का कोई उपचार नहीं किया जा सकता है । खंड ४ में दिया गया है कि :

> "(१) साधु या सन्यासी को प्रमाणपत्र प्राप्त करने के निमित्त पंजीयन करवाने के लिये धारा ३ के अन्तर्गत अधिकारी को एक विहित फार्म में विवरण सहित आवेदन पत्र देना होगा ।"

---

†मूल अंग्रेजी में ।

[श्री अ० कु० सेन]

(२) उपधारा (१) के अधीन आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्राधिकारी आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद अपने विवेकानुसार निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत एक प्रमाण-पत्र दे देगा ।"

इस का यह अर्थ हुआ कि यदि प्राधिकारी चाहे तो वह यह शर्त भी विहित कर सकता है कि साधु प्रतिदिन ६ बजे आ कर उस के कार्यालय में घंटे भर के लिये उपस्थित हो इत्यादि । मुझे पूरा विश्वास है कि यह अधिनियम न्यायालय में जाते ही शक्ति परस्तात् घोषित कर दिया जायेगा ।

दूसरे मुझे इस में भी सन्देह है कि सभा इस विधेयक पर विचार करने में समर्थ भी है या नहीं । क्योंकि आप किसी व्यवसाय अथवा पेशे को विनियमित करना चाहते हैं । सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित कोई विधान-निर्माण सूची दो के मद १ के अन्तर्गत आता है । यह ज्ञात होता है कि विधेयक के निर्माता साधु-व्यवसाय पर नियंत्रण करने के लिये इन को पंजीयित करना आवश्यक समझते हैं । यह राज्यों का विषय है अतः संसद् इस पर विधान नहीं बना सकती है ।

अतः मैं इस विधेयक को सभा के ऊपर छोड़ता हूं लेकिन सरकार इस विधेयक का विरोध करेगी ।

†**श्री वें० प०** नायर (क्विलोन) : मैं इस विधेयक को बिल्कुल व्यर्थ नहीं कह सकता हूं क्योंकि इस से हमें साधुओं की संख्या ज्ञात हो जायेगी और पता लग जायेगा कि हमारे देश में कितने व्यक्ति बेकारी का जीवन व्यतीत करते हैं ; तथापि यह बात सभी साधुओं के सम्बन्ध में लागू नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं ने सुना है बहुत से सन्यासी संसार का परित्याग हिमालय में जा कर तपस्या करते हैं । क्या उन्हें पंजीयन के लिये जिला मजिस्ट्रेट के पास तक लाना संभव होगा । इस के अलावा साधुओं का एक वर्ग जिन्हें नांगा सन्यासी कहते हैं, कपड़े नहीं पहिनता है क्या उन का नगर प्रवेश असामाजिक नहीं समझा जायेगा ।

हमारी सभा में भी तीन चार सन्यासी सदस्य हैं । इस का आशय यह होगा कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट के सम्मुख जा कर अपने को पंजीयित कर, प्रमाण पत्र लेना होगा ; अन्यथा उन्हें अर्थदंड या कारावास की सजा दी जा सकती है ।

इस के अलावा यह विधेयक हमारे धार्मिक ग्रंथों का भी विरोध करता है, क्योंकि उन के अनुसार साधुओं के कुछ कर्त्तव्य विहित किये गये हैं विधेयक से उन पर आघात होता है । संसार त्यागी विरक्त व्यतियों को भी विधि के अधीन घसीटना अनुचित है ।

खंड (३)(३) ख के शब्दों में भी कुछ गलती रह गई है जिस से ज्ञात होता है कि विधेयक के निर्माता ने इस पर पूरा ध्यान नहीं दिया है । वस्तुतः कुछ साधु और सन्यासी इस के विरोध में हैं और कुछ पक्ष में जहां तक मेरा सवाल है मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्हों ने इस सम्बन्ध में मार्ग प्रदर्शन किया तथापि उन्हें यह विधेयक वापस ले लेना चाहिये और अधिक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करना चाहिये ।

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) : यह जो विधेयक साधुओं और सन्यासियों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में हमारे भाई श्री राधा रमण लाये हैं, मैं ने इस को बड़े ग़ौर से पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं समझती हूं कि उन की इस बिल के लाने में नीयत तो बहुत अच्छी है लेकिन इस बिल को जैसा होना चाहिये था उस को वह अदा नहीं कर सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बिल को पढ़ने के बाद सब से पहली चीज़ जो हमारे सामने आती है वह यह है कि साधु किस को कहते हैं, साधु का अर्थ क्या है ? जब यह सवाल आता हो तो तब तक मेरे भाई को यह अच्छी तरह समझ में न आये कि साधु के अर्थ क्या हैं, तब तक इस क़िस्म का बिल लाना ठीक भी नहीं था । इस में कोई सन्देह नहीं है कि जहां हमारे देश में बहुत पहुंचे हुए साधु और सन्यासी हैं वहां कुछ गिरे हुए असाधु लोग भी हैं लेकिन मुझे यह कहना है कि आप जिस वक्त इस प्रश्न को उठाते हैं तो आप को यह देखना चाहिये कि यह साधु जो इस तरीक़े से गलत काम दुनिया में कर रहे हैं उस का कारण क्या है । असल में उस का मूल कारण यह है कि हमारा सारा समाज ही दूषित हो गया है और उस में खराबी आ गई है और जब समाज गिरा हुआ हो तो यह स्वाभाविक हो जाता है कि साधुओं में भी बुरे लोग हों । पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिये वह यह है कि हमें समाज को सुधारना चाहिये और जब तक समाज की हालत नहीं सुधरेगी तब तक सही मायनों में साधु भी हम को मिलने वाले नहीं हैं ।

कुछ लोगों ने सन्यासियों के बारे में चर्चा की । मुझे अपने भाइयों से कहना है कि उन को सन्यासियों के मायने भी मालूम होने चाहिये । जो सन्यासी होते हैं वे दुनिया को छोड़ देते हैं और जा कर अलग बैठते हैं । अपनी ज़िन्दगी को दुनिया से बाहर रजिस्टर करा लेते हैं, ऐसे सन्यासियों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिये मजबूर करना एक अजीब ख़याल है और कुछ गड़बड़ी इस ख़याल में है । उस व्यक्ति को जिस ने दुनिया को रिनाउंस कर दिया है और एक रिसर्च स्कालर की हैसियत से उस दैवी शक्ति के बारे में पता लगाने की चेष्टा करता है जोकि हमें दिखाई नहीं देती लेकिन जिस की कि अपार शक्ति का हम सब को भास होता है, ऐसे व्यक्ति को यह कहना कि वह जा कर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या और किसी अधिकारी के सामने अपने को रजिस्टर कराये, उचित नहीं जान पड़ता ।

हम को फिर से अपने समाज को सुदृढ़ करना है और हमें यह नहीं भूल जाना चाहिये कि हमारी सोसाइटी, भारतीय संस्कृति के ऊपर आधारित है । मैं आप को बतलाऊं कि हम ने छुटपन में अंग्रेजी पढ़ना पीछे शुरू किया था पहले हम ने रामायण और महाभारत आदि धार्मिक पुस्तकों को पढ़ा था और हम नें रामायण काल और महाभारत काल के अपने पूर्वजों की वीरता के कारनामे पढ़े थे और हम सीता और सावित्री के आदर्श को ले कर चले हैं और आज हम यह चाहें कि हमारे जितने भी साधु और सन्यासी हैं वे सब अपने आपको रजिस्टर करायें, यह बिलकुल गलत और नामुनासिब बात है । पहले हमारे क्रिमेनल ट्राइब्स (अपराधी जातियाँ) के लोग रजिस्टर्ड हुआ करते थे, उन के ऊपर से तो हम ने यह रजिस्ट्रेशन (पंजीयन) की शर्त हटा दी है और अब हम इस को साधुओं और सन्यासियों पर आयद करें, मैं उस से सहमत नहीं हूं ।

इस के अलावा मैं आप को बतलाना चाहती हूं कि हमारे देश में श्री रामकृष्ण मिशन ने बड़ा उपयोगी और समाज सेवा का काम किया है और कर रहा है और जो काम उसने किया है उसे बहुत कम लोग कर सकते हैं । ऐसे समाज सेवी लोगों से मैं नहीं समझती कि यह कहना कि वे जा कर अपने आप को रजिस्टर करायें, उचित होगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : श्री राधा रमण क्रोध से अधिक सहानुभूति के पात्र हैं क्यों कि वे यह सोचते हैं कि संसार की सारी बुराइयों को कानून बना कर दूर किया जा सकता है ।

वस्तुतः क्या साधुवर्ग में वे दोष हैं जिनके उपचार के निमित्त यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। मैं अपने जीवन में कई साधुओं, फकीरों और ईसाई पादरियों के सम्पर्क में आया हूं । मैं ने अधिकांश को गुणों और चरित्र की दृष्टि से बहुत अच्छा पाया है । केवल एक व्यक्ति उन में से असामाजिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० च० शर्मा]

कार्य का दोषी ठहराया जा सकता था। क्या एक व्यक्ति के दोष पर सारे वर्ग पर लांछन लगाना ठीक है ।

वस्तुतः उनका चरित्र समान्य व्यक्तियों से कहीं ऊंचा होता है। श्री राधा रमण का दृष्टिकोण उचित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इससे साधु सन्यासी अधिक भयभीत होंगे हमसे विपरीत श्री नन्दा जी का दृष्टिकोण उचित है क्योंकि वे इन्हें भारत सेवक समाज में कार्य करने के लिये आकर्षित कर रहे हैं ।

साधु देश की नैतिक और बौद्धिक एकता के सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं इस से देश की एकता पुष्ट होती है, वस्तुतः इन्हें यथा संभव सहायता दी जानी चाहिये तथा इनकी रक्षा की जानी चाहिये ; क्योंकि समस्त मानवता को एक रखने का साधन रहस्यवाद है जो जाति, वर्ग और लिंग भेद से परे हैं ।

अतः मेरे विचार से इस विधेयक से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता अतः मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं ।

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर–रक्षित–अनुसूचित जातियां) : बड़े भाग्य की बात है कि आप ने मुझ अबला को पांच मिनट का मौका दिया है। आज मेरे भाई श्री राधा रमण ने यह बिल रक्खा है। मैं हाथ जोड़ कर उन से प्रार्थना करती हूं कि वह अपना बिल वापस ले लें।

मैं ने हिमालय से ले कर कन्या कुमारी तक १२ वर्ष साधुओं के साथ भ्रमण किया है। आज साधुओं की हालत क्या है। उन के पास सिर्फ लंगोटी है । तुम्हारा कुछ लिये दिये वह नहीं हैं । हमारे यहां ३ लाख नागा वैष्णव दल के हैं । यदि यह बिल पास हो गया तो जैसे परशुराम ने २१ बार क्षत्रियों के सिर काट कर कुरुक्षेत्र के कुंड में भर दिये थे, वैसे ही यहां के नागा लोग सिर काटने के लिये तैयार हो जायेंगे। हमारा देश दस साल से शांति का देश है। आप साधु समाज के खिलाफ खड़े होते हैं ? वह लोग तुम्हारा क्या लेते हैं ? लंगौटी लगाने वाले ऐसे ऐसे तपस्वी हैं जिस का कुछ कहना नहीं। बद्रीनाथ के मार्ग में आप पाताल गंगा जाइये, गरूड़ गंगा जाइये, पता नहीं कितने लोग ध्यान लगाये बैठे हैं । वह लोग क्या आप का लाइसेंस लेने के लिये आयेंगे ? पब्लिक के हजारों लोग उन के आगे सिर झुकाते हैं, वह पलक नहीं खोलते, वह आशीर्वाद नहीं देते। इस बिल को पास कर के आप हमारे देश को अशांति की तरफ ले जाते हैं। इस से भ्रष्टाचार बढ़ेगा, गोली चलेगी, साधु लोग मौत के घाट उतरेंगे। क्या इस के लिये भारत तैयार है ?

मैं कहती हूं कि राधा रमण जी अपना बिल वापस ले लें। जिस समय यहां राम राज्य हुआ था, अगर उस वक्त ऐसा बिल कभी पास हुआ हो, तो आज के राम राज्य में भी यह बिल पास होना चाहिये। अगर उस वक्त भी नहीं हुआ तो इस वक्त भी नहीं होना चाहिये। यही मेरी प्रार्थना है।

स्वामी रामानन्द शास्त्री (बाराबंकी–रक्षित–अनुसूचित जातियां): सभापति महोदय, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे साधु सन्यासियों के रजिस्ट्रेशन के बिल के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट करने का मौका दिया । वैसे तो इस पर काफी महानुभाव बोल चुके हैं और सब ने अपने अपने विचार रक्खे हैं। मैं भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन समय न होने के कारण ज्यादा नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस बिल में दो चार बातें बहुत गलत तरीके से हैं। यहां जो जुर्माना रक्खा गया है, अगर कोई साधु असाधु या कोई भी मनुष्य नियम के विरुद्ध कार्य करता है वह ५०० रुपये तक है। आज क्या होता है कि बहुत से साधु चोरी आदि करते हैं। रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या होगा कि जो इस प्रकार के लोग हैं, चोर हैं, डाकू हैं, वह पुलिस को रिश्वत

देंगे, दफ्तरों में लोगों को रिश्वतें देंगे और उस से ज्यादा कमा लेंगे। जब साधु रजिस्टर हो जायेंगे तो और आजादी से डाके डालेंगे। रजिस्टर्ड डाकू हो जायेंगे। और जो असली साधु हैं, जैसा कि बहुत से लोगों ने कहा है, वह कभी आप के पास रजिस्ट्रेशन कराने के लिये नहीं आयेंगे। वह तो दुनियां को छोड़ कर चले जाते हैं। वह रजोगुण और तमोगुण के नाश के लिये चला जाता है। ऐसी हालत में वह रजिस्ट्रेशन कराने कैसे आयेगा ?

फिर आप इस बिल में रखते हैं कि मठ वाले साधुओं का सर्टिफिकेट हो। मैं पूछता हूं कि मठों के अन्दर कितनी शिकायतें होती हैं, कितनी गल्तियां होती हैं। उन के पास लाखों करोड़ों रुपये होते हैं, लाना है तो उन के सदुपयोग के लिये बिल लाइये। उन को समझा कर, उन का ट्रस्ट बना कर उन पैसों को भारतीय संस्कृति को बढ़ाने के कार्य में लगाने के लिये बिल लाइये। यह क्या बिल आप ले आये ? आप को यह बिल लाना चाहिये था ताकि समाज का सुधार हो। आखिर जो लोग साधु बनते हैं वह आप के ही समाज के अन्दर से गये हुए लोग तो हैं। आप के समाज में जो चीज है, वही तो उन में आयेगी और वही चीज आप के सामने निकलेगी। इस को भी आप को देखना चाहिये।

आज लोग ५५ साल तक सरकारी नौकरी करते हैं, उस को ५८ साल तक बढ़ाने की बातें हो रही हैं। एक तरफ तो आप इस तरह की बातें करते हैं दूसरी तरफ आप उम्मीद करते हैं कि जो सन्यासी और साधु है, उन में त्याग का भाव आये। उन का आप रजिस्ट्रेशन करें, उन को लाइसेंस दें। इस तरह की ऊट पटांग की बातें करते हैं।

एक माननीय सदस्य : यह साधुओं की भाषा नहीं है।

स्वामी रामानन्द शास्त्री : यह साधुओं की भाषा नहीं है, लेकिन यह बिल ही इस प्रकार का है।

अपने धर्मशास्त्र की मर्यादा के अनुसार आप यह समझते हैं कि पहले ब्रह्मचारी रह कर पच्चीस साल विद्या पढ़े। उस के बाद पच्चीस साल गृहस्थाश्रम में व्यतीत करे और वहां धर्म से धन कमा कर और सन्तान उत्पन्न करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम में जा कर तपस्या करे और उस के बाद फिर देश के कल्याण के लिये लोगों को निश्शुल्क शिक्षा दे, जैसे कि पहले होता था कि ब्रह्मचारी भिक्षा मांग कर साधु, सन्यासी, वानप्रस्थियों के पास जाता था और वे निश्शुल्क चारों वेदों और दुनिया भर की साइंस की पुस्तकों की शिक्षा देते थे। आज आप ने लोगों की तन्ख्वाहें पांच पांच सौ और एक एक हजार तक रखी हुई हैं और अब आप उन की अवधि भी बढ़ा रहे हैं, जिस का स्पष्ट अर्थ यह है कि आप बुढ़ापे में उन को विषय-भोग की तरफ ले जा रहे हैं। इस पर भी आप को कंट्रोल करना है।

जहां तक संख्या का सम्बन्ध है, आप के यहां १७ करोड़ वोटर हैं। १७ करोड़ में से आप समझ लीजिये कि कम से कम १० करोड़ हिन्दु वोटर होंगे—हम थोड़ी देर के लिये इस को लेते हैं। आप स्त्री पुरुष का हिसाब मिलाते हैं। आप यह जो २६ लाख और ५२ लाख गिनाते हैं, उस के हिसाब से दो करोड़ साधु होने चाहिए : आप खुद ही अपने धर्मशास्त्र के खिलाफ जा रहे हैं।

मैं आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं। गवर्नमेंट के खुफिया विभाग के बहुत से लोग साधु बन कर अपराधों का पता लगाते हैं। बहुत से डाकू भी साधू बन कर आते हैं। मैं यह पूछता हूं कि खुफिया विभाग का आदमी कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करायेगा, क्योंकि वह तो साधु बन कर उन लोगों के भेद लेने के लिए जाता है। कल्क्टर उस को कैसे सर्टिफिकेट देगा ?

[स्वामी रामानन्द शास्त्री]

अभी श्रीमती ऊमा नेहरू ने कहा कि साधु का अर्थ क्या है। आप सब लोग विद्वान हैं। आप जानते हैं कि साधु का अर्थ क्या है। साध्नोति परकार्याणि इति साधु। जो दिन रात परोपकार करता है, जो दूसरों के अवगुण नहीं देखता, बल्कि अपने अवगुण देखता है, उस का नाम साधु है—वह भगवे कपड़े पहने या न पहने। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या भगवे कपड़े पहनने और भगवे कपड़े पहनने वालों पर आप का प्रतिबन्ध है। बहुत से साधु गृहस्थ बन जाते हैं और उन को गोसाईं कहते हैं। और उनकी बहुत सी मड़इयां हैं। उन की एक जमात बन गई है और वे आपस में विवाह करते हैं। उनकी एक जात बन गई है। देश में लाखों की उन की संख्या है। उन का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे। बहुत से वैष्णव साधु हैं, जो सफेद कपड़े पहनते हैं। वे गृहस्थी है और वे परम्परा से अपने शिष्य बनाते हैं। वे करीब करीब सारे हिन्दूस्तान में हैं। यह उन का खानदानी पेशा है। गुरू का लड़का चेले के लड़के को बचपन में कंठी बांध देता है और इस तरह उन की परम्परा चलती है। इस प्रकार के बहुत से सम्प्रदाय हैं। लेकिन अगर आप केवल भगवे कपड़े वालों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन यदि आप ऐसे नियम, कानून बनाते हैं, जिनसे हमारे समाज में बदअमनी फैले, तो मैं उनके विरुद्ध हूं। इस बिल को दूसरे रूप में यहां पर लाया जाय। या जैसा कि मैंने कहा, साधुओं के पास करोड़ों रुपए की जो सम्पत्ति है, उस का समाजीकरण कर के कोई दूसरा सद्पयोगी बिल लाया जाय, तो अच्छा होगा।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री ब्रजराज सिंह (फीरोजाबाद) : यह बिल जो श्री राधा रमण ने रखा है, अच्छा होता अगर यह इस सदन में रखा ही न जाता। यह न सिर्फ एक वर्ग का और जिसे एक आर्डर कहा जाता है, उस का अपमान है, बाल्क इससे और भी कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, चार आश्रम माने गए हैं—बह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। अभी तो आप केवल एक आश्रम के व्यक्तियों को रजिस्टर कराना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि भविष्य में दूसरे आदमियों को भी रजिस्टर कराने के लिए कहा जाय। अभी हमारे इस सदन में दो तीन माननीय सदस्यों को रजिस्टर कराने के लिए कहा गया, लेकिन हो सकता है कि बाद में और को कराना पड़े। मैं समझता हूं कि इस तरह का बिल आना ही नहीं चाहिए था। यह संविधान की धारा के खिलाफ भी जाता है—यह एक नागरिक और दूसरे नागारक को बीच में डिस्क्रिमिनेशन (भेदभाव) करता है। इस की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये। इस के मुताबिक इस तरह का बिल पास नहीं हो सकता। अगर इस बिल को आना ही था, तो इस में इस किस्म की ग़लतियां न होतीं, जैसी कि इस में हैं। इस में न कहीं परिभाषा है, न बताया गया है कि प्रैस्क्राइब (विहित) करने के नियम बनेंगे या नहीं। मैं समझता हूं कि न सिर्फ इस का उद्देश्य ग़लत है, वरन् इस में सभी बातें गलत हैं और इस तरह का बिल आना ही नहीं चाहिए था। मुझे आशा है कि श्री राधा रमण इस को तुरन्त वापस ले लेंगे और साधु समाज के प्रति यह अपमानजनक कदम नहीं उठाया जायगा।

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : सरकार का दृष्टिकोण सभा के सम्मुख रखा जा चुका है भाषण कर्त्ताओं ने भी एक के बाद एक इस विधेयक का विरोध किया और प्रस्तुतकर्त्ता से विधेयक को वापस लेने को कहा है।

उन्होंने उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में कहा है कि वह समाज को अपराधों और सामाजिक कार्यों से बचाना चाहते हैं। वे यह समझते हैं कि साधुओं से समाज को खतरा है इसलिये वे मोटर ड्राइवरों की तरह इन्हें भी पंजीयित करना चाहते हैं। मेरे विचार से भारत जैसे देश में झूठे साधुओं और बहरूपियों तथा समाज विरोधी व्यक्तियों से इतना अब नहीं

†मूल अंग्रेजी में।

होना चाहिये और यदि है तो इसके उपचार के अन्य तरीके भी हैं, जितने लोग ये गेरुआ वस्त्र पहिनते हैं वे सभी साधु नहीं होते और जो गेरुवा वस्त्र नहीं पहिनते हैं वे भी साधु हो सकते हैं। यह प्रश्न बार बार उठाया गया है कि साधु कौन है ? कई स्त्रियां और पुरुष किन्हीं कारणों से संसार का परित्याग कर देते हैं और विरक्त हो जाते हैं। माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उन्हें पंजीयित करने के लिये यहां लाया जाय और वे पंजीयन का शुल्क दें । आप उस सारी प्रणाली पर आघात करना चाहते हैं जो बड़े प्राचीन काल से चली आ रही है जिसके कारण सभी स्त्री या पुरुष किसी स्थिति में भी विरक्त हो सकते हैं। हमारे पड़ौसी देश बर्मा में प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के किसी न किसी काल में साधु बनता है। वहां प्रत्येक व्यक्ति साधु हो सकता है और पगोड़ा में जाकर कुछ दिन रह सकता है और फिर घर लौट सकता है। हम अपने देश में साधुओं का ऐसा उपहास नहीं करना चाहते हैं।

दूसरी बात यह बताई गई थी कि हमें विधेयक से एक अखिल भारतीय रजिस्टर बनाने में सुविधा होगी। श्रीमती उमा नेहरू ने इसका उत्तर दे दिया है। एक ओर हम अपराधी जातियों को भी रजिस्टर में नाम न लिखवाने की छूट दे रहे हैं दूसरी ओर हम साधु और सन्यासियों के लिये भी रजिस्टर बना रहे हैं। मैं प्रस्तावक महोदय की इस बात का समर्थन नहीं कर सकती हूं।

श्री वें० प० नायर ने कहा है कि प्रत्येक साधु को अपनी अवस्था, लिंग और धर्म बताना होगा। मैंने हिज' शब्द नहीं पढ़ा है क्योंकि यह कहा गया है कि उसमें स्त्रियां भी शामिल है। आप उनकी गणना किस प्रकार करेंगे ? क्या आप सारो, बौद्ध, जैन, ईसाई तथा अन्य भिक्षुणियों को भी विधि के अन्तर्गत लाना चाहते हैं। क्या आप उन्हें साधुओं के समकक्ष रखना चाहते हैं। मेरे विचार से यह व्यवहारिक नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं है।

इस सभा में अन्य साधु भी हैं जिनके विचार विधेयक के प्रस्तावक से बिल्कुल भिन्न हैं, जिन्होंने सभा को यह विश्वास दिलाया है कि भारत जैसे देश में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है विशेषतः जब साधु समाज पंजीयित हो चुका है और वे सभी सम्प्रदाय के व्यक्तियों की सेवा करने के तरीके निकाल रहे हैं। यह प्रश्न उन पर छोड़ देना चाहिये। जहां तक उनकी संख्या का सम्बन्ध है यह जनगणना करने से भी हो सकता है। किन्तु यह नाम परिवर्तनशील है। मैं आज साधु हो सकती हूं लेकिन कल साधु नहीं रहना चाहती। क्या तब आप उन सबके नाम पंजी से हटा देंगे ?

साधुओं ने नादवाड़ा राजस्थान और उज्जैन में एक सम्मेलन किया है और अपना संगठन करने के तरीके बनाये हैं। उनका एक सत्र अहमदाबाद में भी हो रहा है। हमें देखना चाहिये कि वे क्या करना चाहते हैं। हमें उनके कार्यों का ज्ञान है और हम उनसे सहमत भी हैं और उनकी सहायता भी कर रहे हैं। ऐसा होने पर सम्भव है हम उनको राष्ट्रीय दल के रूप में एकत्र कर सकें और योजना की सफलता में उनका सहयोग प्राप्त कर सकें। हमें उन्हें आगे बढ़ने और अधिक निकट आने की अनुमति देनी चाहिये।

मैं डा० जी० एस० घूर्ये की पुस्तक के पृष्ठ ५१ में से कुछ पंक्तियां पढ़ूंगी। उन्होंने साधु शब्द का अर्थ यह दिया है :

> "कुछ व्यक्ति प्राचीन शास्त्रों में पारंगत होते हैं, उच्च विषयों का अध्ययन करते हैं तथा संसार से दूर रह कर सदा जीवन यापन करते हैं। वे वर्तमान की तुच्छ बातों से ऊपर उठे रहते हैं तथा विश्व की प्रशंसा या घृणा से परे होते हैं।"

इससे निश्चित है कि साधु शब्द की व्याख्या नहीं हो सकती है अतः यदि ९९ भी गलती करें तो इसके लिये एक निर्दोष को दंड नहीं दिया जा सकता है। हम इन अपराधी व्यक्तियों को अन्य तरीकों से दण्ड दे सकते हैं।

[श्रीमती आल्वा]

उन्होंने भिक्षा वृत्ति पर भी विचार किया है । मैं स्वीकार करती हूं कि साधु और सन्यासियों का भी पतन हो गया है और बहुत से धूर्त व्यक्ति अपने को साधु कहते हैं । वस्तुतः इसी कारण प्रस्तावक महोदय ने यह विधेयक बनाने, सोचने और प्रस्तुत करने में इतना समय व्यतीत किया । ज्ञात होता है कि उन्हें अपने जीवन में धूर्त साधु सन्यासियों से ही पाला पड़ा ।

जहां तक देश के जनमत का प्रश्न है वह इसके पक्ष में नहीं है । वस्तुतः इसका स्वागत नहीं किया जा सकता है । मैं सभा का अधिक समय न लेकर माननीय सदस्य से यह विधेयक वापस लेने का आग्रह करूंगी ।

श्री राधा रमण : मैं माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं उन विचारों के लिए जो कि उन्होंने इस बिल के सम्बन्ध में इस सदन में रखे हैं । इस बिल पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं और उन विचारों को सुनने के पश्चात् मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अधिकतर सदस्य इस बात की आवश्यकता को महसूस करते हैं कि देश में कोई इस प्रकार की व्यवस्था हो कि जिस व्यवस्था के अनुसार हम साधुओं और सन्यासियों को रजिस्टर करें अथवा उनकी प्रतिष्ठा बढ़ा सकें ।

मैंने अपने भाषण के शुरू में ही इस बात को माना था कि हमारे देश में साधुओं और सन्यासियों की बड़ी प्रतिष्ठा है और उस प्रतिष्ठा को बढ़ाना ही हमारा मकसद है । अधिकतर सदस्यों ने जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है, रजिस्ट्रेशन की मुखालिफत की है और साथ साथ यह भी बताया है कि भारत साधु समाज तथा साधुओं की अन्य जो मंडलियां हैं जो कि इस पर बहुत संजीदगी से विचार करती हैं उन्होंने स्वयं ही रजिस्ट्रेशन के कार्य को स्वीकार करते हुए इसे मंजूर किया है । अगर रजिस्ट्रेशन करने के पीछे यह खयाल होता कि किसी साधु या सन्यासी पर कोई आक्षेप करना है या उसका किसी प्रकार से तिरस्कार करना है या उसको किसी भी प्रकार से उपेक्षा करनी है तो सम्भवतः साधु मिल कर इस बात का फैसला न करते । यह उस बात का जवाब हो जाता है कि रजिस्ट्रेशन से साधुओं का अपमान या उनका तिरस्कार होता है । मेरी समझ में यह बात नहीं आती है कि जब साधु समाज ने स्वयं अपने एक प्रस्ताव द्वारा इस बात को मंजूर किया है, तो यहां उसका क्यों विरोध किया जाता है । मैंने खुद अपने बिल में और उसके जो आब्जैक्ट्स ऐंड रीज़ंस (उद्देश्य और कारण) हैं उसमें यह कहा है कि साधुओं तथा सन्यासियों में बहुत सारे या ज्यादातर ऐसे हैं कि जो अपने नियमानुकूल नहीं चलते हैं या जो उनको करना चाहिए वह वे नहीं करते हैं । मैंने इस बात को भी माना है कि उनकी व्याख्या करना बहुत कठिन है ।

लेकिन मेरा अभिप्राय इस बिल को इस सदन में पेश करने का यह था कि आज साधुओं और सन्यासियों के नाम पर जगह जगह सैंकड़ों की तादाद में ऐसे लोग दिखाई देने लग गये हैं जिनका न तो कर्म साधुओं का है और न ही उनके विचार साधुओं के से हैं । यह कहना कि हमारे देश में ऐसे आदमियों की संख्या बहुत ही कम है, मेरे विचार में सचाई से आंखें मूंद लेना है । मैं उनके खिलाफ कोई अपमान-जनक बात कहना नहीं चाहता हूं । मैं तो केवल यही चाहता हूं वे साधु और सन्यासी जो कि साधुओं के वस्त्र धारण करते हैं, साधुओं के कर्म और धर्म के अनुकूल आचरण नहीं करते हैं, उनको अगर हम पहचान लें या उनको अपने नाम रजिस्टर कराने को कहें तो यह कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर कोई आपत्ति की जा सकती हो । मैंने स्टेटमेंट आफ आब्जैक्ट्स ऐंड रीज़ंस (उद्देश्य तथा कारणों के विवरण) में खुद यह लिखा है कि "सो काल्ड साधूज़ ऐंड सन्यासीज़" और एक क्लाज भी इस बिल में अन्दर मैंने रखा है कि जो ऐसे साधु और सन्यासी हैं जो कि बहुत पहुंचे हुए हैं, जो बहुत ऊंचे उठ चुके हैं, जो विचारवान हैं और जिन पर हिन्दुस्तान को गर्व है और जिनकी तादाद हज़ारों में है और जिनकी इस देश में कमी नहीं है । और जिन्होंने हमारे देश को दुनिया में ऊंचा उठाया है उनको किसी प्रकार भी

कष्ट पहुंचाना उचित नहीं है और उनको छूट दे दी जाए और उनको किसी प्रकार से भी तिरस्कृत करना या कोई ऐसा काम करना जिस पर उनको आपत्ति हो, न उचित होगा और न उससे इस बिल का जो मक्सद है वह सिद्ध हो सकता है। इसीलिए उस क्लाज़ को रक्खा गया था कि ऐसे साधु और सन्यासी जिनका ज़मीर यह इजाज़त न देता हो और जिनको कि कहीं जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने में आपत्ति हो और वे वहां नहीं जाना चाहें तो वे न जायं। मेरा मतलब तो ऐसे साधुओं को चेक करना था जो कि साधुतापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं और इधर उधर भ्रमण करते फिरते हैं। आज जो ६० लाख साधुओं और सन्यासियों की संख्या हमारे देश में बतलाई जाती है, अगर उनमें ६० हज़ार साधु वास्तव में साधु हों और साधुतापूर्ण जीवन व्यतीत करते हों तो आज जो हमारे देश और समाज में नैतिक पतन दिखाई देता है वह न दिखाई दे। आज तो हम देखते हैं कि काफ़ी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो महज़ गेरुआ वस्त्र धारण करके और भभूत लगा कर साधु बने फिरते हैं, हालांकि वे वास्तव में साधु नहीं हैं और मुझे इस बारे में कोई शक़ नहीं है कि अगर ६० हज़ार साधु भी वास्तव में साधु होते जिनका कि यहां पर ज़िक्र किया जाता है और जिनका कि नाम लेकर इन असाधुओं को बचाने की कोशिश की जाती है, तो आज जो हमें देश में नैतिक पतन दिखाई देता है वह न दिखाई देता। सच्चे मानों में साधुओं की अगर गणना की जाय तो मुश्किल से हज़ारों में होगी, बाक़ी सब ढोंगी बने फिरते हैं। इस विधेयक में तो यही था कि ऐसे साधु और सन्यासियों की मान प्रतिष्ठा की जाय और उनके आदर सत्कार को क़बूल किया जाय और उनको और भी ज्यादा ताक़त दी जाय कि वह कम से कम उन साधुओं और सन्यासियों से जो गेरुआ वस्त्र पहन कर असाधु होते हुए साधुओं का नाम लेकर जगह जगह भ्रमण करते हैं और तरह तरह के काम करते हैं, उनसे अलग किया जाय।

मैंने इस विधेयक के सम्बन्ध में जो यहां पर वाद विवाद हुआ उसे सुना और सरकार ने भी अपना मत बताया और मैं भी यह मानता हूं कि यह विधेयक जो सामने रक्खा गया है यह पूर्ण विधेयक नहीं है। इस विधेयक के अन्दर त्रुटियां हैं और मैं इसको क़बूल करता हूं परन्तु उनको सुधारा जाय और इस विधेयक को उसके अनुसार संशोधित किया जा सकता है। लेकिन मैंने जो यहां पर अक्सर वक्ताओं के भाषण सुने और सरकार का मत सुना उसको अपने सामने रखते हुए मैं इस बात पर इसरार नहीं करता कि इस विधेयक को यूं ही पास किया जाय। अगर कभी आगे चल कर यह खयाल किया जाय कि हमारे देश में साधुओं का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, खास कर उन साधुओं का जिन साधुओं का कर्म और धर्म उनके अनुकूल नहीं है, तो मेरे इस विधेयक के आधार पर क़ानूनी व्यवस्था की सकती जा है।

मेरी एक बहिन ने साधुओं का रजिस्ट्रेशन इसलिए नामुनासिब ठहराया कि क्या वे क्रिमिनल ट्राइब्स से भी गये बीते हैं और उन्होंने हमें कहा कि पहले कभी उनका रजिस्ट्रेशन होता था लेकिन अब वह भी बन्द कर दिया गया है। मेरा कहना है कि क्रिमिनल ट्राइब्स और साधुओं के रजिस्ट्रेशन में कोई समानता नहीं है। वह तो समाज का एक दूषित अंग होने के वास्ते रजिस्टर्ड किया जाता था लेकिन यहां पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहां तो रजिस्ट्रेशन सिर्फ इस उद्देश्य को लेकर किया जा रहा है कि हमें उनकी संख्या का पता लगे और जो आज साधुओं का भेष धर कर असाधु लोग घूम रहे हैं उनको हम कंट्रोल कर सकें और उनके द्वारा होने वाली हानि से हम अपने समाज को बचा सकें लेकिन यहां पर सदन में जो विचार व्यक्त किये गये और सरकार द्वारा जो इस विधेयक के बारे में मत प्रकट किया गया उसको देखते हुए मैंने अपने विधेयक के पास किये जाने पर इसरार नहीं करता और इसे वापिस लेता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं जिन्हें पहले निबटाया जायेगा। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी अपने संशोधन वापस ले रहे हैं। क्या सभा माननीय सदस्यों को संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†माननीय सदस्य : जी हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।

†उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को विधेयक वापस लेने की अनुमती देती है ?

†माननीय सदस्य : जी हां ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया ।

संविधान (संशोधन) विधेयक

श्री रघुनाथ सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

जो विधेयक मैंने उपस्थित किया है वह एक महत्वपूर्ण विधेयक है । अभी क़रीब ९ वर्ष पहले हमने एक ड्राफ्ट कांस्टीच्यूशन (संविधान का प्रारूप) उपस्थित किया था जिसको देखने से हमें यह पता चलता है कि उस ड्राफ्ट कांस्टीच्यूशन के पेज १८ पर आर्टिकल ४६ में यह दिया हुआ है :—

"एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति है या रहा है वह उस पद पर दोबारा चुने जाने के लिये केवल एक बार खड़ा हो सकता है ।"

दो चीज़ों का एक्सपेरीमेंट (प्रयोग) इस दुनिया में हुआ है एक तो अमरीका में जबकि १७८९ में जार्ज वाशिंगटन के समय में पहला कन्वेंशन हुआ था तो उसमें जो ड्राफ्ट उपस्थित किया गया था उसमें यह कहा गया था कि प्रेसीडेंट का टर्म एक टर्म से ज्यादा नहीं होना चाहिए । अमरीका ने १६० वर्ष तक प्रयोग किया । प्रयोग करने के पश्चात् वह इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। उन्होंने सन् १९५१ में आर्टिकल २२ के द्वारा अपने कांस्टीच्यूशन में संशोधन किया, उस संशोधन करने के पश्चात् आज जो अमरीका का संविधान है उसके अनुसार वहां का राष्ट्रपति केवल दो टर्म के लिए राष्ट्रपति हो सकता है । दूसरा उदाहरण इस सम्बन्ध में हमारे सामने फ्रांस का है । तीसरी रिपब्लिक के समय सन् १८७१ में आकर उन्होंने भी अपने कांस्टीच्यूशन में यह संशोधन कर लिया कि दो टर्म से ज्यादा फ्रांस का कोई राष्ट्रपति नहीं हो सकता । अब यह कहा जायगा कि यह दोनों उदाहरण पश्चिम के हैं तो मैं आपके सामने पूर्वीय देशों के उदाहरण देना चाहता हूं । एशिया में पाकिस्तान का जो कांस्टीच्यूशन है इसमें आप देखेंगे कि उसके आर्टिकल ३२ सबसेक्शन (४) में यह दिया हुआ है कि कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता है ।

पाकिस्तान में सन् १९५६ में आज से पहले एक वर्ष जो कांस्टीच्यूशन पास किया है, उसमें भी उसने अपने प्रेसीडेंट को दो टर्म से ज्यादा चुने जाने का अधिकार नहीं दिया है । ऐशिया के दूसरे देश बर्मा का भी उदाहरण हमारे सामने है । बर्मा ने भी अपने कांस्टीच्यूशन में इसी चीज़ को रक्खा है । बर्मीज कांस्टीच्यूशन (बर्मा के संविधान) में, जो कि सन् १९४८ में पास हुआ है, आर्टिकल ४८, सब सेक्शन (२) में है : "कोई व्यक्ति दो बार से अधिक राष्ट्रपति का पद ग्रहण नहीं कर सकता है ।"

एक दूसरे कांस्टिट्यूशन का मैं हवाला देना चाहता हूं, जिस के कारण कि मैंने इस विधेयक को इस सदन में उपस्थित किया है । वह कांस्टिट्यूशन चीन का है । उसके आर्टिकल ३९ में है : "चीन गणराज्य में प्रधान की कार्यावधि चार वर्ष है ।"

यह आर्टिकल वैसा ही है, लेकिन भारतीय संविधान जो है उसके आर्टिकल ५७ में यह है : "कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण कर रहा है या कर चुका है इस संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए उस पद के लिये पुननिर्वाचन का पात्र होगा ।"

अर्थात् हिन्दुस्तान का यह आर्टिकल चाइना के आर्टिकल के बराबर है। जिस प्रकार चाइना में राष्ट्रपति के समय की अवधि नहीं रक्खी गई है, उसी प्रकार से हिन्दुस्तान में भी राष्ट्रपति के समय की कोई अवधि नहीं रक्खी गई। लेकिन अगर चाइना में इस की अवधि होती कि प्रेजीडेंट को सिर्फ दो टर्म्स का राइट होगा, दो टर्म्स से ज्यादा वहां का चेअरमैन चुनाव के लिए नहीं खड़ा हो सकता, तो आज चाइना में डिक्टेटरशिप (तानाशाही) नहीं होती। चाइना में भी डिमाक्रेसी (लोकतन्त्र) होती क्योंकि आदमियों का परिवर्तन होता, नये नये आदमी आते और नई नई पालिसीज होतीं।

आज मेरा जो अमेंडमेंट आपके सामने है, वह एक बहुत छोटी सी चीज़ है। वह इस प्रकार से है : "युद्ध के समय के अतिरिक्त कोई व्यक्ति भी एक साथ दो बार से अधिक राष्ट्रपति नहीं चुना जा सकेगा।"

इस संशोधन में अमरीका ने आर्टिकल २२ के द्वारा अपने यहां जो संशोधन किया, या फ्रांस का जो आर्टिकल है प्रेजिडेंट के टर्म के बारे में, उससे थोड़ा अन्तर है। अन्तर यह है कि अमरीका के आर्टिकल के द्वारा अगर लड़ाई छिड़ जाए, तब भी प्रेजिडेंट का एलेक्शन वहां होगा। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर युद्ध छिड़ जाए तो यह चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारा लोकतन्त्र अभी एक नया लोकतन्त्र है। अभी हम लोकतन्त्र का एक्सपेरिमेंट (प्रयोग) कर रहे हैं। इसी लिये हमने ऐसी अवस्था में अमरीका से यह अन्तर रक्खा है कि यदि युद्ध की स्थिति हो देश में और एलैक्शन का टाइम आ जाए, तो दो टर्म्स से ज्यादा भी वह खड़ा हो सकता है। साथ ही मैंने इसे थोड़ा उदार बनाया है। इस दृष्टि से उदार बनाया कि अगर मान लीजिए कि जब हिन्दुस्तान में हम अभी लोकतन्त्र का एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि चूंकि कोई बहुत अच्छा आदमी है, इस लिये हम उसको कुछ दिनों के लिए शासन का अधिकार दें, तो हमें यह अधिकार हो कि हम उस चेन को ब्रेक कर दें। अगर आप उसको ब्रेक नहीं करते और कुछ दिनों तक एक नेता के हाथ में शासन रह जाए तो वह आतंकवाद को जन्म दे सकता है। इस लिए मैंने कहा कि दो कंजिक्यूटिव टर्म के बाद एक टर्म का गैप देकर वह आदमी फिर खड़ा हो सकता है। इस अमेंडमेंट में आप देखेंगे कि जो कांस्टिट्यूशन फ्रांस का है, या जो अमरीका का है, या पाकिस्तान का है, या बर्मा का है, उन सब का समन्वय आ जाता है।

अब आप कहेंगे कि आखिरकार हिन्दुस्तान के अन्दर इस संशोधन की क्या आवश्यकता उत्पन्न हुई। क्यों मैंने चाहा कि मैं अपने यहां के कांस्टिट्यूशन में यह अमेंडमेंट उपस्थित करूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अगली दफा अपना वक्तव्य जारी रक्खें।

कार्य मंत्रणा समिति

सातवां प्रतिवेदन

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का सातवां प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं।

इस के पश्चात्, लोक-सभा शनिवार, २४ अगस्त, १९५७ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

---

† मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २३, अगस्त, १९५७]

पृष्ठ

प्रश्नो के मौखिक उत्तर-- ४२७३--९७

तारांकित प्रश्न संख्या — विषय

१०८५ ज्वालामुखी तेल ४२७३–७४
१०८७ बहुप्रयोजनीय पाठ्य–क्रम . . . ४२७४—७६
१०८८ सेना में ब्रिटिश पदाधिकारी . . . ४२७६–७७
१०८९ लंढौर छावनी . . . ४२७७–७८
१०९१ प्रतिरक्षा उत्पादन . . ४२७८—८०
१०९२ "बाद की देखभाल" कार्यक्रम . ४२८०–८१
१०९३ तुलसीघाट, वाराणसी ४२८१–८२
१०९४ राष्ट्रीय प्रतिरक्षा अकादमी के परीक्षा केन्द्र ४२८२–८३
१०९५ रुपया यात्री चैक . . ४२८३—८५
१०९६ बम्बई में लौह और मैंगनीज अयस्क . ४२८५–८६
१०९७ क्योंझरगढ़ जिले में सोना . ४२८७
१०९९ अभ्रक . . . ४२८७–८८
११०१ सैलम लौह अयस्क . . . ४२८९–९०
११०२ अनाज का संग्रह . . . ४२९०–९१
११०३ शिकायतें . . . ४२९१–९२
११०४ अनुसूचित आदिमजातियां . . . ४२९२–९३
११०५ युद्ध सामग्री कारखानों का आधुनिकीकरण . . ४२९४
११०८ राज्य पुनर्गठन आयोग . . . . ४२९४—९६
११०९ अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित अदिम जाति आयुक्त के प्रतिवेदन ४२९६–९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४२९७--४३१७

तारांकित प्रश्न संख्या

१०८६ कल्याण सेवाओं का समन्वय ४२९७
१०९० करेंन्सी नोट ४२९७
१०९८ विश्वविद्यालयों में सूचना केन्द्र . . . ४२९७–९८
११०० पनागर बेस एरिया में परती भूमि . . . ४२९८
११०६ प्रादेशिक परिषद् ४२९८-९९
११०७ अनुसूचित जातियां ४२९९

प्रश्नो के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
१११०	उत्तर प्रदेश की संस्थाओं को केन्द्रीय समाज कल्याण अनुदान	४२९९
१११९	अल्प–बचत योजना	४२९९–४३००
१११२	पंजाब में प्रादेशिक समितियां	४३००
१११३	शस्त्रास्त्र अधिनियम का संशोधन	४३००
१११४	हिन्दी परीक्षा समिति	४३००
१११५	जर्मन वैज्ञानिक गवेषणा दल	४३०१
१११६	हिमाचल प्रदेश प्रशासन	४३०१
१११७	केन्द्रीय आपात सहायता प्रशिक्षण	४३०२
१११८	एशियाई विकास निधि	४३०२
१११९	टूटे–फूटे लोहे का निर्यात	४३०२–०३
११२०	पोत–निर्माण का प्रशिक्षण	४३०३

अतारांकित प्रश्न संख्या		
८२७	मनीपुर में संरक्षित स्मारक	४३०३
८२८	स्मारकों का हटाया जाना	४३०३–०४
८२९	द्वितीय सामान्य निर्वाचन	४३०४
८३०	राजस्थान में खनिज सर्वेक्षण	४३०४
८३१	दिल्ली के कालेजों में फीस की पेशगी वसूली	४३०४–०५
८३२	निवेली परियोजना के लिये खनन उपकरणों का आयात	४३०५
८३३	कृष्णा जिले का सर्वेक्षण	४३०५–०६
८३४	आसाम में समाज कल्याण संस्थायें	४३०६
८३५	पुनर्वित्त निगम	४३०६
८३६	भारतीय वायु सेना के प्रशिक्षणार्थी	४३०६
८३७	सांची	४३०७
८३८	मनीपुर जेल में अभियोगाधीन कैदी	४३०७
८४०	कृषि–ऋण	४३०७
८४१	स्थिर किराया	४३०८
८४२	स्टाफ कार	४३०८
८४३	सरकारी कर्मचारी	४३०८–०९
८४४	विदेशी फर्में	४३०९
८४५	विश्वविद्यालयों को अनुदान	४३०९
८४६	सरकारी कर्मचारी	४३०९
८४७	सरकारी कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति	४३०९–१०
८४८	ए० एस० सी० (सहायक सेना दल) के कर्मचारी	४३१०
८४९	वित्त मंत्री के लिये चार्टर्ड विमान	४३१०–११
८५०	नेपालियों की गिनती पिछड़े वर्गों में	४३११
८५१	केन्द्रीय छात्रवृत्तियां	४३११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
८५२	केरल में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिमजातियों के लिये मकान . . .	४३११–१२
८५३	एम० बी० बी० कालेज, अगरताला .	४३१२
८५४	दिल्ली में स्कूलों में प्रिंसिपल	४३१२–१३
८५५	घी की खरीद .	४३१३–१४
८५६	भारत का राज्य बैंक	४३१४
८५८	भ्रष्टाचार के मामले	४३१४–१५
८५९	मनीपुर में सरकारी कर्मचारी .	४३१५–१६
८६०	भारतीयों को विदेशी छात्रवृत्तियां	४३१६
८६१	सेना सेवाओं के लिये स्वास्थ्य परीक्षा	४३१६
८६२	मान्यता प्राप्त संघ	४३१७
८६३	तिन्नेवैली जिले में युवक शिविर . .	४३१७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ४३१७–१८

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखे गये:

अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति।

(१) खान तथा खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९४८ की धारा १० के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिक्षूचनाओं की एक-एक प्रति।

(एक) खनिज रियायत नियम, १९४९ में आगे कुछ और संशोधन करने वाला दिनांक २७ जुलाई, १९५७ का एस० आर० ओ० २४३६।

(दो) खनन पट्टे (शर्त्तों में रूपभेद) नियम, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २५०७।

(२) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, १९५७ की धारा ३ की उप धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक ३ अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २४७६।

(दो) अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियम, १९५५ में कुछ संशोधन करने वाला दिनांक १० अगस्त, १९५७ का एस० आर० ओ० २५४३।

राज्य-सभा से सन्देश . . . ४११८

सचिव ने राज्य–सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य–सभा को लोक सभा द्वारा ९ अगस्त, १९५७ को पास किये गये विनियोग (रेलवे) संख्या २ विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में लोक–सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

याचिका की सूचना . . ४३१८

सचिव ने वित्त (संख्या २) विधेयक, १९५७ के सम्बन्ध में दो याचिकायें प्राप्त होने की सूचना दी।

पृष्ठ

विधेयक पुरःस्थापित किया गया ४३१८–१९

भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, १९५७।

अनुदानों की मांगें . . ४३१९—५४

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और मांगें पूरी पूरी स्वीकृत हुई।

वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर चर्चा प्रारम्भ हुई। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—वापिस लिया गया . . ४३५४—७५

श्री राधा रमण के साधु तथा सन्यासी (पंजीयन) विधेयक, १९५७ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई। विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिये गया।

श्री रघुनाथ सिंह के संविधान (संशोधन) विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। चर्चा असमाप्त रही।

शनिवार, २४ अगस्त, १९५७ के लिये कार्यावलि—

वित्त मंत्रालय के अनुदानों की मांगों पर अग्रेतर चर्चा और संसद् कार्य विभाग, लोक–सभा, राज्य–सभा और उपराष्ट्रपति के सचिवालय की शेष मांगों पर चर्चा और विनियोग (संख्या ४) विधेयक १९५७ पर चर्चा तथा उसका पारित किया जाना।

	पृष्ठ
श्री अ० कु० सेन	४३६५-६६
श्री वें० प० नायर	४३६६
श्रीमती उमा नेहरू	४३६६-६७
श्री दी० चं० शर्मा	४३६७-६८
श्रीमती सहोदरा बाई	४३६८
स्वामी रामानन्द शास्त्री	४३६८—७०
श्री व्रजराज सिंह	४३७०
श्रीमती आल्वा	४३७०—७२
संविधान (संशोधन) विधेयक--	
विचार के लिये प्रस्ताव--असमाप्त	४३७४-७५
कार्य मंत्रणा समिति--	
सातवां प्रतिवेदन	४३७५
दैनिक संक्षेपिका	४३७६—७९

P. L. S. 41. V. 29. 57.
170

भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित तथा लोक-सभा सचिवालय द्वारा लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ तथा ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित ।